ध्येय IAS
most trusted since 2003

# परफेक्ट

पाक्षिक करेंट अफेयर्स मैगजीन

जनवरी 2024
Issue : 01
वर्ष :06 | अंक : 01
मूल्य:₹70

dhyeyaias.com

## मुख्य विशेषताएं


- भारत की सांस्कृतिक विरासत
- प्रोजेक्ट प्रयास
- इसरो: उपलब्धियों की समीक्षा
- आईएनएस इम्फाल
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज
- काशी तमिल संगमम
- अरब सागर में पायरेसी
- दक्षिण-पूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण
- हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण
- प्रायद्वीपीय नदियाँ और बाढ़
- ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल
- उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग
- भारत स्पेस स्टेशन
- लीड्स (LEADS) रिपोर्ट 2023
- आईएनओएस 2023


प्रीलिम्स स्पेशल

## राजव्यवस्था और शासन

भाग-II

## ब्रेन बूस्टर

वर्षांत समीक्षा 2023:
विभिन्न मंत्रालयों के विकास कार्यक्रम-I

## प्रीलिम्स फैक्ट्स


- मेड-टेक मित्र
- पात मित्रो एप
- पुनौरा धाम मंदिर
- सूरत डायमंड बोर्स
- ई-सिगरेट
- ओसिरिस-एपेक्स
- जॉम्बी डियर डिजीज


## चर्चित स्थल

## समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

## प्रारंभिक परीक्षा के लिए वन लाइनर्स

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

# PERFECT 7

Complete fortnightly magazine for **UPSC** and **PCS** exams

**Fortnightly Current Affairs Magazine**

*Available Fortnightly in **Hindi** & **English***

## Features :

- Upto date current affairs.
- 7 Editorials by experts.
- 42 Power packed articles focus on Pre cum mains .
- 7 Concept based Brain Boosters.
- Compact & relevant information.
- Special focus on info-graphics, data and maps.
- Pre focussed static and current MCQs.
- Places in news with map.
- Short articles and one liners for prelims.
- Special content for Prelims & Mains.
- Special section for state PCS current affairs.

| Yearly Subscription | | | |
|---|---|---|---|
| Price | Issue | Total | After Discount |
| 70 | 24 | 1680 | 1320 |

| Half Yearly Subscription | | | |
|---|---|---|---|
| Price | Issue | Total | After Discount |
| 70 | 12 | 840 | 720 |

*Postal charges extra

*For More info :* **9369227134** | perfect7magazine@gmail.com

# पहला पन्ना

**विनय सिंह**
***संस्थापक***
**ध्येय** IAS

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

# परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

# इस अंक में ...

संस्थापक : विनय सिंह
प्रबंध निदेशक : क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक : विजय सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
: ऋषिका तिवारी
संपादकीय सहयोग : डॉ. अर्पित
: प्रमोद
: पूर्णाशी
: रत्नेश
समीक्षक एवं : नितिन अस्थाना
सलाहकार : शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग : अरूण मिश्र
एवं डेवलेपमेंट : पुनीष जैन
सोशल मीडिया : केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग : प्रियांक, अंकित
टंकण : सचिन
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

**-: साभार :-**

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

## समसामयिकी लेख

1. हिंद महासागर में चीन के समुद्री वर्चस्व के तेज प्रयास: भारत की बढ़ती सतर्कता 5-6
2. यूएनएफसीसीसी कॉप 28 की बैठक: जलवायु परिवर्तन से निपटने की राह पर अग्रसर देश 7-8
3. अरब सागर में समुद्री डकैती की चुनौती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध भारत 9-10
4. भारत के सांस्कृतिक धरोहरों को मिलती नई पहचान: संबंधित मुद्दे और संरक्षण के उपाय 11-12
5. इसरो की उपलब्धियों की समीक्षा 13-14
6. मातृत्व लाभ और महिलाओं के अवकाश से जुड़े संवेदनशील मुद्दे और सरकार की नीति 15-16
7. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां: मूल्यांकन और ओवरहालिंग की आवश्यकता 17-18

- राष्ट्रीय ..... 19-23
- अंतर्राष्ट्रीय ..... 24-27
- पर्यावरण ..... 28-32
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ..... 33-37
- आर्थिकी ..... 38-42
- विविध ..... 43-47
- ब्रेन-बूस्टर ..... 48-54

## प्री स्पेशल

- पावर पैक्ड न्यूज ..... 55-58
- समसामयिक घटनाएं एक नजर में ..... 59
- चर्चा में रहे प्रमुख स्थल ..... 60
- समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न ..... 61-63
- राजव्यवस्था और शासन भाग-02 ..... 64-82

# हिंद महासागर में चीन के समुद्री वर्चस्व के तेज प्रयासः भारत की बढ़ती सतर्कता

चीन हिंद महासागर में अपना एकाधिकार बढ़ाने के लिए नियमों- कानूनों का उल्लंघन करते हुए भारत के समुद्री पड़ोसी देशों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में चीन का अनुसंधान पोत शी यैन 6 श्रीलंकाई तट से तथाकथित रिसर्च सर्वे वेसल करते हुए सिंगापुर पहुंचा। चीन ने श्रीलंका और मालदीव दोनों से अपने बंदरगाहों को चीन के एक दूसरे अनुसंधान पोत के रुकने तथा वहां अन्वेषण कार्य करने की अनुमति मांगी है। चीन ने भारत के इन दोनों समुद्री पड़ोसी देशों श्रीलंका और मालदीव से कहा है कि ये देश 5 जनवरी, 2024 से साल के अंत तक दक्षिण हिंद महासागर में चीन के एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज के लिए सहयोग दें। भारत चीन के हिंद महासागर के मंसूबों को समझता है, इसलिए भारत ने चीनी अनुसंधान पोतों को अपने क्षेत्र में आने की अनुमति देने वाले श्रीलंका और मालदीव को समझदारी से काम लेने को कहा है। भारत ने इन दोनों देशों को साफ तौर पर कहा है कि वे चीनी अनुसंधान पोतों को भविष्य के किसी भी सैन्य अभियान के लिए आने की अनुमति न दें। चीन का जियांग यैंग हॉन्ग 03 पोत अभी दक्षिण चीन सागर के जियामेन तट के पास है और आगे मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते दक्षिण हिंद महासागर में प्रवेश चाहता है जिसके लिए उसे मालदीव और श्रीलंका से अनुमति चाहिए।

- पहले जब ये दोनों देश और इनके शीर्ष नेतृत्व चीन के प्रभाव में थे तो ये खुद ही आगे बढ़कर चीन की उपस्थिति हिंद महासागर में मजबूत करते रहते थे जिसके बदले में चीन से आर्थिक सहायता तथा बड़े पैमाने पर ऋण प्राप्त करते थे। लेकिन जब से इन देशों ने आर्थिक बदहाली का एक गंभीर रूप देखा और उसके लिए चीनी ऋण बोझ को भी जिम्मेदार पाया, तब से ये दोनों देश चीन को सहज एवं सरल रूप में किसी बात की अनुमति देने के पहले व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करते हैं। भारत ने इसी आधार पर इन दोनों देशों से अपेक्षा भी की है कि ये हिंद महासागर को चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का केन्द्र न बनने दें। भारत हिंद महासागर के संदर्भ में सागर विजन पर बल देता है यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दि रीजन। हिंद महासागर के सभी देशों की संप्रभुता खासकर आर्थिक संप्रभुता की सुरक्षा और क्षेत्रीय जल पर उनका नियंत्रण बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो गया है कि चीन की रिसर्च एण्ड एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज के नाम पर हिंद महासागर में अपनी सामरिक कूटनीतिक सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के प्रयासों को विफल बनाया जाये।

## हिंद महासागर में भारत की भूमिकाः

- हिंद महासागर में भारत की भूमिका को चीन हरसंभव प्रयास के जरिए प्रतिसंतुलित करना चाहता है। चीन को यह बात रास नहीं आती कि भारत को हिंद महासागर के देश नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखें। हिंद महासागर में कोई भी आपदा, चक्रवात, सुनामी की स्थिति में भारत इस क्षेत्र के देशों को मानवतावादी सहायता देने में सबसे आगे रहता है, लेकिन जब से भारत ने हिंद महासागर के देशों के क्षमता निर्माण, कौशल विकास, डिफेंस ट्रेनिंग तथा डिफेंस एक्सपोर्ट पर बल दिया है, तब से चीन को भारत की तरफ से एक बड़ा खतरा नजर आने लगा है।
- भारत ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे हिंद महासागर सुरक्षा मंचों के जरिए उसके सदस्यों श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स और बांग्लादेश के साथ हिंद महासागर की सुरक्षा पर विशेष चर्चाएं आयोजित की हैं। भारत ने श्रीलंका और मालदीव को हिंद महासागर में बढ़ते ड्रग्स, हथियार तस्करी तथा आईएसआईएस की विचारधारा के खिलाफ काम करने के लिए एकजुट करने का प्रयास भी किया है। भारत के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नेतृत्व में आयोजित बैठक में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्य देशों को नार्को आतंकवाद और संगठित अपराधों से निपटने के सर्वोत्तम अनुभवों को साझा किया है।
- हिंद महासागर में भारत ने जिस तरीके से मेडिकल डिप्लोमेसी को अंजाम दिया है, उससे भी हिंद महासागर के देशों में भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। चीन भारत के इसी बढ़ते रुतबे को धूमिल करना चाहता है और ये तभी हो सकता है जब हिंद महासागर के देशों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाए। चीन बांग्लादेश से इस मामले में बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रखता। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार इस समय इंडियन ओशेन रिम एसोसिएशन की अध्यक्ष है जिनका विकास कार्यों पर भी विशेष जोर है। बांग्लादेश अपने को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की मानसिकता से जुड़ चुका है जबकि श्रीलंका, मालदीव जैसे छोटे देशों में नेतृत्व परिवर्तन ही तय कर देता है कि सरकार विकास कार्यों की तरफ जायेगी या चीन जैसे देश की कूटनीति का मोहरा बनेगी।

## हिंद महासागर की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारीः

- यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (यूएनसीएलओएस) में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि अगर कोई पनडुब्बी किसी जलडमरूमध्य को पार करेगी तो पानी की सतह पर आकर ही करेगी, पर चीनी ऐसा नहीं करते।
- यह बात ठीक है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन दि लॉ ऑफ दि सी के तहत टेरिटोरियल वॉटर (क्षेत्रीय जल) तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में राष्ट्रों को अधिकार दिए गए हैं और हर राष्ट्र अपने तटीय क्षेत्र में बिल्कुल आजादी के साथ कार्य कर सकता है लेकिन हिंद महासागर स्थित देशों को यह समझने की जरूरत है कि हिंद महासागर की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है। छोटे छोटे द्वीपीय देश चीन जैसे किसी बड़े देश का सागरीय उपनिवेश बनने के लिए नहीं है, न ही ये सब चीन की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य

सुरक्षा और सामरिक मंसूबों की प्रयोगशाला हैं। तात्कालिक आर्थिक सहायता के नाम पर चीन द्वारा हिंद महासागर से खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता।

- गौरतलब है कि चीन के इससे पहले के रिसर्च वेसल शी येन 6 को श्रीलंका की रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने भारत के विरोध के बावजूद अपने एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन (हंबनटोटा) में आने की अनुमति दी थी और 20 नवंबर को यह पोत श्रीलंकाई ईईजेड तथा साउथ इंडियन ओशेन में अपना अन्वेषण कार्य पूरा करके मलक्का जलडमरूमध्य से होते हुए वापस भी चला गया। चीन का यह समुद्री जहाज 25 अक्टूबर, 2023 को कोलंबो में प्रवेश के पहले चेन्नई से 500 नॉटिकल मील की दूरी पर देखा गया था, साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा की दूरी करीब 1100 किलोमीटर थी। भारत की चिंता की बड़ी वजह ये थी कि हंबनटोटा से चेन्नई, कोच्चि और विशाखापत्तनम बंदरगाहों की दूरी करीब 900 से 1500 किलोमीटर ही है जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मामला है।
- भारत अब इसको लेकर और सतर्क हो गया है क्योंकि इस समय मालदीव में एक चीन समर्थक सरकार शासन कर रही है जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी से दूर हटती नजर आ रही है। भारतीय नौसेना का एक लड़ाकू जहाज आईएनएस तरमुगली जिसे भारत ने मालदीव को उपहार स्वरूप दिया है, उसे मालदीव ने कई साल इस्तेमाल करने के बाद इस साल भारत को वापस कर दिया है जिसे अब फिर से भारतीय नौसेना द्वारा अपने इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके अलावा चीन समर्थक मालदीव सरकार के नए राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस ले जाने पर पूरा जोर लगा दिया है। राष्ट्रपति मुइज्जू का कहना है कि भारत अपने 75 सैनिकों को वापस लेने के लिए सहमत हो गया है। मुइज्जू के इस दृष्टिकोण से साफ है कि भारत क्यों दक्षिण हिंद महासागर में चीन के मरीन एक्सप्लोरेशन को लेकर सशंकित है? भारत का मानना है कि चीन के ये अनुसंधान पोत भारत के तटीय क्षेत्र तथा उसके क्षेत्रीय जल में जासूसी गतिविधियों में लग सकते हैं जिसके प्रमाण भी कई अवसरों पर मिल चुके हैं, इसलिए इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के जो नौसैन्यकर्मी मालदीव में अभी तक मौजूद थे वे कोस्टल रडार सर्विलांस से लेकर अन्य सभी जरूरी निगरानी दायित्वों को निभा रहे थे जो मालदीव के ईईजेड की मॉनिटरिंग में भी लगे थे। मालदीव ने इन सैनिकों को इस दायित्व से मुक्त करने की क्यों ठानी ये तो साफ दिख रहा है? मालदीव ऐसा करके चीन को अबाधित एक्सेस दे सकता है जिसके बाद भारत को अपने पश्चिमी तट, लक्षद्वीप, मिनिकॉय जैसे हिस्सों की जासूसी गतिविधियों से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।
- चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी तेज गति से समुद्री परिसंपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर रही है। इनमें तीन एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स तथा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। इन सब प्रयासों के साथ चीन कंबोडिया से लेकर जिबूती तक नौसैनिक अड्डों का नेटवर्क बिछा रहा है। रेड सी के मुहाने तक चीन की समुद्री महत्त्वाकांक्षा गोते लगा रही है। चीन ने कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के कई बंदरगाहों में या तो निवेश कर रखा है या उनका अधिग्रहण कर रखा है। यहीं कारण है कि भारत ने इसी साल जुलाई माह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से आग्रह किया था कि उन्हें भारत के सामरिक हितों और उससे जुड़ी चिंताओं का सम्मान करना चाहिए। श्रीलंका वैसे भी भारत के एहसानों से दबा है लेकिन आज राष्ट्र कूटनीति से ज्यादा प्रेरित हो चुके हैं। श्रीलंका तथा मालदीव सहित सभी देशों को पता है कि चीन की पीएलए अफ्रीका और अदन की खाड़ी में सी पायरेसी से निपटने के नाम पर कैसे अपना मिलिट्री फुटप्रिंट मजबूत कर रही है? ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब चाइनीज कैरियर स्ट्राइक फोर्सेज हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय जल की निगरानी कर रही होंगी। हाल ही में चीन की नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना के साथ मिलकर मकरान तट पर एक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास भी किया है जिसमें चीन के पीएलए का सॉन्ग क्लास डीजल हंटर किलर सबमरीन का इस्तेमाल किया गया।

## भारत की सागरीय सुरक्षा रणनीतिः

- हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए भारत अपनी समुद्री क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए वह पनडुब्बियां बनाने के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने सहयोग बढ़ा रहा है। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के जरिए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, आसियान देश, अफ्रीकी देशों में अपने नेवल बेसेज के नेटवर्क को भारत नए सिरे से गढ़ रहा। इंडियन ओशेन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशेन रिम एसोसिएशन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव तथा इंडियन ओशेन कॉन्फ्रेंस जैसे मंचों के जरिए भारत हिंद महासागर की सुरक्षा के संवेदनशील पहलुओं को उठाता है और राष्ट्रों को एकजुट करने की कोशिश करता है।
- भारतीय नौसेना फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ मिलकर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीक से लैस और डीजल से चलने वाली तीन पनडुब्बियां बनाने जा रही है। इनका निर्माण मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड करेगी जो पहले ही फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की तर्ज पर कलवरी क्लास की छह पनडुब्बियों का निर्माण कर चुकी है। इस सिरीज की छठी पनडुब्बी आईएनएस वागीर के 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है। इन सबके अलावा अब भारत सरकार का मानना है कि अपने समुद्री पड़ोसी देशों के सागरीय हितों की सुरक्षा तभी वास्तविक अर्थों में कर पाएंगे जब हम अपनी नौसेना और तट रक्षक बल को सामर्थ्य के उच्चतम स्तर पर ले जाएं। हमारी नेवी ब्लू वॉटर नेवी के रूप में हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों, इसके लिए भारत मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस स्टेट्रेजी को मजबूत करने का काम कर रहा है।

# यूएनएफसीसीसी कॉप 28 की बैठकः जलवायु परिवर्तन से निपटने की राह पर अग्रसर देश

**जब जब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज की बैठक दुनिया के किसी हिस्से में होनी होती है तो विश्व भर के देशों, उनके नीति निर्माताओं, पर्यावरणविदों तथा जैव विविधता विशेषज्ञों की नजर इस बात पर रहती हैं कि कॉप मीटिंग के अंतिम दिन जब अंतिम रूप से उद्घोषणा जारी की जाएगी तो उसमें किन बिंदुओं पर बल दिया जायेगा? यह भी मुद्दा रहता है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जरूरी प्रयासों के संदर्भ में विकसित तथा विकासशील देशों के बीच सहमति बन पाएगी या नहीं। कॉप बैठकों में लिए गए कुछ महत्त्वपूर्ण फैसले सदस्य देशों पर वैधानिक रूप से बाध्यकारी होंगे या नहीं और सबसे प्रमुख मुद्दा जिस पर नजर रहती हैं वह है जलवायु वित्तीयन (क्लाइमेट फाइनेंस) का प्रश्न। विकासशील देशों, निर्धन देशों, द्वीपीय देशों में यह जिज्ञासा ज्यादा देखी जाती है कि विकसित देश अनुकूलन और कटौती रणनीति के तहत उन्हें कितनी वित्तीय सहायता हस्तांतरित करने के लिए सहमत हुए हैं? इन्हीं प्रश्नों के साथ ही इस बार यूएनएफसीसीसी के कॉप 28 का आयोजन 30 नवंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक दुबई में हुआ।**

कॉप 28 की बैठक पूरी होने पर दुबई डिक्लेरेशन में कुछ महत्त्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया गया जिसमें निम्न बिन्दु शामिल हैं:

- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट को झेल रहे सर्वाधिक सुभेद्य (Vulnerable) देशों को मदद देने हेतु एक लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना के लिए ड्राफ्ट डिक्लेरेशन हुआ। इस फंड की निगरानी शुरुआती चरण में विश्व बैंक करेगा।
- वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की बात पहली बार की गई है जिससे वर्ष 2050 तक 'शुद्ध शून्य' (Net Zero) लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। दरअसल अभी तक कई देश जो जीवाश्म ईंधन पर बड़े पैमाने पर निर्भर रहे हैं उन्होंने जीवाश्म ईंधन की कटौती के लक्ष्य को गंभीरता से लिया नहीं था।
- कॉप 28 की बैठक में ग्लोबल स्टॉकटेक (Global Stocktake) और ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन से जुड़ा निर्णय महत्त्वपूर्ण रहा।
- इसमें ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता को इतने ही समय में दो गुना करने की बात की गई है। 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से भिन्न अन्य उत्सर्जन खासकर मिथेन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सभी राष्ट्र सहमत हुए हैं, लेकिन मिथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को लीगली बाइंडिंग नहीं बनाया गया है।
- सदस्य देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 43 प्रतिशत की कटौती और 2035 तक 60 प्रतिशत की कटौती 2019 के स्तर के सापेक्ष करेंगे।
- परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक तीन गुना करने की घोषणा के साथ ही विश्व के देशों को अधिक महत्त्वाकांक्षी और ठोस जलवायु कार्यवाही लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने के लिये अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDCs) को संशोधित एवं सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर इस बैठक में बल दिया गया।
- भारत के नेतृत्व में कॉप 28 में ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस को लॉन्च करने की घोषणा की गई।

## जलवायु वित्तीयन का मुद्दा है सर्वाधिक महत्त्वपूर्णः

- जलवायु वित्तीयन के लिए यह कहा गया कि वर्ष 2025 से पूर्व एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किया जाए। यह लक्ष्य प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से शुरू होगा। 2015 में पेरिस में आयोजित कॉप 21 में इन देशों ने तय किया था कि 100 बिलियन डॉलर की राशि से एक ग्रीन क्लाइमेट फंड तैयार होगा जिसके जरिए विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा इस बात को भी जरूरी समझा गया है कि विकासशील देश एवं छोटे छोटे द्वीपीय देशों के पास ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है जिनसे वे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से निपट सकें एवं समुद्र के बढ़ते जलस्तर के प्रभाव से निपट सकें, इसलिए उन्हें टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर किए जाने पर लंबी चौड़ी बहस कई कॉप समिट्स में हो चुकी है, लेकिन उसका कोई खास परिणाम नहीं निकल सका था। अब इस पर नए सिरे से प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है।

## जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों पर ध्यान देना जरूरीः

- जिस गति से आज विश्व में शहरीकरण बढ़ा है, उससे स्पष्ट है कि आगामी समय में दुनिया की सर्वाधिक आबादी शहरों में होगी। सुविधाओं के बड़े केंद्र के रूप में माने जाने वाले इन शहरों में संसाधनों के ऊपर बोझ भी बढ़ता जा रहा है। अर्बन फ्लड, क्षरित होती आर्द्रभूमियों, विलुप्त होते जीव जंतुओं और वनस्पतियों को बचाने के लिए शहरों की सस्टेनबिलिटी पर ध्यान रखना दुनिया के सभी देशों के लिए जरूरी हो गया है। इसी प्रकार सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जलवायु परिवर्तन की मार से निपटने की मजबूत रणनीति जरूरी है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के क्षरण के साथ कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य से लेकर सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में पर्यावरण बनाम विकास के द्वंद्व को दूर करना होगा।
- इस दिशा में महासागरीय विवादों को दूर करने, ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए सहमति बनाने, अवैध मत्स्यन, समुद्री डकैती, सागरीय कचरे और प्लास्टिक प्रदूषण तथा सागरों पर ग्लोबल वार्मिंग की मार से महासागरों को बचाना जरूरी है। लुप्त होती समुद्री जैवविविधता के लिए राष्ट्रों को बिना शर्त एक साथ आने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से ऐसा किया जाना जरूरी है। सभी राष्ट्रीय कानूनों में महासागरीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रावधान होना चाहिए।

- आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग उत्प्रेरित माइग्रेशन, विस्थापन तथा जलवायु शरणार्थियों की चुनौती बढ़ी है उसके लिए ठोस रणनीति वैश्विक स्तर पर बनानी जरूरी हो गई है। इंडोनेशिया तो समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के चलते अपनी राजधानी भी दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए बाध्य हो गया। दुनिया के कई देश जलवायु असंतुलन के चलते कृत्रिम वर्षा की व्यवस्थाओं में लगने लगे हैं।

## जलवायु परिवर्तन के दौर में जल संसाधन प्रबंधन की जरूरत:

- यूनाइटेड नेशंस का भी अनुमान है कि वर्ष 2050 तक 4 बिलियन लोग जल की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे जिसके चलते जल को लेकर कई संघर्षों को बढ़ावा मिलेगा। यूएन का मानना है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में 31 देश जल की कमी के संकट का सामना कर रहे हैं और 2025 तक 48 देशों को गंभीर जल संकट का सामना करना होगा, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रों से 'वन वॉटर एप्रोच' अपनाने की अपील की है।
- वन वॉटर एप्रोच सभी जल के मूल्य और महत्त्व को मान्यता देता है। जल के स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर किसी भी प्रकार के जल संसाधन के साथ संरक्षण के स्तर पर भेदभाव न करने की बात वन वॉटर एप्रोच की मूल बात है। इसमें जल संरक्षण के लिए विभिन्न समुदायों, बिजनेस लीडर्स, नीति निर्माताओं, एकेडेमिक्स से जुड़े लोग और अन्य साझेदारों को एकीकृत स्तर पर काम करने का आवाहन किया गया है। जल संरक्षण की दिशा में वैश्विक स्तर पर जल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व जल दिवस का भी आयोजन करता है जिसका मुख्य उद्देश्य अब 'सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 की उपलब्धि का समर्थन करके 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता उपलब्ध करना है। सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 अरब लोगों तक जल जागरूकता बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से दुनिया भर के देशों को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ काम करना जरूरी है।

## भूमि संरक्षण हेतु वैश्विक चुनौती:

- संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़े कहते हैं कि हमारी पृथ्वी ग्रह की 40 प्रतिशत तक भूमि का अवमूल्यन (Degradation) हो चुका है। यह प्रत्यक्ष रूप से आधी मानवता को प्रभावित करेगा और ग्लोबल जीडीपी के लगभग 50 प्रतिशत अथवा लगभग 52 ट्रिलियन डॉलर के समक्ष एक खतरा होगा। इसलिए वैश्विक नेताओं ने इस बात का निश्चय किया है कि 2030 तक 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड का रेस्टोरेशन करने के प्रयासों को गति दी जाये। लैंड रेस्टोरेशन से जुड़ी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए इससे जुड़े आंकड़ों के संग्रहण और निगरानी तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता भी अब कुछ राष्ट्रों द्वारा समझी जा रही है। इसी कड़ी में 'ड्रॉट इन नंबर्स 2022' भी यूएनसीसीडी के नेतृत्व में जारी किया जा चुका है जिससे सूखे से निपटने के लिए देशों को अपनी तैयारियां करने में मार्गदर्शन मिल सके। यूएनसीसीडी के कॉप 15 में ड्रॉट प्रीपेयर्डनेस और ड्रॉट रिजीलियेन्स को लेकर ब्लूप्रिंट बनाने के लिए ही ड्रॉट इन नंबर्स 2022 जारी किया गया है।
- यूएनसीसीडी के कॉप 15 में लैंड, लाइफ एंड लीगेसी उद्घोषणा भी जारी की गई जिसमें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निपटान अभिसमय (यूएनसीसीडी) के फ्लैगशिप रिपोर्ट 'ग्लोबल लैंड आउटलुक 2' के निष्कर्षों को अमल में लाने से जुड़ी प्रतिक्रिया दी गई है।

## वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रबंधन में भारत की भूमिका:

- वैश्विक स्तर पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने का दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति में एक लक्ष्य के रूप में विकसित हुआ है जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य सतत विकास, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और विकसित तथा विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक फोरम पर लाना है। भारत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के तहत समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमता सिद्धांत में विश्वास करता है जो जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में विकसित और विकासशील देशों की गैर-भेदभावकारी भूमिका पर बल देता है। भारत द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाली अवसंरचना हेतु एक वैश्विक संगठन के गठन का प्रस्ताव वर्ष 2017 में किया गया जो अब अस्तित्व में आ चुका है।
- भारत समान किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमता (सीबीडीआर-आरसी) सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर बल देता है। इसे ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस के लिए सबसे बड़े विजन के रूप में पेश करता आया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रीन हाउस गैसों व कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सन् 1997 में 'क्योटो प्रोटोकॉल' लाया गया। इसमें 'सीबीडीआर-आरसी (समान किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व और सम्बन्धित क्षमताएँ)' के द्वारा मुख्यत: विकसित देशों की जवाबदेही ग्रीन हाऊस गैसों व कार्बन उत्सर्जन के लिये निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि विगत 150 वर्षों में 80 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिये प्रमुख रूप से विकसित देश ही उत्तरदायी हैं। अत: न्यायसंगत निर्णय करके उन विकसित देशों के कार्बन उत्सर्जन में कटौती और उनके द्वारा विकासशील देशों को तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भूमिका निर्धारित होनी चाहिए।

## भारत की जलवायु परिवर्तन प्रबंधन प्रतिबद्धता:

- 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना।
- 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना।
- अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी।
- 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत की कमी।
- 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना।
- भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य तय करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना तथा उत्सर्जन में कमी नीतियों को लागू करने जैसी सतत विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दिया है।

# अरब सागर में समुद्री डकैती की चुनौती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध भारत

'सागर सुरक्षित हैं तो समृद्धि सुनिश्चित है' ये बात इस समय इसलिए कही जा रही है क्योंकि अरब सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर, बाब अल मंदेव जलसंधि आदि महत्त्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र यमन के हूती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के हमलों का सामना कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात तो ये है कि भारत जैसे शांतिप्रिय देश के समुद्री जहाजों को पिछले कुछ दिनों में हूतियों के ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले सऊदी अरब से भारत के मंगलुरू कच्चा तेल लेकर आ रहे व्यापारिक पोत एमवी केएम प्लूटो पर अरब सागर में भारतीय तट के पास हूतियों द्वारा ड्रोन हमला किया गया। उसके बाद दक्षिण लाल सागर में तेल से भरे समुद्री जहाजों एम वी साईबाबा और एमवी ब्लामानेन पर ड्रोन हमला किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि एमवी साई बाबा भारतीय ध्वज वाला और एमवी ब्लामानेन नार्वे के ध्वज वाला ऑयल टैंकर है जबकि भारत ने साफ किया है कि एमवी साईबाबा भारतीय पोत नहीं है, बल्कि अफ्रीकी देश गैबन के ध्वज वाला पोत है। यहां मूल प्रश्न ये नहीं है कि कौन सा पोत कौन से देश के ध्वज वाला है? मूल प्रश्न ये है कि हिंद महासागर सहित कई समुद्री इलाके समुद्री लुटेरों, अलगाववादी विद्रोहियों तथा क्षेत्रीय राजनीति के एजेंट देशों के निशाने पर आ गए हैं। हिंद महासागर के समुद्री व्यापारिक मार्ग दुनिया के 80 प्रतिशत ऑयल ट्रेड के लिए केंद्रीय धुरी हैं और एनर्जी ट्रेड वाले देशों के लिए यह दुर्भाग्य रहा है कि हिंद महासागर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गल्फ ऑफ अदन तथा रेड सी क्षेत्र के कुछ अराजक तत्वों से प्रभावित होता रहा है। वर्तमान समय में समुद्री डकैती इन क्षेत्रों की एक पहचान बन गई।

- हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि बहुत से देशों की सुरक्षा तथा विकास के लिए जरूरी है। कई महासागर आधारित उद्योगों विशेषकर शिपिंग के लिए हिंद महासागर तो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरूमध्य हो या होरमुज स्ट्रेट, बाब अलमंदेव की खाड़ी हो या फिर यमन की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित अंडमान सागर ये सभी जलराशियां हिंद महासागर की गौरवपूर्ण महत्ता की गवाह हैं।

## समुद्री जहाजों पर हमले के संभावित कारण:

- हिंद महासागर और मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को इस प्रकार की स्थिति के लिए एक जिम्मेदार कारण के रूप में देखा जा सकता है। जब से इजराइल और फिलीस्तीन के बीच युद्ध शुरू हुआ, खासकर इजराइल ने हमास को निशाना बनाया तब से हमास को कई फ्रंट पर सहयोग तथा समर्थन मिला है। ईरान ने हमास को समर्थन दिया और ईरान ही यमन के हूती विद्रोहियों को भी सहयोग देता है। ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह को भी सहयोग तथा वित्तीय समर्थन देने के लिए जाना जाता है। इजराइल के खिलाफ इन सभी ने एकजुट होकर अलग-अलग फ्रंट पर मोर्चा संभाला। इसी क्रम में यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल-फिलिस्तीन विवाद से आगे बढ़ते हुए स्थिति को और जटिल बनाने के लिए लाल सागर तथा बाब अल मंदेव जलसंधि में एनर्जी शिप्स को निशाना बनाने की ठानी। यह सर्वविदित है कि अमेरिका ईरान को शत्रु देश घोषित कर चुका है और उसे नाभिकीय कार्यक्रम से लेकर, मिडिल ईस्ट में टेरर फंडिंग तथा चीन से गठजोड़ के मुद्दे पर फटकार लगाता रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति में अमेरिका को हालिया समय में दिए गए महत्त्व के आधार पर यह आसानी से समझा जा सकता है कि भले ही भारत ईरान संबंध कितने अच्छे रहे हों? लेकिन ईरान को भारत की यूएस के साथ अति नजदीकी रास तो नहीं ही आती होगी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि फारस की खाड़ी, हारमुज जलसंधि, अदन की खाड़ी और बाब अल मंदेव में शांति तथा सुरक्षा के लिए ईरान जैसे देशों को विश्वास में लेना जरूरी है।
- समुद्री लुटेरों और हूतियों के हमलों की संभावना से इस वक्त लाल सागर में अपने जहाज भेजने से दुनिया की कई बड़ी शिपमेंट कंपनियों को डर लग रहा है जिसके चलते शिपमेंट कंपनियों को या तो निर्यात रोकना पड़ रहा है या लंबे रास्तों को अपनाकर सामान पहुंचाना पड़ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनियां मर्स्क, हापग लॉयड और एमएससी की चिंताएं ऐसे घटनाक्रमों से बढ़ना स्वाभाविक भी है और पिछले कुछ सप्ताह में रेड सी में समुद्री यातायात में 35 प्रतिशत की कमी भी देखी गई है। इससे ग्लोबल एनर्जी ट्रेड और सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्फीतिकारी दबाव भी झेलना पड़ सकता है, इसलिए जब मर्स्क जैसी कंपनियों को रेड सी में मल्टीलैटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव 'ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन' की तैनाती का आश्वासन मिला तो इन कंपनियों ने रेड सी में फिर से व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय लिया है। दरअसल पश्चिमी देशों के नेतृत्व में यह पहल इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि रेड सी और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज एशिया को यूरोप तथा यूएस से कनेक्ट करते हैं।

## हिंद महासागर में समुद्री डकैती का मामला:

- सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) द्वारा संकलित हालिया आंकड़ों में कहा गया है कि 2022 में 161 समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती की घटनाएं हुई जो समुद्री क्षेत्र में चिंता का एक प्रमुख कारण बन गई हैं। एक तरफ भारत समुद्री मार्ग से व्यापार और व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले साल हिंद महासागर क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती, तस्करी, अवैध और अनियमित मछली पकड़ने तथा अनियमित मानव प्रवास की 4728 घटनाएं हुई हैं। इस तरह हिंद महासागर के तटीय देश आज एक साथ कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ताजा मामला लाल सागर में समुद्री डकैती से जुड़ा है जिससे निपटने के लिए भारत भी सक्रिय हो गया है। समुद्री डाकुओं द्वारा कुछ ही समय पहले

माल्टा ध्वज वाले मालवाहक जहाज के अपहरण के बाद भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री डकैती रोधी मिशन को तेज कर दिया है। इसके तहत भारत ने अदन की खाड़ी में दूसरा फ्रंटलाइन पोत तैनात कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन-यूकेएमटीओ के पोर्टल पर 14 दिसंबर 2023 की रात को माल्टा के ध्वज वाले जहाज एमवी रुएन (MV Ruen) पर संभावित समुद्री डकैती की घटना के बारे में एक रिपोर्ट की जानकारी मिली थी जिसमें बताया गया कि जहाज पर छह अज्ञात कर्मी सवार थे। अपहृत किये गए जहाज को 17 दिसंबर 2023 को सोमालिया के जल क्षेत्र में (बोसासो से दूर) ले जाया गया।

- चूंकि भारत हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सागर विजन के आधार पर काम करता है, अत: इस घटना की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया हेतु तैनात भारतीय नौसेना का समुद्री गश्ती पोत 15 दिसंबर 2023 को एमवी रुएन जहाज की तलाश में पहुंचा तथा चालक दल के साथ संचार स्थापित किया। इस दौरान 18 सदस्यीय चालक दल (एमवी जहाज पर कोई भी भारतीय सवार नहीं था) में सभी को उस इलाके में सुरक्षित बताया गया। इस घटना पर कार्यवाही करते हुए अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए तैनात आईएनएस कोच्चि को भी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तुरंत रवाना किया गया था।

## आईएनएस कोच्चि की भूमिका:

- आईएनएस कोच्चि ने 16 दिसंबर 2023 को एमवी रुएन को रोकने का प्रयास किया और स्थिति का आंकलन करने के लिए अपना एक महत्त्वपूर्ण हेलीकॉप्टर भेज दिया। चालक दल से यह सूचना मिली थी कि एमवी रूएन जहाज पर आंतरिक ढांचे की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया था और समुद्री लुटेरों ने चालक दल के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया था। वारदात के समय चालक दल के एक सदस्य को चोटें आई थीं। हालांकि अपहृत किये गए एमवी जहाज पर चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई सशस्त्र हस्तक्षेप नहीं किया गया था और समुद्री लुटेरों द्वारा चालक दल के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रयास करते हुए युद्धपोत द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की गई। 16 दिसंबर, 2023 को एक जापानी युद्धपोत भी इस जल क्षेत्र में पहुंचा और बाद में दिन के समय स्पेनिश युद्धपोत ईएसपीएनएस विक्टोरिया द्वारा भी उसे सहायता प्रदान की गई। 16 से 17 दिसंबर 2023 तक सोमालिया की ओर अपने पारगमन के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज को अपहृत जहाज के करीब रखा गया। इस दौरान, समुद्री लुटेरों के साथ उचित रूप से कार्यवाही करते हुए अन्य युद्धपोतों के साथ गतिविधियों का समन्वय किया गया।
- अपहृत किये गए जहाज को 17 दिसंबर 2023 को सोमालिया के जल क्षेत्र में (बोसासो से दूर) ले जाया गया। भारतीय नौसेना का आईएनएस कोच्चि यह सुनिश्चित करने में सफल रहा कि चालक दल के घायल सदस्य को आगे के चिकित्सा उपचार के लिए 18 दिसंबर 2023 की सुबह में समुद्री लुटेरों द्वारा रिहा कर दिया गया। भारतीय नौसेना के जहाज पर अपहृत चालक दल के उस घायल सदस्य की चिकित्सकीय देखभाल की गई, लेकिन तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता के कारण उसे 19 दिसंबर 2023 को ओमान के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया, हालांकि यह जहाज के दायरे से काफी दूर था।
- भारतीय नौसेना ने उपरोक्त घटना को ध्यान में रखते हुए अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में इस इलाके में एक और स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत तैनात किया है। भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में 'सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले' के रूप में व्यापारिक जहाज नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्र में नाविकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।

## समुद्री डकैती को रोकने हेतु संस्थागत उपाय:

- मल्टी-एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप (एमएएमएसजी) समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रयास है। केंद्र सरकार ने समुद्री डकैती रोधी विधेयक भी भारत की संसद में पारित किया है। इसके अलावा इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओसियन कमीशन, इंडियन ओसियन नेवल सिंपोजियम, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोस्ट गार्ड की मीटिंग्स, इंडियन ओसियन कांफ्रेंस में समुद्री डकैती जैसी समस्याओं से निपटने के लिए चर्चा की जाती है। एचएसीजीएएम 23 देशों का एक बहुपक्षीय मंच है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम और एक क्षेत्र यानी हांगकांग (चीन) शामिल हैं।
- एचएसीजीएएम 2004 में टोक्यो में जापान तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया था। यह एकमात्र ऐसा मंच है जहां एशियाई कोस्टगार्ड एजेंसियों के सभी प्रमुख एकत्रित होते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने अक्टूबर, 2022 में एचएसीजीएएम सचिवालय के समन्वय में 18वें एचएसीजीएएम की मेजबानी किया था। 18 देशों और दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 55 प्रतिनिधियों ने एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती तथा सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता सूचना शेयरिंग सेंटर और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम-ग्लोबल मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम (यूएनोडीसी-जीएमसीपी) बैठक में भाग लिया था। चार दिवसीय आयोजन के दौरान, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, समुद्री खोजबीन एवं बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में समुद्री प्रमुखता के मुद्दों पर कार्य-स्तरीय चर्चा तथा उच्च स्तरीय विचार-विमर्श किया गया था। इसके अतिरिक्त एशियन कोस्ट गार्ड के प्रमुखों की इस मण्डली के प्रमुख परिणामों को शामिल करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया गया था।

# भारत के सांस्कृतिक धरोहरों को मिलती नई पहचान: संबंधित मुद्दे और संरक्षण के उपाय

किसी भी देश की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का संरक्षण तथा उन्हें वैश्विक मान्यता मिलना उस देश की सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से जरूरी होता है। इससे देश में सांस्कृतिक साक्षरता का प्रसार भी होता है। भारत ने समय समय पर अपने धरोहरों, कलाकृतियों तथा सांस्कृतिक प्रतीकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए हैं जिसके चलते यूनेस्को जैसी संस्था को समय समय पर भारत के सांस्कृतिक महत्त्व को मान्यता देना एक स्वाभाविक प्रक्रिया जैसा बन गया है।

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने पंजाब के रामबाग गेट तथा प्राचीरों, हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफेनी, दिल्ली के बीकानेर हाउस को शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए हैं। रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस तथा चर्च ऑफ एपीफेनी और बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। विरासत और सांस्कृतिक महत्त्व के भवनों के संरक्षण तथा रखरखाव के प्रयासों के लिये यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार प्रदान करता है। निर्णायक मंडल ने इस वर्ष चीन, भारत और नेपाल से कुल 12 परियोजनाओं को इन पुरस्कारों के लिए चयन किया है।
- इसके अतिरिक्त भारत को अमूर्त धरोहरों के संदर्भ में भी हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना के कसाने में 5 दिसंबर से 9 दिसंबर, 2023 तक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक संपन्न हुई थी जिसमें भारत के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यूनेस्को ने 'गुजरात के गरबा' को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां धरोहर है। यह उपलब्धि सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली एक एकीकृत शक्ति के रूप में गरबा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। एक नृत्य शैली के रूप में गरबा धार्मिक और भक्ति की जड़ों में गहराई से समाया हुआ है जिसमें सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। गरबा समुदायों को एक साथ लाने वाली एक जीवंत परंपरा के रूप में विकसित हो रहा है। यह उपलब्धि हमारी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा, प्रचार और संरक्षण के प्रति भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की प्रतिबद्धता तथा प्रयासों पर प्रकाश डालती है।

## सांस्कृतिक पुरातात्विक धरोहर संरक्षण के मार्ग में चुनौतियां:

- धरोहर संरक्षण के मार्ग में कई चुनौतियां विद्यमान रही हैं जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन का होना जरूरी है, लेकिन कई अवसरों पर देखा गया है कि पुरातात्विक स्थल, स्मारकों तथा धरोहरों के संरक्षण के वित्तीय सहायता की कमी रही है। स्मारकों का रख रखाव, उनका जीर्णोद्धार कराने, उनके सौंदर्यीकरण करने तथा इलाके को प्रदूषण रखने के मामलों में वित्तीय संसाधनों का अभाव एक चुनौती रही है। स्मारक या धरोहर क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मार्ग में बाधा के रूप में दिखाई देती रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की समस्या यह है कि ऐतिहासिक इमारतों पर होने वाले अतिक्रमण का सामना वह कैसे करे? उसके पास न तो कोई दंडात्मक अधिकार हैं, न अतिक्रमण हटाने में सक्षम सरकारी मशीनरी। वह केवल नोटिस जारी करता है और दिल्ली नगर निगम या इसी प्रकार की किसी संस्था से अनुरोध करता है कि वह अतिक्रमण हटवाए। इसके लिए अक्सर पुलिस बल की जरूरत होती है जो उपलब्ध नहीं होता।
- आम तौर पर नगर निगमों की रुचि अतिक्रमण करने वाले के हितों के संरक्षण में होती है, पुरानी इमारतों के संरक्षण में नहीं। नतीजा यह होता है कि देखते-देखते इमारतें नष्ट होती जाती हैं या फिर जो बची भी रहती हैं, उनके समुचित संरक्षण के लिए पैसा नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विशिष्ट प्रकृति को नजरअंदाज करके उसके साथ किसी भी अन्य सरकारी विभाग की तरह बर्ताव किया जाता है। उसे टेंडर के जरिए संरक्षण का काम करने वाले ठेकेदार को चुनना होता है। स्पष्ट है जो सबसे कम लागत लगाएगा, उसके काम की गुणवत्ता भी लागत के अनुरूप ही होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए संरक्षण के काम की इसीलिए अक्सर आलोचना भी की जाती रही है।

## भारत द्वारा धरोहर संरक्षण के लिए किए गए प्रयास:

- किसी भी देश के विकास में कला का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। यह साझा दृष्टिकोण मूल्य, प्रथा एवं एक निश्चित लक्ष्य को दिखाता है। सभी आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य गतिविधियों में संस्कृति तथा रचनात्मकता का समावेश होता है। विविधताओं का देश भारत अपनी इन्हीं विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। भारत में गीत-संगीत, नृत्य, नाटक-कला, लोक परंपराओं, कला-प्रदर्शन, धार्मिक-संस्कारों एवं अनुष्ठानों, चित्रकारी तथा लेखन के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है जो मानवता की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' के रूप में जाना जाता है। इनके संरक्षण हेतु संस्कृति मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को कार्यान्वित किया है जिसका उद्देश्य कला-प्रदर्शन, दर्शन तथा साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों, समूहों एवं सांस्कृतिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

## प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958:

- यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातात्त्विक स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों के संरक्षण, पुरातात्त्विक खुदाई के विनियमन और मूर्तियों, नक्काशी एवं अन्य ऐसी वस्तुओं के संरक्षण के लिये उपबंध करता है।

## राष्ट्रीय संस्कृति कोष की स्थापना:

- भारत सरकार ने विरासत एवं धरोहर स्थलों का संरक्षण करने और भारत की सांस्कृतिक सम्पदा के समग्र प्रचार के उद्देश्य

से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 के तहत एक न्यास के रूप में वर्ष 1996 में राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एनसीएफ) की स्थापना की थी। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत राष्ट्रीय संस्कृति कोष द्वारा अनुमोदित सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा नियमित रूप से परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है।

## अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की पुष्टि:

- भारत ने सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की पुष्टि की। इस कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले सबसे शुरुआती राष्ट्र दलों में से एक के रूप में भारत ने अमूर्त विरासत से संबंधित मामलों के प्रति खासी प्रतिबद्धता दिखाई है और अन्य राष्ट्र दलों को इसकी पुष्टि करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 15 धरोहरों के साथ भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी उच्च स्थान पर है। 2021 में दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किए जाने के बाद भारत ने 2023 में विचार किए जाने के लिए गुजरात के गरबा का नामांकन प्रस्तुत किया था जिसे यूनेस्को ने मान्यता दी।
- भारत ने इस कन्वेंशन की अंतर-सरकारी समिति के सदस्य के रूप में दो कार्यकाल पूरे किए हैं। एक 2006 से 2010 तक और दूसरा 2014 से 2018 तक। अपने 2022-2026 के कार्यकाल के लिए भारत ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट विजन तैयार किया है। भारत जिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा उनमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, अमूर्त विरासत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और कन्वेंशन के कार्यों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप मिलाना शामिल है। इस विजन को चुनाव से पहले कन्वेंशन के अन्य राष्ट्र दलों के साथ भी साझा किया गया था।
- सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण एक संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। भारतीय संविधान में इसके लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 संसद द्वारा अधिनियमित विधि के अंतर्गत या इसके द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्त्व के प्रत्येक स्मारक या स्थल अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तु की रक्षा करने का दायित्व राज्य को सौंपता है। मूल कर्त्तव्य के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्त्व देना और उसे संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा।

# इसरो की उपलब्धियों की समीक्षा

*"2013 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रक्षेपण के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन में एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछा कि जब लाखों लोग गरीबी में हैं तो भारत को मंगल ग्रह पर मिशन क्यों भेजना चाहिए? तब इसरो के अध्यक्ष के. राधाकृष्णन ने उन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम के लाभों के बारे में बताया। अंतरिक्ष अनुसंधान के कुछ बहुत स्पष्ट लाभ हैं जैसे-दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, जीपीएस, जल निकायों और खनिजों का पता लगाना इत्यादि। मंगल ग्रह पर जाना या चंद्रमा पर उतरना कई लोगों द्वारा एक व्यर्थ परियोजना के रूप में देखा जाता है। कम ही लोग जानते हैं कि इसरो का सबसे अस्पष्ट शोध भी आखिरकार आपके घर, कार्यस्थल या कारखाने में एक बेहद उपयोगी उत्पाद या प्रक्रिया के रूप में कर सकता है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष यान में उपकरणों को संचालित करने हेतु इसरो द्वारा विकसित एक रोबोटिक तकनीक का उपयोग अंततः स्मार्ट कृत्रिम अंग बनाने के लिए किया जा सकता है।*

## सन्दर्भ:

- हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने डीडी न्यूज के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पिछले दशक में 397 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है जिससे 441 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित हुआ है।
- आज तक इसरो ने 432 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए हैं जिनमें से 397 (91 प्रतिशत) पिछले 10 साल की अवधि में लॉन्च किए गए हैं। यूएसए (231), यूके (86) और सिंगापुर (20) इस क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के शीर्ष तीन लाभार्थी हैं।

## इसरो का विकास:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह अंतरिक्ष विभाग (DoS) की प्राथमिक अनुसंधान और विकास शाखा के रूप में कार्य करता है जिसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसरो के अध्यक्ष DoS के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। इसरो मुख्य रूप से अंतरिक्ष-आधारित संचालन, अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है।
- इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) के रूप में जाना जाता था जिसे अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को पहचानते हुए 1962 में डॉ. विक्रम साराभाई के सुझाव पर जवाहरलाल नेहरू के अधीन स्थापित किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अंतर्गत INCOSPAR विकसित हुआ जो 1969 में इसरो बन गया। 1972 में भारत सरकार ने इसरो को इसके अधीन लाते हुए एक अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की जिसका मुख्यालय बैंगलोर (कर्नाटक) में स्थित है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष श्रीधर सोमनाथ हैं।
- लगभग छह दशकों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश को विदेशी प्रक्षेपण वाहनों पर निर्भर देश से अपनी स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमताओं के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनते देखा है। भारत ने न केवल अपने उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता विकसित की है, बल्कि अन्य देशों के लिए उपग्रहों को लॉन्च करने हेतु अपनी सेवाएं भी बढ़ाई हैं।

## इसरो की उपलब्धियां:

- इसरो दुनिया की छह सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है जिसके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमताएं हैं जो क्रायोजेनिक इंजन तैनात कर सकते हैं, अतिरिक्त-स्थलीय मिशन लॉन्च कर सकते हैं और कृत्रिम उपग्रहों का एक बड़ा बेड़ा संचालित कर सकते हैं। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया जिसे 1975 में सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी इंटरकोस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया था। 1980 में इसरो ने एसएलवी-3 पर उपग्रह आरएस-1 लॉन्च किया जिससे भारत कक्षीय प्रक्षेपण करने में सक्षम होने वाला सातवां देश बन गया। एसएलवी-3 के बाद एएसएलवी आया जो बाद में कई मध्यम-लिफ्ट लॉन्च वाहनों, रॉकेट इंजन, उपग्रह प्रणालियों और नेटवर्क के विकास में सफल रहा। इससे एजेंसी को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सैकड़ों घरेलू और विदेशी उपग्रहों तथा विभिन्न गहरे अंतरिक्ष मिशनों को लॉन्च करने में सक्षम बनाया गया।
- इसरो के पास रिमोट-सेंसिंग उपग्रहों का दुनिया का सबसे बड़ा समूह है जो GAGAN और IRNSS (NavIC) उपग्रह नेविगेशन सिस्टम संचालित करता है।
- **एस्ट्रोसैट:** भारत की पहली मल्टी-वेवलेंथ वेधशाला जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य, अल्ट्रा-वायलेट और एक्स-रे क्षेत्रों में ब्रह्मांड को एक साथ देखने में सक्षम है, अपने 5 पेलोड के साथ सफलतापूर्वक नियोजित कक्षा में लॉन्च की गई थी।
- **मंगल ऑर्बिटर मिशन:** मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम), मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन 05 नवंबर, 2013 को पीएसएलवी-सी25 पर लॉन्च किया गया था। इसरो मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई।
- अपनी उनतीसवीं उड़ान (पीएसएलवी-सी37) में इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 15 फरवरी, 2017 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से 103 सह-यात्री उपग्रहों के साथ 714 किलोग्राम वजनी कार्टोसैट-2 शृंखला उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
- इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन और स्टेज के साथ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) की लगातार चार सफल उड़ानों के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक की विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया है।
- GSLV MKIII (LVM3-X) की पहली प्रायोगिक उड़ान 18 दिसंबर 2014 को सफलतापूर्वक लॉन्च की गई थी।

- पहली विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक लॉन्च की गई थी जिसमें 3136 किलोग्राम के संचार उपग्रह (जीएसएटी19) को 05 जून, 2017 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इंजेक्ट किया गया था। जीएसएटी-19 किसी भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह है।
- भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) समूह के सात उपग्रहों को 1 जुलाई, 2013 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस तारामंडल का पुन: नामकरण 'NavIC' के रूप में 28 अप्रैल 2016 को किया गया। IRNSS-1(I) तारामंडल में शामिल होने वाला आठवां सदस्य है जिसे 12 अप्रैल, 2018 को PSLV-C41 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।
- जून 2018 में भारत ने सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और असेंबली, एकीकरण तथा परीक्षण (एआईटी) पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के संयोजन के माध्यम से नैनोसैटेलाइट विकास पर एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्नति (इसरो द्वारा यूनीस्पेस नैनोसैटेलाइट असेंबली और प्रशिक्षण) की घोषणा की।
- भारत का चंद्रमा पर दूसरा मिशन (चंद्रयान-2) 22 जुलाई, 2019 को GSLV Mk III-M1 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।
- दिसंबर 2019 में PSLV-C48/RISAT-2BR1 का प्रक्षेपण, वर्कहॉर्स लॉन्च वाहन PSLV का 50वां प्रक्षेपण था।
- 2019 में इसरो ने सरकार के दृष्टिकोण 'जय विज्ञान, जय अनुसंधान' के अनुरूप, 'यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम' या 'युवा विज्ञानी कार्यक्रम' (युविका) नामक एक वार्षिक विशेष कार्यक्रम शुरू किया।
- 7 मार्च, 2023 को प्रशांत महासागर में निष्क्रिय मेघा ट्रॉपिक्स-1 (MT-1) उपग्रह के लिए एक नियंत्रित प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया जो बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में देश के निरंतर प्रयासों को प्रदर्शित करता है।
- LVM3 M3/वनवेब इंडिया-2 मिशन 26 मार्च, 2023 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया जिसमें 36 वनवेब उपग्रहों को उनकी इच्छित कक्षा में स्थापित किया गया। इसके साथ एनएसआईएल ने वनवेब के 72 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के अपने अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित किया।
- LVM3/M4 ने 14 जुलाई, 2023 को चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
- ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C57) ने 2 सितंबर, 2023 को आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला वर्ग का भारतीय सौर मिशन है।

## अंतरिक्ष एवं इसरो का व्यवसायीकरण:

- 2019 में न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में शामिल किया गया था।
- 26 जून, 2020 को भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों की घोषणा की जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी फार्मों की बढ़ी हुई भागीदारी और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का एक बड़ा परिवर्तन है।
- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (आईएन-स्पेस) की स्थापना तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की भूमिका को बढ़ाना सुधार के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। IN-SPACe की स्थापना की घोषणा जून 2020 में भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में की गई थी।
- IN-SPACe की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विस्तृत दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में NGE की गतिविधियों को अधिकृत तथा विनियमित करके उद्योग, शिक्षा और स्टार्ट-अप का एक इको-सिस्टम बनाना तथा वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में प्रमुख हिस्सेदारी आकर्षित करना है। अहमदाबाद में IN-SPACe मुख्यालय का उद्घाटन जून 2022 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।

## भारत की प्रगति में इसरो का महत्त्व:

- भारत अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास में संपूर्ण क्षमताओं वाले अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों में पांचवें स्थान पर है जिसमें हमारी अपनी भूमि से लॉन्च करने तथा पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और नेविगेशन तथा जमीनी बुनियादी ढांचे के कार्यक्रमों को संचालित करने की क्षमता भी शामिल है।
- अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति के लिए इसरो की परियोजना से बड़ी संख्या में स्पिनऑफ तकनीकें प्राप्त होंगी जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाएंगी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति ने समाज में विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संचार, प्रसारण, आपदा प्रबंधन तथा भूमि और जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है।

## निष्कर्ष:

अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत से हमने अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं और इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को लगातार आगे बढ़ाया है तथा राष्ट्र को वैश्विक केंद्र मंच पर पहुँचाया है। चंद्रयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान) और आदित्य एल1 के सौर अन्वेषण से भारत ने दिखाया है कि आकाश की सीमा नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। संचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने से लेकर रिमोट सेंसिंग और मौसम पूर्वानुमान को सक्षम करने तक हमारे अंतरिक्ष प्रयासों के माध्यम से देश की विकास संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने के बाद, यह स्वाभाविक है कि अब हम निर्णायक रूप से अपना ध्यान ग्रहों की खोज और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के अज्ञात क्षेत्रों की ओर केंद्रित कर रहे हैं।

# मातृत्व लाभ और महिलाओं के अवकाश से जुड़े संवेदनशील मुद्दे और सरकार की नीति

- भारत जैसे देश में महिला अधिकारों से जुड़ा एक प्रमुख मुद्दा मातृत्व लाभ का रहा है। इसके पीछे मुख्य आधार यह रहा है कि स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु देश के विकास के लिए जरूरी हैं। यह सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय तथा बाल अधिकार संरक्षण सभी को एक साथ दिशा देने वाली पहल है, लेकिन समय समय पर कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां मातृत्व लाभ या महिलाओं को मिलने वाले अन्य लाभों की सीमा तय करने की बहस छिड़ी है। अभी हाल ही में दिल्ली मैटरनिटी लीव पर गई एक महिला की सेवा समाप्त करने का मामला सामने आया जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि मातृत्व लाभ देने से इंकार करना अमानवीय और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। कोर्ट की यह टिप्पणी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा मैटरनिटी लीव पर गई एक महिला संविदा कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने के फैसले को मनमाना करार देते हुए की गई। इस पर उच्च न्यायालय ने मुआवजा देने को भी कहा है। जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि महिला की सेवाएं (जिसने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है) बिना किसी नोटिस के समाप्त करने की संस्थान की कार्यवाही को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। किसी महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ देने से केवल इसलिए इंकार नहीं किया जा सकता कि उसकी नियुक्ति संविदा पर थी। चूंकि महिला की सेवा को 'अवैध रूप से समाप्त' किया गया था, इसलिए जज ने अधिकारियों को उसे बहाल करने और मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
- उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता को 2018 में तदर्थ आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक महिला परिचारक के रूप में तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय को बताया गया कि उसके मातृत्व अवकाश को अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी गई थी, लेकिन अवकाश की अवधि के दौरान उसे अपना वेतन नहीं मिला और दोबारा काम पर लौटने पर उसे बताया गया कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक 26 हफ्ते की 'पेड मैटरनिटी लीव' उन महिलाओं को दी जानी चाहिए जो संविदा या तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं।

## 'पेड मैटरनिटी लीव' का मुद्दा:

- बिहार के क्षेत्रीय दल आरजेडी के सांसद द्वारा भारत की महिला और बाल विकास मंत्री से संसद में सवाल पूछा गया कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अनिवार्य तौर पर पेड लीव देने को लेकर क्या किया गया है? 1990 के दशक की शुरुआत में बिहार पहला राज्य बना था जिसने मासिक धर्म के दौरान छुट्टी दी थी। उसके बाद केरल भी उसी रास्ते पर चला। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा राज्य सभा में कहा गया है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी मिलनी जरूरी नहीं है।
- मासिक धर्म को दौरान महिलाओं को छुट्टी देने की किसी पॉलिसी की जरूरत को खारिज करते हुए उनका कहना था कि मासिक धर्म को एक महिला की जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा माना जाना चाहिए, यह कोई विकलांगता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इस बात की लंबे समय से मांग होती रही है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अनिवार्य तौर पर छुट्टी दी जानी चाहिए। हालांकि इस विचार का यह कहकर विरोध भी किया जाता है कि इससे नियोक्ता महिलाओं को नौकरी पर रखने से हिचकेंगे और अनिवार्य छुट्टी महिलाओं के ही हितों के खिलाफ जाएगी।

## संसद की स्थाई समिति की पेड मेंस्ट्रूअल लीव पर सिफारिश:

- कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि कार्मिक मंत्रालय को हितधारकों से बात करके एक 'मासिक धर्म अवकाश' नीति बनानी चाहिए जिसमें माहवारी के समय परेशानियों का सामना करने वाली महिलाओं को छुट्टी की अनुमति हो। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का संज्ञान लिया है कि मासिक धर्म से ज्यादातर महिलाओं को कमजोरी का अनुभव होता है और कार्यस्थल पर उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। हालांकि कार्मिक मंत्रालय का कहना है कि महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष 'मासिक धर्म अवकाश' स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा है जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे अच्छी तरह विचार कर सकता है।

## भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति पर कार्य:

- भारत में जहां सरकारी स्तर पर इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ कंपनियों ने मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ पेश की हैं जिसमें जोमैटो भी शामिल है जिसने वर्ष 2020 में प्रतिवर्ष 10 दिन की सवेतन अवधि के अवकाश की घोषणा की थी। स्विगी और बायजू जैसी अन्य कंपनियों ने भी इसका अनुसरण किया है। बिहार और केरल मात्र ऐसे भारतीय राज्य हैं जिन्होंने महिलाओं हेतु मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ पेश की हैं। बिहार की नीति वर्ष 1992 में पेश की गई थी जिसमें महिला

कर्मचारियों को प्रत्येक महीने दो दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जाता था। केरल ने भी घोषणा की कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के तहत विश्वविद्यालयों में छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्त्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। केरल के एक विद्यालय ने भी इसी प्रकार की प्रणाली शुरू की है।

## मासिक धर्म अवकाश को बढ़ावा देने वाले देश:

- महिलाओं को कुछ देशों में पेड पीरियड्स लीव मिलती हैं। भारत में भी अब इसकी मांग उठने लगी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 24 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत मसला है। कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता सरकार के पास महिला और बाल विकास मंत्रालय को अपनी मांग के साथ ज्ञापन दे। कई देश जैसे स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जाम्बिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम में पेड पीरियड्स लीव का प्रावधान है। स्पेन पहला यूरोपीय देश है जो महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म में सवेतन अवकाश प्रदान करता है जिसमें प्रतिमाह तीन दिन का अवकाश अधिकार शामिल है जिसे बढ़ाकर पाँच दिन किया जा सकता है। इंडोनेशिया ने महिलाओं को नोटिस दिए बिना प्रति माह दो दिन की पेड लीव, पीरियड्स में लेने की अनुमति देने वाला कानून स्थापित किया। ताइवान में रोजगार में लैंगिक समानता का अधिनियम महिलाओं को प्रति वर्ष तीन दिनों के मासिक धर्म की छुट्टी देता है। उन्हें वैधानिक 30 दिनों के बीमार अवकाश से नहीं काटा जाता है। जाम्बिया ने 2015 में एक नियम को मंजूरी दी जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बिना नोटिस दिए या डॉक्टर का नोट दिए बिना एक दिन काम से छुट्टी लेने का अधिकार दिया गया है।

## मातृत्व लाभ के लिए उठाए गए कदम:

### प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

- हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न हितधारकों के लिए एक विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल जारी किया गया था, साथ ही इस कार्यक्रम में नए पीएमएमवीवाई पोर्टल को लॉन्च किया गया। पीएमएमवीवाई 'ए सैल्यूटेशन टू मदरहुड' के इस अवसर पर 5.68 लाख प्रथम-बाल लाभार्थियों के लिए कुल 173.8 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ नकद अंतरण जारी किया गया। पहली बार दूसरी बालिका की 2.46 लाख माताओं को कुल 147.8 करोड़ रुपये का लाभ जारी किया गया। इस अवसर पर 8,14,612 लाभार्थियों को कुल 321.57 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष नकद अंतरण जारी हुआ। स्थापना के बाद से 3.19 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14,424.57 करोड़ रुपये से अधिक के कुल वितरण के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) और 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति के एक घटक के रूप में संशोधित पीएमएमवीवाई 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मजदूरी हानि के आंशिक मुआवजे के लिए नकद प्रोत्साहन देना ताकि महिलाएं बच्चे के जन्म से पूर्व और पश्चात् पर्याप्त आराम कर सकें तथा गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार करना है। पीएमएमवीवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सुचारु धन हस्तांतरण सुनिश्चित करने वाले नागरिक-अनुकूल अनुभव को प्राथमिकता देते हुए तकनीकी उत्कृष्टता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम-1961, जिसे मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित किया गया है, अन्य बातों के अलावा 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में महिला श्रमिकों को सवैतनिक मातृत्व अवकाश और शिशु गृह (Creche) सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत सरकार ने सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। इसमें से आठ सप्ताह से अधिक का अवकाश अपेक्षित प्रसव की तारीख से पहले नहीं होगा। इसके अलावा किसी महिला को सौंपे गए काम की प्रकृति के आधार पर यह अधिनियम ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर घर से काम करने का प्रावधान करता है जिस पर नियोक्ता तथा महिला आपसी रूप से सहमत हो सकते हैं।

SUBSCRIBE TO OUR
YOUTUBE CHANNEL
DHYEYA TV QR
BATEN UP KI QR

# सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां: मूल्यांकन और ओवरहालिंग की आवश्यकता

*'जहां मन भयमुक्त हो और सिर ऊंचा हो...स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, मेरे पिता, मेरे देश को जागने दो।'- रवीन्द्रनाथ टैगोर*

उपरोक्त उद्धरण आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, अध्याय 3 की शुरुआत में अंकित है जो दर्शाता है कि कैसे भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग देश की बुनियादी बातों को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां अब वित्तीय क्षेत्र में अभिन्न अंग बन गई हैं जो ऋण चाहने वाली या बांड जारी करने वाली संस्थाओं के लिए ऋण जोखिम का मूल्यांकन करती हैं। ये निजी कंपनियाँ इतनी महत्त्वपूर्ण हैं कि संभावित उधारकर्ताओं को अक्सर पूंजी बाजार में धन जुटाने से पहले उनकी रेटिंग की आवश्यकता होती है। ये रेटिंग ऋणदाताओं को उधारकर्ता की साख के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं जिससे वित्तपोषण के लिए दी जाने वाली ब्याज दरों पर प्रभाव पड़ता है।
- सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग विशेष रूप से फिच, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स जैसी प्रमुख एजेंसियों से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से वित्तीय संसाधन चाहने वाले देशों के लिए प्रमुख महत्त्व रखती हैं। वर्तमान में इन प्रमुख एजेंसियों द्वारा लगभग 120 देशों की रेटिंग की जाती है जो उनकी विकास वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण बाजारों पर राष्ट्रों की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। क्रेडिट रेटिंग वाले देशों में वृद्धि किसी संप्रभु के क्रेडिट जोखिम के विश्वसनीय उपाय के रूप में इन एजेंसियों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाती है। हालाँकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का विश्लेषण करने से विभिन्न मुद्दों का पता चलता है।
- इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने 'री-एग्जामिनिंग नैरेटिव्स: ए कलेक्शन ऑफ एसेज' शीर्षक से एक दस्तावेज का अनावरण किया। इनमें से कुछ निबंध सॉवरेन रेटिंग निर्धारित करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई गई 'अपारदर्शी कार्यप्रणाली' पर प्रकाश डालते हैं।

## क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (सीआरए) क्या हैं?

- क्रेडिट रेटिंग सामान्य शब्दों में किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में उधारकर्ता की साख का आंकलन है। क्रेडिट रेटिंग किसी भी इकाई को सौंपी जा सकती है जो किसी व्यक्ति, निगम, राज्य या प्रांतीय प्राधिकरण या संप्रभु सरकार से पैसा उधार लेना चाहती है।
- दूसरी ओर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) एक ऐसी कंपनी है जो समय पर मूलधन और ब्याज भुगतान करके ऋण चुकाने की देनदार की क्षमता तथा डिफॉल्ट की संभावना का मूल्यांकन करती है।
- विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तीन मुख्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जिसमें मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच शामिल हैं।
- इसमें मूडीज सबसे पुराना है जिसकी स्थापना 1900 में हुई थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले अपनी पहली संप्रभु रेटिंग जारी की थी। 1920 के दशक में एस एंड पी के पूर्ववर्ती, पुअर्स पब्लिशिंग एंड स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स ने सरकारी बांडों की रेटिंग शुरू की थी।

## प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धतियाँ:

- हालाँकि स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी), मूडीज और फिच के रेटिंग पैमाने अलग-अलग हैं, लेकिन वे इस तरह से मेल खाते हैं जिससे तुलना करना आसान हो जाता है। वे 'उच्चतम गुणवत्ता' से 'निम्नतम रेटिंग/डिफॉल्ट' तक रेटिंग देने के लिए अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं।
- गैर-निवेश ग्रेड ऋणों के लिए वे उन चीजों पर बारीकी से नजर रखते हैं जो इसे सुरक्षित बना सकती हैं (जैसे संपत्ति या समझौते) या जोखिम भरा (जैसे कोई सुरक्षा नहीं या कमजोर समझौते) अगर चीजें गलत हो जाती हैं, तो कंपनी पैसे वापस नहीं कर पाती है।

## पद्धतियों से संबंधित मुद्दे:

- आमतौर पर रेटिंग एजेंसियां किसी सॉवरेन को रेटिंग देने के लिए विभिन्न मापदंडों का उपयोग करती हैं और आधे से अधिक क्रेडिट रेटिंग गुणात्मक घटक द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इनमें विकास दर, मुद्रास्फीति, सरकारी ऋण, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक विदेशी ऋण और राजनीतिक स्थिरता शामिल हैं।
- कॉर्पोरेट रेटिंग के विपरीत सॉवरेन रेटिंग, भुगतान करने की क्षमता (समष्टि आर्थिक प्रदर्शन) की तुलना में सॉवरेन के शासन और संस्थागत गुणवत्ता पर अधिक जोर देती है। यह जोर कम आय वाले देशों से विश्वसनीय डेटा की खरीद के साथ रेटिंग एजेंसियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई से उत्पन्न होता है। डिफॉल्ट की संभावना की गलत भविष्यवाणी से जुड़ी प्रतिष्ठित लागत, संस्थागत ताकत और कानून के शासन के गुणात्मक मूल्यांकन पर अधिक जोर देती है जितना कि वे अन्यथा कर सकते थे। हालाँकि ये कारक निम्न चुनौतियाँ पैदा करते हैं:
  - **अपारदर्शिता:** क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ऐसे तरीकों का उपयोग करती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है और ऐसा लगता है कि इससे विकासशील देशों को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, फिच जैसी बड़ी एजेंसियों के दिशानिर्देश उन देशों के पक्ष में हैं जहां बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों के पास बैंक हैं। उन्हें सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों पर इतना भरोसा नहीं है।
  - **विशेषज्ञों के चयन में गैर-पारदर्शिता:** रेटिंग मूल्यांकन के लिए आम तौर पर जिन विशेषज्ञों से सलाह ली जाती है, उनका चयन गैर-पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
  - **मापदंडों के लिए कोई निर्दिष्ट भार का न होना:** ये एजेंसियां स्पष्ट रूप से नहीं बताती हैं कि रेटिंग तय करने में प्रत्येक कारक कितना महत्त्वपूर्ण है, जबकि फिच यह दिखाने के लिए कुछ संख्याएँ प्रदान करता है कि प्रत्येक कारक का कितना महत्त्व हो सकता है? इसने यह भी उल्लेख किया है कि ये संख्याएँ केवल उदाहरण हैं, सटीक मान नहीं।

## अपारदर्शिता के निहितार्थ:

- सभी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड में से 95 प्रतिशत से अधिक ने

विकासशील देशों को प्रभावित किया है, भले ही उनके आर्थिक संकुचन उनके उन्नत अर्थव्यवस्था समकक्षों की तुलना में कम गंभीर थे। यह पैटर्न इस धारणा को बढ़ावा देता है कि रेटिंग निर्णय गलत तरीके से विकासशील देशों के खिलाफ होते हैं जिससे इस आंकलन की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है।

- 2020 और 2022 के बीच तीन बड़ी एजेंसियों द्वारा रेटिंग किए गए आधे से अधिक अफ्रीकी देशों को डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान केवल 9 प्रतिशत यूरोपीय राष्ट्रों को डाउनग्रेड का सामना करना पड़ा।
  - हाल ही में ध्वस्त हुए सिलिकॉन वैली बैंक ऑफ अमेरिका का संक्षिप्त उल्लेख यहां करना आवश्यक है। 2023 के लिए एसएंडपी के वैश्विक बैंक आउटलुक में, जिसने अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र को अच्छी स्थिति में माना, दिसंबर की शुरुआत में प्रकाशित मूडीज के वार्षिक आउटलुक ने इसी तरह की भविष्यवाणियां कीं।
  - इसके अलावा, कुछ बंधक प्रतिभूतियों के लिए अति-आशावादी रेटिंग ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट को बढ़ावा देने में मदद की। लेहमैन ब्रदर्स ने दिवालियापन होने से कुछ दिन पहले तक खुद ही ठोस रेटिंग दी थी। एसएंडपी ने बाद में कहा कि वॉल स्ट्रीट का लेहमैन में तेजी से भरोसा खोने का अनुमान लगाना मुश्किल होगा।
- विकासशील देशों की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट ने वैश्विक वित्तीय बाजारों से सस्ती तथा दीर्घकालिक फंडिंग प्राप्त करने की उनकी क्षमता में बाधाएं पैदा कर दी हैं। रेटिंग प्रक्रिया में अक्सर किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता की रेटिंग करते समय धारणाओं, सीमित संख्या में विशेषज्ञों की राय और अस्पष्ट तरीकों से सर्वेक्षण जैसे गैर-पारदर्शी पहलुओं का उपयोग करना शामिल होता है।
- प्रारंभ में, आधार रेटिंग का अनुमान लगाने के लिए किसी देश के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित मात्रात्मक माप का उपयोग किया जाता है। हालाँकि, अंतिम रेटिंग प्रक्रिया के दौरान इन ठोस मापों को अक्सर व्यक्तिपरक राय द्वारा खारिज कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि विकासशील देशों के लिए अंतिम प्रकाशित रेटिंग लगभग अपरिवर्तित रह सकती है, भले ही उनकी वास्तविक आर्थिक स्थितियों में महत्त्वपूर्ण सुधार हों।

## भारतीय संदर्भ में:

- पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत की रेटिंग बीबीबी पर स्थिर रही, इसके बावजूद कि यह 2008 में दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर 2023 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी। इस अवधि के दौरान सभी तुलना की गई अर्थव्यवस्थाओं के बीच दूसरी सबसे ऊंची विकास दर दर्ज की गई।
- 1991 में भारत के भुगतान संतुलन संकट के दौरान, एजेंसियों ने तेजी से संप्रभु रेटिंग को कम कर दिया। इस प्रकार आयात के माध्यम से तेल खरीदने या भुगतान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों या बैंकों के माध्यम से छोटी अवधि के लिए विदेश से धन जुटाने की देश की क्षमता कम हो गई।
- 1998 में, जब भारत ने विश्व को बताया कि उसने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया है, तो रेटिंग एजेंसियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की जिससे उधारी प्रभावित हुई।

## ऐसी रेटिंग का भारत पर प्रभाव:

- कई देश धन जुटाने के लिए वैश्विक ऋण या क्रेडिट बाजार का सहारा लेते हैं। वैश्विक बैंक या उनके निवेश बैंक अक्सर दावा करते हैं कि अपने निवेशक आधार में विविधता लाना महत्त्वपूर्ण है, चाहे वह कंपनियां हों या सरकारें, ऐसे उधार कार्यक्रमों में एक संकीर्ण सेट की खरीदारी के जोखिम को कम करने तथा बेचने या बाहर निकलने का जोखिम कम करना होता है। इसने अब तक कोई बांड जारी नहीं किया है या सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा नहीं जुटाया है जिसका मतलब है कि काफी हद तक डाउनग्रेड का सीमित प्रभाव पड़ता है, बल्कि इसका प्रभाव लगभग पूरी तरह से निजी कंपनियों या राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा महसूस किया जाता है जो विदेशी मुद्रा निधि जुटाते हैं।

## आगे की राह:

- **गुणात्मक प्रभुत्व को संतुलित करना:** क्रेडिट रेटिंग व्यक्तिपरक कारकों से काफी प्रभावित होती है जो अक्सर किसी देश के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों में सुधार को दरकिनार कर देती है जिससे विकासशील देशों के लिए वैश्विक मंचों पर किफायती उधार लेने में बाधाएं पैदा होती हैं।
- **ऐतिहासिक चुकौती रिकॉर्ड:** किसी देश की ऋण चुकौती के प्रति प्रतिबद्धता का मूल्यांकन उसके बाहरी ऋण चुकौती के इतिहास के माध्यम से बेहतर ढंग से किया जा सकता है। आर्थिक उतार-चढ़ाव के बावजूद कभी भी चूक न करने का लगातार रिकॉर्ड एक मजबूत 'भुगतान करने की इच्छा' को दर्शाता है जो विभिन्न ऋण चूक और उनके पीछे के कारणों का आंकलन करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
- **डेटा-संचालित दृष्टिकोण:** किसी देश के ऋण इतिहास, चूक, पुनर्गठन के उदाहरणों और आसपास की परिस्थितियों पर व्यापक डेटा एकत्र करना क्रेडिट रेटिंग की विश्वसनीयता को काफी हद तक बढ़ा सकता है। यह बदलाव व्यक्तिपरक गुणात्मक मूल्यांकन पर निर्भरता को कम कर सकता है।
- **शासन संकेतक:** शासन संकेतकों पर विचार करते समय स्पष्ट तथा मापने योग्य सिद्धांतों को मूल्यांकन का मार्गदर्शन करना चाहिए।
- **बढ़ती पारदर्शिता:** रेटिंग एजेंसियों को आवश्यक सुधारों का मार्गदर्शन करने के लिए रेटिंग को प्रभावित करने वाले कारकों पर पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है।

## निष्कर्ष:

उपरोक्त विवरणों से यह पता चलता है कि विकासशील देशों के प्रति वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की निष्पक्षता प्रश्नचिन्ह लगाता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में लोकतान्त्रिक तरीके से या बिना पक्षपात किये कार्य करने की जरूरत है ताकि रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट पर सभी देशों का विश्वास बना रहे।

# राष्ट्रीय मुद्दे

## 1 दूरसंचार विधेयक, 2023

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय संसद ने दूरसंचार विधेयक, 2023 पारित किया। इस विधेयक में स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नियमों का प्रावधान है जो उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं हेतु एक गैर-नीलामी प्रक्रिया शुरू करता है और फोन नंबर स्पूफिंग तथा सिम दुरुपयोग जैसी धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कदम उठाता है।

### विधेयक की मुख्य बातें:

- यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 को प्रतिस्थापित करता है जिसमें निम्न कार्यों के लिए केंद्र सरकार से प्राधिकरण की आवश्यकता होगी:
  - दूरसंचार नेटवर्क स्थापित और संचालित करने के लिए
  - दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए
  - रेडियो उपकरण रखने के लिए
- स्पेक्ट्रम को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। हालांकि निर्दिष्ट संस्थाओं और उद्देश्यों के अपवाद को छोड़कर इसे प्रशासनिक रूप से दिया जाएगा।
- विधेयक राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम सहित निर्दिष्ट आधारों पर दूरसंचार को बाधित करने का अधिकार प्रशासन को देता है। इन्हीं आधार पर दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है।
- विधेयक सार्वजनिक और निजी संपत्ति में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए राईट टू वे (Right to Way) का उपयोग करने हेतु एक तंत्र प्रदान करता है।
- केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है जैसे निर्दिष्ट संदेशों को प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता और डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर के द्वारा।

### विधेयक का महत्त्व:

- यह विधेयक विकासशील दूरसंचार क्षेत्र की आवश्यकता को पहचानते हुए औपनिवेशिक युग के कानूनों (भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 एवं टेलीग्राफ वायर्स गैरकानूनी कब्जा अधिनियम 1950) की जगह लेता है।
- यह सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं में स्पष्टता लाता है, वैश्विक मानदंडों के साथ संरेखित (Aligning) करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और स्टार्ट-अप के लिए नए अवसर पैदा करता है।
- यह स्पेक्ट्रम असाइनमेंट को नीलामी या प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक सीमित करता है और कार्यकारी मनमानी को कम करता है।
- यह सुगम शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान जैसे प्रौद्योगिकी-आधारित शासन समाधान पेश करता है।
- यह डिजिटलीकरण के माध्यम से दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।

### भारत में दूरसंचार क्षेत्र:

- सितम्बर 2023 तक 1.181 बिलियन (वायरलेस और वायरलाइन उपयोगकर्ताओं को मिलाकर) के विशाल ग्राहक आधार के साथ भारत का दूरसंचार क्षेत्र विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है।
- प्रति वायरलेस डेटा उपयोगकर्ता औसत मासिक डेटा खपत मार्च 2014 में मात्र 61.66 एमबी से बढ़कर मार्च 2023 में 17.36 जीबी हो गई है।
- यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का चौथा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है जो कुल एफडीआई प्रवाह में 6% का योगदान देता है। 84.69% के समग्र टेली-घनत्व (जो प्रति 100 लोगों पर टेलीफोन की संख्या को दर्शाता है) भारत महत्त्वपूर्ण दूरसंचार पहुंच को दर्शाता है।

## 2 प्रोजेक्ट प्रयास

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों के सुरक्षित, व्यवस्थित तथा नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रोजेक्ट प्रयास (प्रोमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स) शुरू किया है।

### प्रोजेक्ट प्रयास के बारे में:

- इसका उद्देश्य राज्य-स्तरीय पहलों को समेकित करना, बेहतर समन्वय के लिए एक रोडमैप विकसित करना और नीतिगत सिफारिशों तथा जागरूकता पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रशासन को मजबूत करना है।
- विदेश मंत्रालय नीति आयोग और राज्य सरकारों के सहयोग से यह इच्छुक भारतीय प्रवासी श्रमिकों तथा छात्रों के सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा को प्रदान करना चाहता है।
- **सहयोग को मजबूत करना:** इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रथाओं को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग में सुधार करना है।

- **प्रवासन पैटर्न को समझना:** यह प्रवासन प्रवृत्तियों की पहचान करने, प्रवासी जरूरतों और आकांक्षाओं को समझने तथा विभिन्न स्तरों पर सरकारों द्वारा पहल का आंकलन करने के लिए अध्ययन करेगा।
- **जागरूकता कार्यक्रम:** यह संभावित प्रवासियों को सुरक्षित और संरचित प्रवास प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने तथा उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अभियान शुरू करेगा।
- **सफल रणनीतियों का आदान-प्रदान:** यह राज्यों के बीच प्रभावी रणनीतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मामलों पर राज्य सरकारों तथा विदेश मंत्रालय के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा।

### भारतीय प्रवासी:

- दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया भर में फैले 32 मिलियन से अधिक लोगों के साथ एक बड़ा प्रवासी देश है। इसके अतिरिक्त भारत प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
- दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। जैसे वेतन असुरक्षा, आकस्मिक कार्य व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की कमी और कौशल अंतराल।
- इसके अलावा अक्सर इन लोगों को उचित शिकायत निवारण तंत्र और पारदर्शी न्यायिक प्रणाली तक पहुंच आदि के लगभग अभाव के साथ खराब कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

### भारतीय प्रवासियों के लिए पहल:

- **मदद पोर्टल:** यह विदेशों में संकटग्रस्त भारतीयों की शिकायतों के समाधान के लिए एक मंच है।
- **नो इंडिया (Know India) कार्यक्रम:** युवा भारतीय प्रवासियों को समकालीन भारत से परिचित कराने के लिए।
- **भारत समुदाय कल्याण कोष:** संकटग्रस्त प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए।
- **प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण:** प्रस्थान से पहले प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

### आगे की राह:

प्रोजेक्ट प्रयास भारत की प्रवास प्राथमिकताओं के अनुरूप है और 2030 एसडीजी के लक्ष्य 10.7 को प्रतिध्वनित करती है जो सुरक्षित, व्यवस्थित तथा जिम्मेदार प्रवासन पर जोर देती है। इसके अतिरिक्त यह ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, व्यवस्थित और नियमित माइग्रेशन (जीसीएम) तथा माइग्रेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क (एमआईजीओएफ) दोनों में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप है।

## 3 आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई जिसके बाद इन विधेयकों ने अधिनियम का रूप लिया। इस अधिनियम में इस बात पर जोर दिया गया है कि कानून की प्राथमिकता केवल सजा पर जोर देने के बजाय त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में होनी चाहिए।

### इन अधिनियमों के बारे में:

#### भारतीय न्याय संहिता:

- **परिभाषाएँ:** कानून अब एक बच्चे को परिभाषित करता है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'लिंग' की तीसरी परिभाषा में शामिल करता है। इसके अतिरिक्त यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल करने के लिए दस्तावेज की परिभाषा को व्यापक बनाता है।
- **नए अध्याय:** इस संहिता में दो नए अध्याय पेश किए गए हैं जिसमें पहला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित है, जबकि दूसरा प्रयास उकसावे तथा साजिश जैसे 'अपराधों को उजागर करने' के लिए समर्पित है।
- **नए अपराधों का परिचय:** कानून कई नए अपराधों को परिभाषित करता है जिसमें संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, छोटे संगठित अपराध, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग, अपराध करने के लिए बच्चों को नियोजित करना, धोखेबाज तरीकों से महिलाओं का यौन शोषण, चेन स्नैचिंग, उकसाना, भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा एकता को खतरे में डालने वाले कार्य और झूठी या फर्जी खबरों का प्रसार शामिल है।
- **हटाया गया अपराध:** आत्महत्या का प्रयास करना अब इस कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है।
- **संशोधित दंड:** 5,000 रुपये से कम की चोरी के लिए, अब सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में निर्धारित किया गया है।

#### भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता:

- **घोषित अपराधियों का दायरा बढ़ाया गया:** पहले के कानून में बलात्कार के मामलों को छोड़कर, केवल 19 अपराधों को शामिल किया गया था, जबकि वर्तमान कानून में 10 साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराध इसके अंतर्गत आते हैं।
- **गिरफ्तारी प्रोटोकॉल:** 3 साल से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पूर्वानुमति की

आवश्यकता होगी।

- **हिरासत संबंधी प्रावधान:** हिरासत के शुरुआती 40/60 दिनों के लिए जमानत के अधिकार को प्रभावित किए बिना 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति है।
- **प्रक्रियात्मक परिवर्तन:** 3 वर्ष से अधिक एंव 7 वर्ष से कम की सजा वाले अपराधों के लिए अनुपस्थिति परीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर और प्रारंभिक जांच शुरू की गई है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानत के अर्थ को भी सरल बनाया गया है जिससे पहली बार विचाराधीन कैदियों को जमानत पर जल्दी रिहाई की सुविधा मिलती है, खासकर बरी होने के मामलों में।
- **प्ली बार्गेनिंग:** पहली बार के अपराधी प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से कम सजा (निर्धारित सजा का एक-चौथाई से छठा हिस्सा) के पात्र हैं।
- **समयबद्ध प्रक्रियाएँ:** एक संरचित और कुशल कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों को कई कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल किया गया है जिसमें गवाह साक्ष्य, पुलिस अधिकारी के बयान, आरोपी के बयान और निर्णय की घोषणाएं शामिल हैं जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित न्याय को बढ़ाना है।
- **गवाह सुरक्षा और पीड़ित अधिकार:** एक गवाह सुरक्षा योजना के माध्यम से 'पीड़ित' की परिभाषा का विस्तार किया गया है जिससे पुलिस अधिकारियों को पीड़ितों/मुखबिरों को जांच प्रगति के बारे में सूचित रखना अनिवार्य हो गया है।
- **स्थगन सीमाएँ:** यह कानून स्थगन को दो बार से अधिक नहीं सीमित करता है।

### भारतीय साक्ष्य अधिनियम:

- **परिभाषाएँ:** कानून में अब 'दस्तावेज' की परिभाषा के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और 'सबूत' के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान शामिल हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए मानक:** इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य मानने के लिए अधिक कड़े मानक पेश किए गए हैं। उनके उचित संरक्षण, भंडारण, पारेषण और प्रसारण पर जोर दिया जाएगा।
- **विस्तारित माध्यमिक साक्ष्य:** जटिल दस्तावेजों की जांच करने के लिए एक कुशल व्यक्ति की गवाही के साथ-साथ मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति जैसे माध्यमिक साक्ष्य के अतिरिक्त रूप, अब अदालत में स्वीकार्य हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वैध बनाना:** यह विधेयक कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता, वैधता और प्रवर्तनीयता स्थापित करता है।
- **गवाह योग्यता:** पति/पत्नी को अब अपने जीवनसाथी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में सक्षम गवाह माना जाता है जिससे स्वीकार्य गवाही का दायरा बढ़ जाता है।
- **साथी की गवाही:** किसी साथी की प्रमाणित गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को अब कानूनी रूप से स्वीकार्य मानी जाएगी।
- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रमाणपत्र:** इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक व्यापक प्रमाणपत्र अनुसूची में जोड़ा गया है जो अदालती कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

## 4 आवधिक पत्रिकाओं का प्रेस एवं पंजीकरण विधेयक, 2023

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद ने प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 पारित किया जो राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के बाद पुराने प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का स्थान लेगा।

### विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

**शीर्षक आवंटन और पंजीकरण प्रक्रिया:**

- ऑनलाइन माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण दिया जायेगा।
- यह विधेयक स्थानीय अधिकारियों के समक्ष घोषणाओं की आवश्यकता को समाप्त करता है जिससे समग्र प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी हो सके।
- आतंकवाद या गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को प्रेस या आवधिक के प्रकाशन हेतु योग्य होंगे।
- विदेशी पत्रिकाओं के प्रतिकृति संस्करण भारत में केंद्र सरकार की मंजूरी और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ पंजीकरण के साथ मुद्रित किए जा सकते हैं।

**प्रिंटिंग प्रेस:**

- प्रिंटरों को केवल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और स्थानीय अधिकारियों को ऑनलाइन सूचना प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

### जिला मजिस्ट्रेट/स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका:

- पंजीकरण प्रक्रिया में जिला मजिस्ट्रेटों की न्यूनतम भूमिका होती है।
- प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को उनकी टिप्पणियाँ/एनओसी 60 दिनों के भीतर अपेक्षित हैं, परन्तु पंजीकरण संबंधी निर्णय उनकी प्रतिक्रिया के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं।
- प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

### प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 से अंतर:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक से पुस्तकों को बाहर रखा गया है।
- प्रिंटिंग प्रेस को केवल ऑनलाइन सूचना की आवश्यकता है, जिला

मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा की नहीं।

- प्रकाशक एक साथ शीर्षक आवंटन और पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं जिसका निर्णय प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया जाता है।
- नया कानून उल्लंघनों को महत्त्वपूर्ण रूप से अपराध की श्रेणी से हटा देता है जो गंभीर दंडों के स्थान पर वित्तीय जुर्माना का प्रावधान करता है।
- जेल की सजा (छह महीने तक) अब चरम मामलों के लिए आरक्षित है जहां किसी पत्रिका के पास पंजीकरण का अभाव हो और प्रकाशक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशों की अवहेलना करता हो।
- पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निलंबित/रद्द करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को अधिकार दिया गया है जोकि 1867 के अधिनियम के विपरीत है जहां केवल जिला मजिस्ट्रेटों के पास ही ऐसा अधिकार था।

### विधेयक का महत्त्व:

- इसका उद्देश्य एक सरल प्रक्रिया प्रदान करके पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी लाना है जिससे छोटे तथा मध्यम प्रकाशकों को मदद मिलेगी।
- यह डिजिटल समाचार मीडिया को अपने दायरे में लाता है जिससे फर्जी खबरें फैलाने वाले ऐप्स, वेबसाइटों और सोशल मीडिया खातों पर लगाम लगने की उम्मीद है।
- वर्तमान में पारंपरिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभिन्न कानूनों द्वारा शासित होते हैं, परन्तु डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म किसी भी पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसे ठीक करने के लिए सरकार ने आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 पेश किया जिसने डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों के लिए सरकार के साथ खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य बना दिया।

### आगे की राह:

यह विधेयक भौतिक इंटरफेस आवश्यकताओं को समाप्त करते हुए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण को सरल बनाता है। इस विधेयक के आने से प्रकाशक, विशेष रूप से छोटे और मध्यम प्रकाशक, जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के साथ घोषणा की आवश्यकता के बिना तेज प्रक्रिया से लाभान्वित होंगे।

## 5 केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद द्वारा पारित किया गया था। विधेयक केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करता है। अधिनियम कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधान सभाओं की स्थापना और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है।

### विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- **महिलाओं के लिए आरक्षण:** विधेयक पुडुचेरी विधान सभा में सभी निर्वाचित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
- **आरक्षण की शुरूआत:** इस विधेयक में प्रावधान है कि आगामी जनगणना के प्रकाशित होने के बाद आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। यह आरक्षण 15 साल हेतु दिया जाएगा। हालाँकि, यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा।
- **सीटों का रोटेशन:** महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन के बाद परिवर्तित किया जाएगा, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया गया है।

### केंद्र शासित प्रदेश के बारे में:

- केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा संविधान के मूल संस्करण में नहीं थी, बल्कि इसे संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया था।
- संघ की कार्यकारी शक्ति (अर्थात केवल राज्यों का संघ) भारत के राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक भी हैं।
- संविधान के भाग VIII में अनुच्छेद 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं जिनकी प्रशासनिक प्रणाली में कोई एकरूपता नहीं है।
- भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) हैं जिसमें दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली और दमन व दीव, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं।
- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239AA संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा जोड़ा गया था जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान करता है।

### आगे की राह:

यह विधेयक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार लाने में सक्षम है। यह समाज की विभिन्न जातियों और वर्गों की महिलाओं को सत्ता हासिल करने तथा भारतीय समाज की भलाई के लिए इसका उपयोग करने का मौका देता है। इससे समाज में समानता के साथ ही लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।

## 6 झारखंड का स्थानीय निवासी विधेयक

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड विधानसभा ने 'झारखंड के स्थानीय निवासी

विधेयक' को मंजूरी दी जिसे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा संवैधानिक उल्लंघनों का हवाला देते हुए पुनर्विचार के लिए भेजा। यह विधेयक नवंबर 2022 से दो बार बिना कोई बदलाव किए लौटा दिया गया था।

### झारखंड की नई अधिवास नीति:

- इस नीति के तहत राज्य के स्थानीय निवासियों के सीमांकन के लिए 1932 के भूमि रिकॉर्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- जिन निवासियों की पैतृक भूमि 1932 के भूमि सर्वेक्षण में दर्ज की गई थी उन्हें झारखंडी माना जाएगा।
- हालाँकि भूमिहीन व्यक्ति और वे परिवार जिनका नाम 'खाता' में शामिल नहीं है, वे अपने नाम शामिल कराने के लिए ग्राम सभा से संपर्क कर सकते हैं।
- इसके आधार पर वे राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के हकदार होंगे।

### इस विधेयक में कानूनी चुनौती:

- 2002 में भी झारखंड सरकार ऐसा ही बिल लेकर आई थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।
- यह विधेयक तब तक लागू नहीं होगा जब तक इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है।
- संविधान की नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालाँकि अतीत में अदालतों ने कहा है कि यदि यह मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो इसकी समीक्षा की जा सकती है।
- राज्य सरकार विधेयक को केंद्र को भेजेगी और विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन का अनुरोध करेगी।
- भारत के अटॉर्नी जनरल से परामर्श करने के बाद राज्यपाल ने दोहराया कि राज्य सरकार के तहत वर्ग सी और डी के पदों पर आवेदन करने से स्थानीय व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों का बहिष्कार संविधान की योजना के अनुरूप नहीं है।

### आगे की राह:

झारखंड गठन के बाद से ही यहां के आदिवासी और मूलवासी की हमेशा से शिकायत रही है कि झारखंड में बाहर से आकर बसे लोगों ने यहां के स्थानीय लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। इसीलिए यहां की स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर बनाई जानी चाहिए ताकि यहां की संस्कृति और परम्परा को सहेजा जा सके।

## 7 बाल श्रम उन्मूलन के लिए संसदीय पैनल की रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद में पेश की गई श्रम, कपड़ा और कौशल विकास समिति पर संसदीय स्थायी समिति की 52वीं रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लागू विभिन्न कानूनों के तहत बच्चे की परिभाषा में अस्पष्टता पायी गई है जिसे अतिशीघ्र सुधारने की जरूरत है।

### रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- बाल और किशोर श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम 1986 (CALPRA) के अनुसार, बच्चे का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने अपनी आयु का चौदहवाँ वर्ष या ऐसी आयु पूरी नहीं की है जो नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत बच्चों के अधिकार में निर्दिष्ट की जा सकती है।
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बाल का अर्थ छह से चौदह वर्ष की आयु के पुरुष या महिला से है।
- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार, 1986 में इसके संशोधन द्वारा एक बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अपनी आयु का चौदहवाँ वर्ष पूरा नहीं किया है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
- समिति ने आगे कहा कि CALPRA अधिनियम के उल्लंघन में बच्चों का रोजगार एक संज्ञेय अपराध है, जबकि किशोर न्याय अधि नियम 2015 के तहत यह एक गैर-संज्ञेय अपराध है।

### समिति के प्रमुख सुझाव:

- किशोरों के लिए अनुमोदित नौकरियों और प्रक्रियाओं की सूची से खतरनाक व्यवसायों को हटाना।
- जुर्माने में वृद्धि के अलावा लाइसेंस रद्द करने और संपत्ति की कुर्की जैसे सख्त दंड शामिल करना।
- बाल श्रमिकों के लिए तत्काल राहत और पुनर्वास हेतु एक जिला-स्तरीय कोष स्थापित करने की सिफारिश करना।
- इसने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के समान, CALPRA अधिनियम में एफआईआर दर्ज न करने पर पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने के प्रावधानों को शामिल करने का सुझाव दिया।
- एक राष्ट्रीय स्तर का बाल ट्रैकिंग तंत्र स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए।

### आगे की राह:

इस तरह के कानूनों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल सभी पक्षों के साथ परामर्श के बाद एक व्यापक मसौदा तैयार करने का भी आह्वान किया जाना चाहिए जो चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हो।

# अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

## 1 अमरीका का 14वां संविधान संशोधन योजना

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अभूतपूर्व फैसले में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को देश में होने वाले 2024 में राष्ट्रपति चुनाव हेतु अयोग्य करार दिया। अदालत ने यह फैसला देते हुए कहा कि 14वें संशोधन के विद्रोहवादी प्रतिबंध के कारण वह एक योग्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हैं।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी और दक्षिणी राज्यों के संघ में फिर से शामिल होने के बाद अलगाववादियों को सरकारी पदों पर लौटने से रोकने के लिए धारा 3 को जोड़ा गया था।
- इसका इस्तेमाल कॉन्फेडरेट अध्यक्ष जेफरसन डेविस और उनके उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर स्टीफेंस जैसे लोगों के खिलाफ किया गया था जो कांग्रेस के सदस्य थे।

### अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा-3:

- **पद धारण करने पर रोक:** यदि पहले किसी सरकारी पद के लिए निर्वाचित कोई भी व्यक्ति विद्रोह करता है या विद्रोह में भाग लेता है तो वह दोबारा पद पर नहीं रह सकता है लेकिन कांग्रेस प्रत्येक सदन के दो-तिहाई वोट से इसमें परिवर्तन कर सकती है।
- **अंतर्निहित सिद्धांत:** लोकतंत्र में कोई व्यक्ति या पार्टी गठबंधन निर्माण और मतदान के स्थान पर बल, हिंसा या धमकी का विकल्प नहीं चुन सकता है। यदि किसी निर्वाचित अधिकारी ने संविधान के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया है तो यह संवैधानिक राजनीति की उस व्यवस्था के लिए खतरा है।

### न्यायालय ने अपने व्यापक निर्णय में कई प्रमुख निष्कर्ष जारी किये:

- कोलोराडो राज्य का कानून मतदाताओं को संघीय संविधान के 'विद्रोहवादी प्रतिबंध' के तहत ट्रम्प की पात्रता को चुनौती देने की अनुमति देता है।
- कोलोराडो अदालतें कांग्रेस की किसी भी कार्यवाही के बिना प्रतिबंध लागू कर सकती हैं।
- विद्रोहवादी प्रतिबंध राष्ट्रपति पद पर लागू होता है।
- 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर हमला एक विद्रोह था।
- 6 जनवरी को ट्रम्प का भीड़ को उकसाने वाला भाषण प्रथम संशोधन द्वारा संरक्षित नहीं था।

### आगे की राह:

इस निर्णय के बाद ट्रम्प ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। इसमें छह न्यायाधीशों के सर्वोच्च बहुमत का है जो रूढ़िवादी कानूनी आंदोलन से उभरे हैं तथा व्याख्या के तरीकों को महत्त्व देते हैं जिन्हें 'पाठ्यवाद और मौलिकतावाद' के रूप में जाना जाता है। इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा जिससे बचने के लिए मध्यम मार्ग निकालने की आवश्यकता है।

## 2 अफीम उत्पादन में म्यांमार प्रथम स्थान पर-संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने दक्षिणपूर्व एशिया में अफीम की खेती की स्थिति का आंकलन करते हुए 'दक्षिणपूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023: खेती, उत्पादन और प्रभाव' नाम से अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में 2023 में अफीम अर्थव्यवस्था में स्थिर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

### रिपोर्ट में बताई गई मुख्य बातें:

- अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए म्यांमार अब दुनिया का शीर्ष अफीम उत्पादक राष्ट्र बन गया है। रिपोर्ट में म्यांमार-भारत सीमा के पास अफीम उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- 2022 में तालिबान द्वारा नशीली दवाओं पर प्रतिबंध के बाद अफगानिस्तान में अफीम की खेती में 95 प्रतिशत की गिरावट आई है जिससे वैश्विक आपूर्ति म्यांमार में स्थानांतरित हो गई जहां 2021 तख्तापलट के कारण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता ने अफीम की खेती का समर्थन किया।
- इसके अलावा म्यांमार में अस्थिर सामाजिक और राजनीतिक माहौल ने अफीम की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि को बढ़ावा दिया है।

### गोल्डन ट्राएंगल के बारे में:

- गोल्डन ट्राएंगल में वे क्षेत्र शामिल हैं जहां अवैध अफीम का उत्पादन होता है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जैसे देश का नाम आता है। इसी तरह का एक और शब्द है जिसे गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है जिसका उपयोग ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है जहां अवैध रूप से अफीम का उत्पादन किया जाता है।

### भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव:

- इस रिपोर्ट में भारत के साथ म्यांमार की सीमा पर सागांग में महत्त्वपूर्ण अफीम की खेती का भी पता चला। म्यांमार में अफीम अर्थव्यवस्था में उछाल का श्रेय सत्तारूढ़ जुंटा शासन के प्रति बढ़ते असंतोष को दिया जाता है। इससे भारत की राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा को भी बड़ा खतरा है जो संभावित रूप से सीमा पार बढ़ रही तस्करी हिंसा तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराध बढ़ने का कारण हो सकते हैं।
- इससे मणिपुर और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति तेज हो सकती है क्योंकि इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन उग्रवादी तथा अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा मिल सकता है।
- इसके अलावा स्थानीय समुदायों को नुकसान हो सकता है क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच बाधित हो सकती है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर और दबाव पड़ेगा जिससे गरीबी बढ़ सकती है।

### ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ( यूएनडीओसी ) के बारे में:

- यूएनडीआईसी वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 1997 में स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है।
- यह ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC) और भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) के कार्यान्वयन में सहायता करता है।

## 3 स्वेज नहर का एक नया संकट

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद लगभग एक दर्जन शिपिंग लाइनों को परिचालन निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वेज नहर समुद्री मार्ग में व्यापार की रक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय बल की शुरूआत की घोषणा किया है।

### संयुक्त कार्यबल 153 क्या है?

- संयुक्त टास्क फोर्स 153 एक टास्क फोर्स है जो लाल सागर, बाब अल-मंडेब और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है इसकी स्थापना 17 अप्रैल, 2022 को हुई थी जो संयुक्त समुद्री बलों द्वारा संचालित पांच टास्क फोर्स में से एक है।

### हूती विद्रोहियों का रुख:

- अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का लक्ष्य इजराइल-गाजा युद्ध में इजराइल की रक्षा करना और समुद्र का सैन्यीकरण करना है।
- हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के नौवहन पर हमले जारी रखने का अपना इरादा घोषित किया।
- हूतियों ने प्रमुख शिपिंग लेन में जहाजों को निशाना बनाया है जो इजराइल पर हमला करने का संकेत है।

### इस व्यापार मार्ग पर हमले के प्रभाव:

- अमेरिका और उसके सहयोगी मध्य पूर्व में नौसैनिक गतिविधि बढ़ा रहे हैं ताकि परिचालन मार्ग को फिर से संचालित करने के लिए हूती विद्रोहियों से मुकाबला किया जा सके।
- स्वेज नहर से प्राप्त राजस्व मिस्र के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है जो पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है।
- स्वेज मार्ग के लंबे समय तक बंद रहने से व्यापार की लागत बढ़ जाएगी क्योंकि शिपिंग को अफ्रीका के आसपास फिर से भेजा जाएगा जिसमें अधिक समय लगने से बीमा प्रीमियम बढ़ जाएगा।
- व्यापार के व्यापक पैमाने पर पुनर्निर्देशन के कारण अल्पकालिक आपूर्ति श्रृंखला खतरे में पड़ सकती हैं।

### भारत का रुख:

- भारत इस पूरे घटनाक्रम में एक प्रमुख हितधारक है जो मूक दर्शक नहीं बना रह सकता।
- भारत के पास इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने की सामरिक स्थिति है। ऑपरेशन कैक्टस के समय से कई मौकों पर इसका प्रदर्शन किया है।

### आगे की राह:

इस तरह के हमले का विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने वाला है जिससे व्यापार आपूर्ति श्रृंखला की संपूर्ण गतिशीलता पर गंभीर विनाशकारी प्रभाव हो सकते है। सभी देशों को स्वतंत्र परिचालन के लिए मिलकर कार्य करना होगा।

## 4 हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण

### चर्चा में क्यों?

मालदीव सरकार ने भारत के साथ उस समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है जिसने भारत को मालदीव के जलक्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।

### हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्या है?

- ये सर्वेक्षण जहाजों द्वारा किए जाते है जो जल निकाय की विभिन्न विशेषताओं को समझने के लिए सोनार (एक तकनीक जो नौचालन, जल के अन्दर संचार करने तथा जल के अन्दर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिये ध्वनि संचरण का उपयोग करती है।) जैसी विधियों का उपयोग करते हैं।
- यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के अनुसार, ये सर्वेक्षण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'पानी की गहराई, समुद्र तल और समुद्र तट का आकार, संभावित अवरोधों का स्थान तथा जल निकायों की भौतिक विशेषताओं का पता लगाने' में मदद करते हैं।
- प्रधानमंत्री मोदी की 2019 की मालदीव यात्रा के दौरान मालदीव और भारत के बीच संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सहित कई सहयोग समझौते हुए। भारतीय नौसैनिक जहाजों की सहायता से तीन सर्वेक्षणों (2021, 2022, 2023) ने प्रमुख क्षेत्रों में नेविगेशनल चार्ट अपडेट किए जिससे पर्यटन और मत्स्य पालन को लाभ हुआ। भारत ने मालदीव को हाइड्रोग्राफिक उपकरण उपहार में दिए, एमएनडीएफ कर्मियों को प्रशिक्षित किया और 2023 में अंतिम सर्वेक्षण के दौरान समुद्र में 52 नई प्राकृतिक संरचनाओं की पहचान की।

### अन्य देशों के साथ भारत का जल सर्वेक्षण समझौता:

- 40 वर्षों में भारत के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक जहाज आईएनएस संधायक ने भारत और पड़ोसी देशों में 200+ सर्वेक्षण पूरे किए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े वैश्विक स्तर पर सीमित हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं पर प्रकाश डालते हैं, विशेष रूप से ये एशिया और अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हैं जहां महत्त्वपूर्ण जल क्षेत्र, सर्वेक्षण के अधीन नहीं हैं।
- भारत ने केन्या, मॉरीशस, मोजाम्बिक, मालदीव, ओमान, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया सहित कई देशों की हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों में सहायता की है।

### भारत-मालदीव संबंध:

- 1965 में मालदीव की आजादी के बाद भारत ने ही सबसे पहले

उसे एक देश के रूप में मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।

- भारत और मालदीव ने 1981 में आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2021 में भारत मालदीव के साथ तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा। इसके अलावा, मालदीव की महान माले परियोजना भी भारत द्वारा वित्त पोषित है।
- भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान करता है, साथ ही संयुक्त अभ्यास, समुद्री डोमेन जागरूकता, बुनियादी ढांचे के विकास आदि जैसे रक्षा क्षेत्रों पर सहयोग करता है।
- इसके अलावा जरूरत के समय मालदीव को भारत का महत्त्वपूर्ण मानवीय समर्थन मिलता रहा है, चाहे वह 2004 में विनाशकारी सुनामी के दौरान भारत की विस्तारित सहायता हो या 2014 में माले जल संकट के दौरान ऑपरेशन नीर के तहत सहायता हो।
- जनवरी 2020 में, भारत ने मालदीव को खसरे के टीकों की 30,000 खुराक की आपूर्ति की और महामारी के दौरान भी भारत ने मालदीव को आवश्यक सहायता प्रदान की।

### आगे की राह:

मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में हालिया बदलाव ने भारत को कूटनीतिक तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर किया है। यह बदलाव बेल्ट एंड रोड पहल के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच आया है। सैन्य अभियानों और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों में भारत की सहायता सहित विदेशी देशों के साथ समझौतों की समीक्षा पर मुइज्जू का रुख मौजूदा साझेदारियों के संभावित पुनर्मूल्यांकन का संकेत देता है।

## 5 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन

### चर्चा में क्यों?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। इससे पहले भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया था परंतु उन्होंने आने में असमर्थता जताई थी।

### गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कैसे चुना जाता है?

- गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना प्रोटोकॉल के संदर्भ में किसी देश द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। उन्हें राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है जिसके बाद शाम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक स्वागत समारोह आयोजित किया जाता है।
- यह प्रक्रिया आयोजन से लगभग छह महीने पहले शुरू हो जाती है। भारत के पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मनबीर सिंह ने बताया कि निमंत्रण देने से पहले विदेश मंत्रालय सभी प्रकार के विचारों को ध्यान में रखता है। इसमें सबसे केंद्रीय विचार भारत और संबंधित देश के बीच संबंधों की प्रकृति पर आधारित होता है।
- गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भारत और आमंत्रित व्यक्ति के देश के बीच मित्रता का प्रगाढ़ संकेत होता है। भारत के राजनीतिक, वाणिज्यिक, सैन्य और आर्थिक हित निर्णय के महत्त्वपूर्ण चालक होते हैं।

### गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले फ्रांसीसी नेता:

- यह छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होगा। इमैनुअल मैक्रोन से पहले, पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक्स शिराक 1976 और 1998 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी-एस्टिंग, निकोलस सरकोजी और फ्रेंकोइस ओलांद क्रमशः 1980, 2008 और 2016 में मुख्य अतिथि थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1950 में परेड के पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पांच संस्थापक सदस्यों में से एक थे।

### आगे की राह:

फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन करता रहा है। फ्रांस दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जिसने भारत के न्यूक्लियर टेस्ट का समर्थन किया था। वर्तमान वैश्विक राजनीति में भारत और फ्रांस के बीच मजबूत सम्बन्ध होना यह दिखाता है कि दोनों देशों के पास एक साथ मिलकर कार्य करने की असीम संभावना है। दोनों देश कूटनीतिक स्तर के अतिरिक्त रक्षा, तकनीकी और लोकतान्त्रिक मूल्यों पर भी एकसमान दृष्टि रखते हैं।

## 6 चाड में नया संविधान

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में अफ्रीकी देश चाड में जनमत संग्रह में चाड के नए संविधान को 86% प्रतिशत मतदाताओं ने मंजूरी दी है। आलोचकों का कहना है कि यह जनमत संग्रह सैन्य नेता महामत इदरीस डेबी की शक्ति को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

### पृष्ठभूमि:

- मार्शल डेबी की मृत्यु के बाद चाड की सेना ने संविधान को निलंबित कर दिया था जिससे संसदीय कार्य भी प्रभावित हुआ था। डेबी के बेटे, महामत इदरीस डेबी को तब सेना द्वारा एक संक्रमणकालीन सैन्य परिषद के शीर्ष पर अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया गया था।
- मार्शल डेबी अफ्रीका में इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख फ्रांसीसी सहयोगी था जिसने फ्रांसीसी सैन्य ऑपरेशन बरखाने का चाड में नेतृत्व किया और उत्तरी माली में शांति प्रयासों के लिए महत्त्वपूर्ण सैन्य आपूर्ति में योगदान किया।

## -: प्रीलिम्स इनसाइट :-

**साहेल क्षेत्र:** साहेल पश्चिम और उत्तर-मध्य अफ्रीका में एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र है जो सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है। यह उत्तर में शुष्क सहारा और दक्षिण में हरे-भरे सवाना के बीच एक संक्रमण के रूप में कार्य करता है। इसमें कई भौगोलिक और कृषि-पारिस्थितिकी प्रणालियाँ तथा 12 देश शामिल हैं जो 400 मिलियन लोगों का घर है। संयुक्त राष्ट्र रणनीति (यूएनआईएसएस) द्वारा परिभाषित साहेल का राजनीतिक क्षेत्र 10 देशों (सेनेगल, गाम्बिया, मॉरिटानिया, गिनी, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, कैमरून और नाइजीरिया) को कवर करता है।

### नए संविधान के लिए समर्थकों का दृष्टिकोण:

- देश के सैन्य शासकों ने नए संविधान को नागरिक शासन की वापसी की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में प्रचारित किया है, लेकिन विपक्षी राजनेताओं ने इसकी निंदा की है और कुछ ने इसके बहिष्कार का आह्वान किया है।
- समर्थकों के अनुसार संविधान एकात्मक राज्य बनाए रखेगा जो चाड में आजादी के बाद मौजूद था, जबकि अन्य परिवर्तनों के बीच स्थानीय विधानसभाओं और पारंपरिक प्रमुखों की परिषदों के साथ स्वायत्त समुदायों की स्थापना की जाएगी।
- समर्थकों के अनुसार नया संविधान अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है क्योंकि यह चाड के निवासियों को अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने और पहली बार स्थानीय कर एकत्र करने की अनुमति देता है।

### चाड के बारे में:

- चाड का नाम चाड झील से लिया गया है जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है जिसका बेसिन नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून के क्षेत्रों तक फैला है। साहेल क्षेत्र से संबंधित चाड का लगभग एक-तिहाई हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है, जबकि दक्षिणी भाग में व्यापक जंगली सवाना और वुडलैंड्स हैं।
- चाड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का हिस्सा है जो भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक पहल है।

### आगे की राह:

1960 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से चाड को लगातार अस्थिरता का सामना करना पड़ा है जिससे देश के विकास में काफी बाधा उत्पन्न हुई है। उत्तर-मध्य अफ्रीका में स्थित चाड एक भूमि से घिरा राज्य है जो लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता के कारण काफी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके 16 मिलियन निवासियों में से लगभग 40 प्रतिशत मानवीय सहायता पर निर्भर हैं, इसीलिए चाड जैसे देशों में स्थिरता व विकास का माहौल बनाने के लिए संविधान का शासन होना आवश्यक है।

## 7 फ्रांस का विवादास्पद आव्रजन सुधार नीति

### चर्चा में क्यों?

फ्रांस ने आव्रजन नीति को सख्त बनाने वाला कानून पारित किया है। इस विधेयक को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की मध्यमार्गी पुनर्जागरण पार्टी और मरीन ले पेन की धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली दोनों ने समर्थन दिया।

### नए आव्रजन कानून में शामिल प्रावधान:

- फ्रांस ने प्रवासियों को लाभ प्राप्त करने के लिए फ्रांस में रहने की अवधि बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।
- बेरोजगार गैर-यूरोपीय संघ प्रवासियों के लिए आवास लाभ तक पहुंच में पांच साल की देरी होगी।
- सरकार ने प्रवासन कोटा भी पेश किया है जिससे आप्रवासियों के बच्चों के लिए फ्रांसीसी बनना और अधिक कठिन हो जाएगा।
- जहां श्रमिकों की कमी वाले क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासियों हेतु रेजिडेंसी परमिट प्राप्त करना आसान हो जाएगा, वहीं अनियमित प्रवासियों को बाहर निकालना भी आसान हो जाएगा।

### भारत पर प्रभाव:

- फ्रांस के लिए भारतीय वीजा आवेदनों में पिछले पांच वर्षों में +180% की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन इस नए कानून से आवेदनों में गिरावट आएगी।
- 2018 में लगातार दूसरे वर्ष 200,000 से अधिक वीजा आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि दक्षिण भारत (पुडुचेरी के वाणिज्य दूतावास) से आवेदनों में +43% की वृद्धि हुई।
- छात्र वीजा आवेदन में केवल एक वर्ष में 2017 से 2018 तक फ्रांस जाने वाले भारतीय छात्रों को जारी किए गए वीजा की संख्या में 54.5% से अधिक की वृद्धि हुई।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2018 में 8,000 से अधिक भारतीय छात्रों और वैज्ञानिकों ने फ्रांस को चुना।

### वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने का खतरा:

- इस कानून के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को 3,070 तक की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करने की भी आवश्यकता है जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन में नाराजगी है।
- लगभग 20 प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के प्रमुखों ने तर्क दिया कि इससे वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए फ्रांस की रणनीति प्रभावित हो सकती है।

### आगे की राह:

आप्रवासन दशकों से फ्रांसीसी राजनीति में एक विवादास्पद विषय रहा है। वामपंथियों का तर्क है कि यह विधेयक बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक है, जबकि दक्षिणपंथियों का तर्क है कि यह पर्याप्त प्रतिबंधात्मक नहीं है। वैश्विक गांव और उदारवादी नीतियों के लिए यह विधेयक हानिकारक हो सकता है।

# पर्यावरणीय मुद्दे

## 1 भारत की हरित बनाम विकास की दुविधा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'कोयला 2023 विश्लेषण और 2026 तक पूर्वानुमान' नाम से प्रकाशित हुई आईईए की रिपोर्ट ने भारत तथा चीन में कोयले की मांग में वृद्धि का अनुमान लगाया है। कॉप 28 समिट 'जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने' के बजाय 'जीवाश्म ईंधन से दूर जाने' की सहमति के साथ सम्पन्न हुआ। ये दो स्थितियाँ कुछ हद तक अपनी स्वयं की विकास आवश्यकताओं को खतरे में डाले बिना ग्रह की आवश्यकता को संतुलित करने के भारत के रुख को दर्शाती हैं।

### भारत की ऊर्जा के लिए कोयला क्यों महत्त्वपूर्ण?

- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लक्ष्य के बावजूद, भारत वर्तमान में जीवाश्म ईंधन पर काफी निर्भर है। इसकी केवल 22% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से आती है, वहीं कोयला 75% बिजली की आपूर्ति करता है।
- दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला उत्पादक के रूप में भारत की कोयले की मांग 2021-2023 के बीच 778 मिलियन टन से बढ़कर 893 मिलियन टन हो गई। इसका लक्ष्य 2024-25 तक 1.31 बिलियन टन और 2030 तक 1.5 बिलियन टन करने का है।
- कोयला मंत्रालय ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए 2028 तक भूमिगत कोयला उत्पादन को तीन गुना करने की योजना बनाई है।
- कोयले की ओर यह बदलाव बेसलोड क्षमता की जरूरी आवश्यकता को भी संबोधित करता है जिससे 24 घंटों में न्यूनतम स्तर की मांग पूर्ति सुनिश्चित होती है।
- इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र सीधे तौर पर लगभग 7.25 लाख नौकरियां सृजित करता है जो भारत के ऊर्जा परिदृश्य में इसके महत्त्व को रेखांकित करता है।

### नवीकरणीय ऊर्जा की ओर त्वरित परिवर्तन चुनौतीपूर्ण क्यों?

- **आंतरायिक (Intermittency):** सौर और पवन जैसे ऊर्जा स्रोत परिवर्तनशील हैं जो हमेशा मांग चक्र के अनुरूप नहीं होते हैं। स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत को बैटरी भंडारण में भारी निवेश करना होगा जो आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण महंगा है।
- **परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के साथ समस्या:** परमाणु ऊर्जा के लिए भारत की योजनाएँ उतनी अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ पाई हैं। 2021-22 में परमाणु संयंत्रों ने भारत की कुल बिजली उत्पादन में केवल 3.15% का योगदान दिया।
- **संघर्षरत डिस्कॉम:** राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) नवीकरणीय स्रोतों के बावजूद बेस लोड मांग को पूरा करने के लिए थर्मल या परमाणु उत्पादन पर निर्भर हैं। नवीकरणीय परिवर्तनशीलता का मुकाबला करने के लिए तत्काल ऊर्जा भंडारण महत्त्वपूर्ण है। सौर और पवन-आधारित उत्पादन का बोझ पड़ने पर इन कंपनियों को अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है।
- **पर्यावरणीय चुनौतियाँ:** जलविद्युत परियोजनाओं जैसी नवी करणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पारिस्थितिक क्षति पहुँचाने और जल संसाधन संघर्षों को बढ़ाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण जोशीमठ के मामले में देखा जा सकता है। इन परियोजनाओं के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता है।

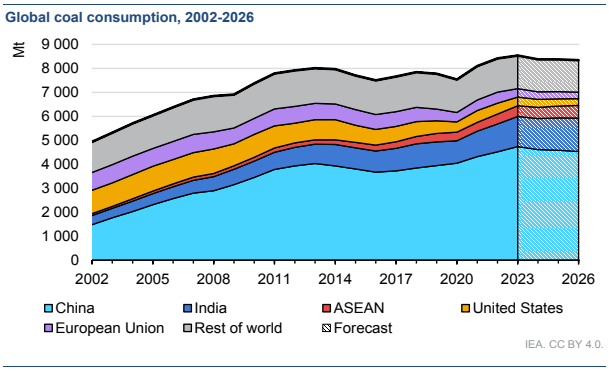


### आगे की राह:

भारत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सुपरक्रिटिकल तकनीक को अनिवार्य करने, कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने, पुराने थर्मल पावर प्लांटों को आधुनिक बनाने और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स स्थापित करने जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से कोयला दक्षता को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार क्षमता अंतराल को कम करने के लिए भंडारण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यद्यपि थर्मल ऊर्जा, विशेष रूप से कोयला और परमाणु, नवीकरणीय क्षमता बढ़ने तक महत्त्वपूर्ण बनी हुई है, इसलिए परमाणु क्षमता के विस्तार में बाधाओं के कारण कोयला एक आवश्यक आधार भार के रूप में कार्य कर सकता है।

## 2 प्रायद्वीपीय नदियों में बाढ़ का खतरा अधिक: अध्ययन

### चर्चा में क्यों?

अमेरिकन मौसम विज्ञान सोसायटी के जर्नल ऑफ हाइड्रोमेटोरोलॉजी में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र की तुलना में बड़े स्तर पर बाढ़ की संभावना अधिक है।

### अध्ययन के मुख्य अंश:

- टीम ने छह दशकों (1959-2020) में सात प्रमुख नदी घाटियों में व्यापक बाढ़ की जांच की। इन नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी,

कृष्णा, महानदी, नर्मदा और कावेरी शामिल हैं।

- विश्लेषण में महानदी और नर्मदा नदी घाटियों को सबसे अधिक बाढ़-प्रवण के रूप में उजागर किया गया। इस अवधि के दौरान 40 घटनाओं का अनुभव हुआ।
- इस बीच कृष्णा और गोदावरी घाटियों में 20 से अधिक व्यापक बाढ़ की घटनायें देखी गई। इसके विपरीत गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी घाटियों में एक ही समय सीमा में 15 से भी कम घटनाएँ देखी गई।
- व्यापक बाढ़ की सबसे अधिक संभावना (59 प्रतिशत) नर्मदा बेसिन में है जिसके बाद महानदी (50 प्रतिशत), गोदावरी (42 प्रतिशत), कृष्णा (38 प्रतिशत) और कावेरी (19 प्रतिशत) हैं।
- जहां तक सीमा पार नदी घाटियों का सवाल है, तो उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र में क्रमशः 21 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत की संभावना है।

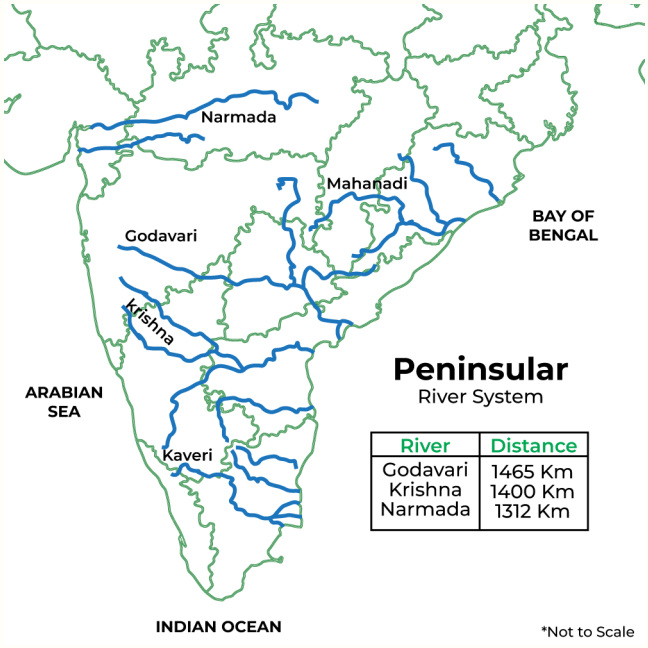


## व्यापक बाढ़ के कारण:

- **मौसमी रुझान:** ग्रीष्म मानसून के दौरान कावेरी को छोड़कर सभी सात नदी घाटियों में अगस्त में बड़े पैमाने पर बाढ़ का अनुभव हुआ क्योंकि पहले कावेरी में अक्टूबर-दिसंबर तक बाढ़ आती थी।
- **क्षेत्रीय वर्षा भिन्नताएँ:** भारत में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 80 प्रतिशत जून-सितंबर के ग्रीष्म मानसून मौसम के दौरान घटित होता है।
- मुख्य मानसून बेल्ट में स्थित गोदावरी, महानदी और नर्मदा जैसी नदी घाटियों में जुलाई से सितंबर तक पर्याप्त वर्षा होती है।
- इसके विपरीत पूर्वोत्तर मानसूनी वर्षा के कारण अक्टूबर-दिसंबर के दौरान कावेरी में बाढ़ का अनुभव हुआ। पूर्वोत्तर में शुरुआती बारिश के कारण जून-जुलाई में ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ आती है।
- गोदावरी, महानदी और नर्मदा बेसिन मुख्य मानसूनी क्षेत्र में स्थित हैं जहां जुलाई से सितंबर में अधिक वर्षा वाले दिन होते हैं।
- **वायुमंडलीय नदियाँ व परिसंचरणः** उल्लेखनीय बाढ़ की घटनाएँ जिनमें 2018 केरल बाढ़, 2022 पाकिस्तान बाढ़ और निचली मिसिसिपी नदी बाढ़ शामिल हैं।
- वायुमंडलीय नदियाँ पृथ्वी के वायुमंडल का बड़ा भाग हैं जो आकाश के माध्यम से जलवाष्प ले जाती हैं।
- भारत में व्यापक बाढ़ बड़े वायुमंडलीय परिसंचरण से भी जुड़ी है जो नदी बेसिन में वर्षा का कारण बनती है।

## आगे की राह:

इन नदी घाटियों में व्यापक बाढ़ के पीछे की गतिशीलता को समझना जलवायु परिस्थितियों और मानवीय हस्तक्षेपों के मद्देनजर शमन, अनुकूलन तथा आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना महत्त्वपूर्ण है। जलवायु के गर्म होने की उम्मीदों के साथ व्यापक बाढ़ के चालकों में बदलाव की संभावना है जिससे उनका समय, घटना और संभावना प्रभावित होगी। यह बदलते बाढ़ पैटर्न के अनुकूल सक्रिय उपायों की आवश्यकता का सुझाव देता है।

# 3 रेड टाइड की जांच हेतु टीम का गठन

## चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों की एक टीम ने पुडुचेरी में समुद्र के लाल होने की हालिया घटना के पीछे के कारण की जांच करने के लिए कुरुचिकुप्पम ड्रेन और समुद्र तट की जांच की।

## रेड टाइड (Red Tide) के बारे में:

- रेड टाइड एक बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसका उपयोग ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिन्हें हानिकारक शैवाल ब्लूम (एचएबी) कहा जाता है। यह फाइटोप्लांकटन की कुछ प्रजातियों के कारण होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं जिनका रंग हरे से भूरे और लाल तक भिन्न होता है।
- यह एक समुद्री पर्यावरणीय घटना है जहां प्रोटिस्ट प्रजातियां जैसे शैवाल और डाइनोफ्लैगलेट्स एक जबरदस्त विकास अवधि से गुजरते हैं जिसे ब्लूम या शैवाल ब्लूम कहा जाता है। 2 से 3 सप्ताह की अवधि में ये शैवाल, कोशिकाओं के लिए 1 मिलियन संतति कोशिकाओं का उत्पादन कर सकती हैं।
- प्रोटिस्ट विषाक्त पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं या घुलित ऑक्सीजन का उपभोग कर सकते हैं जिससे मनुष्यों, मछली, शंख, समुद्री स्तनधारियों और पक्षियों जैसे विभिन्न जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
- झीलों और जलाशयों जैसे मीठे पानी के निकायों में मुख्य रूप से नीले-हरे शैवाल (जिन्हें सायनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है) के कारण इस तरह के फूल खिलते हैं। ये फूल सीधे कृषि और शहरी अपवाह से जुड़े हुए हैं जिसमें पोषक तत्व प्रदूषण साइनोबैक्टीरिया के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

## शैवाल ब्लूम का क्या कारण है?

- **यूट्रोफिकेशन:** पोषक तत्व संवर्धन या यूट्रोफिकेशन एक प्रमुख कारक है जो शैवाल विकास को बढ़ावा देता है। यह शैवाल और साइनोबैक्टीरिया दोनों के प्रसार का समर्थन करता है जो लाल ज्वार की घटनाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- **तापमान:** रेड टाइड गर्मियों के दौरान अधिक बार आते हैं, हालांकि वे संभावित रूप से पूरे वर्ष भर उभर सकते हैं जो अलग-अलग तापमान स्थितियों से प्रभावित होते हैं।
- **गंदापन (Turbidity):** गंदापन इस बात का माप है कि झील या समुद्र जैसे किसी जल निकाय में पानी कितना गंदा है? जल स्तंभ में निलंबित कणों और कार्बनिक पदार्थों का ऊंचा स्तर गंदगी को प्रभावित करता है। कम गंदापन पानी में प्रकाश के अधिक प्रवेश की अनुमति देता है जिससे शैवाल के विकास के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ बनती हैं।

### रेड टाइड का प्रभाव:

- **जैव-आवर्धन:** अक्सर शैवाल और समुद्री प्राणी जो ऐसे प्रोटिस्ट खाते हैं वे अप्रभावित रहते हैं, लेकिन खाद्य शृंखला में आगे बढ़ने पर ये विषाक्त पदार्थ घातक हो सकते हैं। मनुष्य, डॉल्फिन, मैनेटीज और सरीसृप संभावित रूप से एरोसोलिज्ड विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आते हैं।
- **स्वास्थ्य और आर्थिक चिंताएँ:** मनुष्यों में श्वसन संकट और अन्य संबंधित स्थितियों की शिकायतें रेड टाइड की घटनाओं से जुड़ी हुई हैं।
- यह प्रभाव केवल स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं तक ही सीमित नहीं है। इसका विस्तार जलीय कृषि तक है जहां समुद्री जीवन की खेती में महत्त्वपूर्ण व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। इससे सुरक्षित पेयजल के उपचार की लागत भी बढ़ जाती है। स्वच्छ जल स्रोतों पर निर्भर उद्योगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जिससे इन फूलों का आर्थिक नुकसान बढ़ जाता है।
- **मृत क्षेत्र:** ये फूल सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करके और ऑक्सीजन के स्तर को कम करके, जलीय जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनाते हैं जिससे 'मृत क्षेत्र' या हाइपोक्सिक क्षेत्र बनते हैं जो पानी की सतह के नीचे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को प्रभावित करते हैं।

## 4 फ्रांस में मिली चमगादड़ की नई प्रजाति

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में फ्रांस के शोधकर्ताओं ने फ्रांसीसी द्वीप कोर्सिका पर 'बहुत दुर्लभ' और लुप्तप्राय माने जाने वाले एक नए जीव चमगादड़ की खोज की है।

### नई प्रजाति के बारे में:

- ऊतक के नमूनों पर डीएनए विश्लेषण करने के बाद, वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया कि कोर्सिका में खोजा गया चमगादड़ जीनस माइप्टिस (Genus Myptic) एक पूर्व अज्ञात प्रजाति का है जिसकी छह महाद्वीपों में 120 से अधिक प्रजातियां हैं।
- नई पाई गई प्रजाति को कोर्सीकन बोली में 'नस्ट्रेल-Nustrale' नाम दिया गया जिसका अर्थ 'हमारा' होता है।
- शोधकर्ताओं ने नोट किया कि यह चमगादड़ एक महत्त्वपूर्ण अवधि के लिए आनुवंशिक रूप से पृथक रहा होगा।
- यह चमगादड़ भूरे रंग का होता है जिसके लंबे कान और चेहरे पर बाल होते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि इसकी पहचान इसके निचले होंठ पर एक 'विशिष्ट' काले धब्बे से होती है जो जीनस के अन्य सदस्यों में अनुपस्थित है।
- यह चमगादड़ पर्वतीय भूमध्यसागरीय द्वीप के आसपास पाया गया जो मार्सिले से लगभग 250 मील दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

### पारिस्थितिक महत्त्व और आवास:

- मध्यम आकार का यह चमगादड़ लगभग 1.5 इंच लंबा द्वीप के घने सदाबहार जंगलों में भोजन करता है और चट्टानी इलाकों में घोंसला बनाता है। शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम सुरंग में रहने वाले लगभग 60 व्यक्तियों की एक कॉलोनी को पहचाना जिससे चमगादड़ों के निवास स्थान के बारे में अंतर्दृष्टि का पता चला। जंगल में चमगादड़ का अस्तित्व पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है जो बीज फैलाव, परागण और कीट नियंत्रण जैसी आवश्यक सेवाओं में योगदान देता है।

### भेद्यता:

- हालाँकि 'नस्ट्रेल' खतरे में है जिसके सीमित वितरण, छोटी आबादी के आकार और आबादी के बीच सीमित कनेक्टिविटी के कारण, चमगादड़ को बहुत दुर्लभ तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशील माना जाता है।

### आगे की राह:

अध्ययन में शामिल शोधकर्ता इस अनोखी प्रजाति की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों की तात्कालिकता पर जोर देते हुए प्रजातियों को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत करने का सुझाव देते हैं। 'नस्ट्रेल' की खोज जैव विविधता अध्ययन और संरक्षण प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति है, खासकर कोर्सिका द्वीप पर। ऐसे प्रजातियों की उपस्थिति जैव विविधता

की बेहतर स्थिति दिखाता है।

## 5 नामदफा फ्लाइंग गिलहरी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में नामदफा फ्लाइंग गिलहरी को 42 साल के बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखा गया है। इससे पक्षीविदों में पुनः उत्सुकता बढ़ गई है।

### नामदफा फ्लाइंग गिलहरी के बारे में:

- नामदफा फ्लाइंग गिलहरी (बिस्वमोयोप्टेरस बिस्वासी) एक दुर्लभ रात्रिचर स्तनपायी है जिसको आखिरी बार 1981 में, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामदफा टाइगर रिजर्व में अकेले एक व्यक्ति द्वारा देखा गया था।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रजाति जलधाराओं के किनारे शुष्क पर्णपाती पर्वतीय जंगलों में पाई जाती है जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक ही घाटी के क्षेत्रों तक सीमित हो सकती है।

- नामदफा फ्लाइंग गिलहरी के कानों पर बालों का प्रमुख गुच्छा इसे लाल विशाल फ्लाइंग गिलहरी जैसी उड़ने वाली गिलहरियों की अन्य समान प्रजातियों से अलग बनाता है।
- नामदफा फ्लाइंग गिलहरी का अस्तित्व मानव गतिविधियों जैसे बस्तियों के लिए जंगलों को साफ करने, कृषि को स्थानांतरित करने और छत सामग्री के लिए जलाक्का सेकुंडा (रतन पाम) की पत्तियों की कटाई के कारण होने वाले निवास स्थान के नुकसान तथा गिरावट के कारण खतरे में है।

### सुरक्षा की स्थिति:

- IUCN लाल सूची: गंभीर रूप से लुप्तप्राय
- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022: अनुसूची I

### नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में:

- नामदफा टाइगर रिजर्व का नाम नामदफा नदी से लिया गया है जो दाफाबम (जहां 'दाफा' एक पहाड़ी को संदर्भित करता है और 'बम' का अर्थ पहाड़ी की चोटी है) से निकलती है तथा नोआ-देहिंग नदी में विलीन हो जाती है।
- इसकी स्थापना 1983 में भारत में 15वें बाघ परियोजना के रूप में की गई थी। प्रारंभ में 1972 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ तथा उसी वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत इसे टाइगर रिजर्व नामित किया गया।
- अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह पार्क मिश्मी पहाड़ियों की दाफा बम रेंज और पटकाई रेंज के बीच फैला है।

## 6 ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में मौसम पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने स्कॉटलैंड, उत्तरी इंग्लैंड और वेस्ट मिडलैंड्स पर दुर्लभ ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों की तस्वीरें लिया।

### ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल के बारे में:

- ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल (जिन्हें नैक्रियस बादल भी कहा जाता है) सबसे दुर्लभ और सबसे आश्चर्यजनक वायुमंडलीय घटनाओं में से हैं।
- पृथ्वी का समताप मंडल आम तौर पर नमी से रहित है जिससे यह बादल बनने के लिए एक असंभावित स्थान बन जाता है। हालाँकि आर्कटिक सर्दियों की चरम स्थितियों में जब तापमान -85°C के आसपास गिर जाता है, तो विरल जल वाष्प बर्फ के कणों में संघनित हो सकता है।
- ये बादल उच्च ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश को बिखेरते हैं जिससे इंद्रधनुषी रंगों का शानदार प्रदर्शन होता है। इसे तब भी देखा जा सकता है जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है।
- ये आमतौर पर जनवरी में प्रारम्भिक रूप से देखे जाते हैं, लेकिन इस साल दिसंबर की शुरुआत में असामान्य आर्कटिक सर्दी की वजह से ये बादल पहले देखे गये। इन बादलों की आवृत्ति अक्सर ओजोन रिक्तीकरण का अग्रदूत होती है, क्योंकि वे समतापमंडलीय रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

### इस बादल का प्रभाव:

- पीएससी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक सतह प्रदान करते हैं जहां क्लोरीन के साफ्ट फार्म प्रतिक्रियाशील तथा ओजोन को

नष्ट करने वाले रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। वे नाइट्रोजन यौगिकों को भी हटा देते हैं जो मुख्य रूप से ओजोन परत पर क्लोरीन के विनाशकारी प्रभाव को कम कर देते हैं।

- पीएससी की घटना न केवल आकाश पर नजर रखने वालों के लिए एक आश्चर्य है, बल्कि हमारे ग्रह के वायुमंडल के स्वास्थ्य की निगरानी करने वाले वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय है। जैसे-जैसे ये बादल आर्कटिक में अधिक बार आते हैं, वे समताप मंडल में परिवर्तन का संकेत देते हैं जिसका ओजोन परत और जलवायु पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है।

### आगे की राह:

ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ मिलकर क्लोरीन परमाणुओं का निर्माण करते हैं। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि के साथ ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों का निर्माण ओजोन परत को नष्ट कर देता है और पृथ्वी ग्रह को नुकसान पहुंचाता है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को सीमित करके कम किया जाना चाहिए।

## 7 फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) II योजना

### चर्चा में क्यों?

संसदीय स्थायी समिति ने उद्योग पर आधारित फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) II योजना की समय सीमा को तीन साल बढ़ाने की सिफारिश की है।

### फेम II योजना का अवलोकन:

- **समय सीमा:** 31 मार्च, 2024 तक 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ।
- इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करना तथा चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करना।

### सब्सिडी कटौती और प्रभाव:

- मई में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर फेम II सब्सिडी पूर्व-फैक्टरी कीमत पर 40% से घटाकर 15% कर दी गई।
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन 15,000 रुपये/किलोवाट से घटाकर 10,000 रुपये/किलोवाट कर दिया गया।
- समिति ने इसके बाद इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया।

### योजना विस्तार के लिए सिफारिशें:

- संसदीय समिति ने FAME-II योजना को तीन साल के विस्तार की सिफारिश की।
- मंत्रालय से समावेशिता के लिए उद्योग हितधारकों के साथ परामर्श करने और इलेक्ट्रिक गतिशीलता में परिवर्तन का समर्थन करने का आग्रह किया गया।
- इस क्षेत्र में गति बनाए रखने और 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी बहाल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

### फेम I और II प्रगति की तुलना:

- फेम I को मार्च 2015 से 31 मार्च, 2019 तक 895 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गयी थी।
- फेम II प्रौद्योगिकी विकास, मांग निर्माण, पायलट परियोजनाओं और चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर केंद्रित करता है।

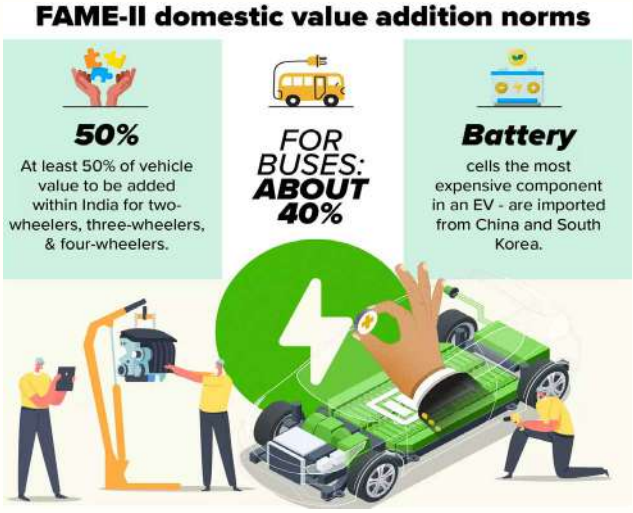


### चार-पहिया वाहनों का समावेश और ईवी समर्थन:

- चार पहिया वाहनों के लिए समर्थन बढ़ाने और फेम II में निजी इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को शामिल करने की सिफारिश की गई है।
- वाहन की लागत और बैटरी क्षमता के आधार पर सीमा तय करने का सुझाव दिया गया है।

### अवसंरचना विकास:

- ईवी विकास के लिए सभी स्तरों पर सुसंगत सरकारी रूपरेखाओं के महत्त्व पर जोर दिया गया है।
- बैटरी, सेल और ईवी घटकों के लिए समर्पित विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की गई।

### चार्जिंग स्टेशन और बीएचईएल की भूमिका:

- ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए बीएचईएल को अधिक फंड आवंटित करने की वकालत।
- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है जो महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के लिए सहायता का प्रस्ताव करता है।

### नीति स्थिरता और बाजार निश्चितता:

- ईवी बाजार पर बार-बार नीतिगत बदलावों के नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।
- सरकार से स्थायी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत गतिशीलता हेतु एक सुसंगत और स्थिर राष्ट्रीय नीति तैयार करने का आग्रह किया गया।

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

## 1 इंसूक्विक बायोसिमिलर इंसुलिन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंसूक्विक (INSUQUICK) नामक भारत का पहला बायोसिमिलर इंसुलिन 'एस्पार्ट यूएसवी और बायोजेनॉमिक्स' नामक बायोटेक कंपनी ने लॉन्च किया है जिसे मधुमेह वाले लोगों के उपचार में प्रयोग किया जायेगा। इंसूक्विक एक 'मेक इन इंडिया' उत्पाद है जो 100% स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके निर्मित और विकसित किया गया है।

### बायोसिमिलर क्या हैं?

- बायोसिमिलर पहले से स्वीकृत जैविक चिकित्सा (संदर्भ चिकित्सा) की 'जैविक फोटोकॉपी' है जो पहले से ही अनुमोदित अन्य जैविक दवाओं के समान हैं। उन्हें फार्मास्युटिकल गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के समान मानक के अनुसार अनुमोदित किया जाता है जो सभी जैविक दवाओं पर लागू होता है। यह संरचना, जैविक गतिविधि और प्रभावकारिता, सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाविज्ञानी प्रोफाइल के संदर्भ में एक समान है।
- इसकी प्राकृतिक परिवर्तनशीलता के कारण बायोसिमिलर को जैविक चिकित्सा का जेनेरिक नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि जैविक दवाओं का अधिक जटिल निर्माण आणविक सूक्ष्म-विषमता की सटीक प्रतिकृति की अनुमति नहीं देता है।

| Biologic | Biosimilar |
|---|---|
| A new treatment | Nearly identical to FDA-approved biologic |
| Made from a living source | Made from a living source |
| 15 years to develop | 8–10 years to develop |
| $1.2 billion to develop | $100–$200 million to develop |
| Patentable | Non-patentable |

### भारतीय स्वास्थ्य सेवा में उपयोग:

- **बेहतर स्वास्थ्य देखभाल:** बायोसिमिलर का विकास और प्रोत्साहन कैंसर, अस्थमा तथा गठिया जैसी गैर-संचारी बीमारियों के इलाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ट्रैस्टुजुमैब एमटैन्सिन का पहला बायोसिमिलर संस्करण न केवल कैंसर कोशिका वृद्धि को रोकता है, बल्कि कोशिकाओं को नष्ट करने में भी सहायता करता है।
- **बेहतर पहुंच और सामर्थ्य:** बायोसिमिलर महंगे बायोलॉजिक्स की तुलना में अधिक किफायती विकल्प प्रदान करते हैं, उपचार तक पहुंच बढ़ाते हैं और रोगियों को अधिक विकल्प प्रदान करते हैं जिसमें अपने लिए उपयुक्त चुनाव कर सकते हैं।
- **वैश्विक उपस्थिति:** कैंसर (जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी) और ऑटोइम्यून बीमारियों में बायोसिमिलर की बढ़ती बाजार मांग वैश्विक अवसर प्रस्तुत करती है।

### बायोसिमिलर की चुनौतियाँ:

- इसकी विकास प्रक्रिया महंगी और समय लेने वाली है।
- तापमान के प्रति बायोसिमिलर की संवेदनशीलता के लिए वितरण और संरक्षण बनाए रखने हेतु कोल्ड चेन नेटवर्क की आवश्यकता होती है।
- मशीनरी, इमारतों और परिसंपत्तियों में निवेश के कारण बायोसिमिलर की उत्पादन लागत जेनेरिक से काफी भिन्न होती है।

### आगे की राह:

बायोसिमिलर उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है लेकिन विकास के साथ-साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संतुलन बनाए रखने से रोगी की पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनिवार्यता, दोनों सुनिश्चित होती है। गुणवत्ता से समझौता करने से रोगी के स्वास्थ्य और उद्योग की विश्वसनीयता पर भी जोखिम पैदा होगा। सरकार को बायोसिमिलर की प्रभावकारिता और पहुंच दोनों को बनाए रखने हेतु अनुमोदन में तेजी लाने के साथ-साथ गहन गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करते हुए एक कठोर लेकिन सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रिया लागू करनी चाहिए।

## 2 उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में नोमा को डब्ल्यूएचओ की मान्यता

### चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 15 दिसंबर, 2023 को दुनिया की सबसे कम मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक 'नोमा' को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (एनटीडी) की अपनी आधिकारिक सूची में जोड़ा।

### नोमा (Noma) के बारे में:

- नोमा जिसे कैंक्रम ऑरिस या गैंग्रीनस स्टामाटाइटिस भी कहा जाता है (गैंग्रीन का एक गंभीर रूप है जो मुंह और चेहरे को प्रभावित करता है) जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर लगभग 90% होती है। यह रोग गंभीर गरीबी, कुपोषण और स्वच्छता तथा मौखिक देखभाल तक अपर्याप्त पहुंच से जुड़ा हुआ है।
- इस बीमारी का नाम ग्रीक शब्द 'नोमे-Nome' से आया है जिसका अर्थ 'खा जाना' है क्योंकि अगर जल्दी इलाज न किया जाए तो नोमा चेहरे के ऊतकों और हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है।

- हालाँकि यह बीमारी संक्रामक नहीं है, यह शरीर की सुरक्षा कमजोर होने पर हमला करती है। यह रोग मसूड़ों की सूजन से शुरू होता है और माना जाता है कि यह मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है।

### एनटीडी के रूप में इसकी मान्यता महत्त्वपूर्ण क्यों?

- इस बीमारी की 'छिपी या उपेक्षित' प्रकृति का महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि यह दुनिया के सबसे हाशिए पर रहने वाले बच्चों को प्रभावित करती है। यह 2-6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है और गरीब समुदायों में रहने वाले लोगों में सबसे अधिक पाया जाता है।
- इस बीमारी को लेकर जागरूकता की बेहद कमी है और मामलों की कोई विश्वसनीय संख्या नहीं है। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट नवीनतम अनुमानों को प्रति वर्ष 140,000 मामलों और 770,000 मामलों की व्यापकता को सूचीबद्ध करती है, हालाँकि यह डेटा भी 1998 का है।
- नोमा को 'गरीबी का चेहरा' भी कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक गरीबी के कारण सल्फोनामाइड्स और पेनिसिलिन जैसी प्रभावी दवाएं तथा उनके प्रभावों हेतु पर्याप्त सर्जिकल उपचार कई लोगों के लिए दुर्गम हैं।
- एनटीडी के रूप में नोमा की मान्यता का उद्देश्य वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान को उत्प्रेरित करना, वित्त पोषण को प्रोत्साहित करना और बहुक्षेत्रीय तथा बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से बीमारी को नियंत्रित करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है।
- इसकी उच्च मृत्यु दर को देखते हुए इसका शीघ्र पता लगाना महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रारंभिक चरण में उपचार सबसे प्रभावी होता है। इसके अलावा बुनियादी स्वच्छता, एंटीबायोटिक्स और पोषण पुनर्वास जैसी सरल प्रथाएं इसके प्रसार को काफी हद तक धीमा कर सकती हैं।

### आगे की राह:

नोमा को एनटीडी के रूप में स्वीकार करने से वैश्विक जागरूकता बढ़ेगी, त्वरित अनुसंधान होगा, फंडिंग बढ़ेगी और बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग करके नियंत्रण उपायों को मजबूत किया जाएगा। इस विनाशकारी बीमारी से निपटना न केवल सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के अनुरूप होगा, बल्कि विशेष रूप से वंचित आबादी को भी लक्षित करेगा।

## 3 निकोटीन की लत के लिए नया उपचार

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्री रामचन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (एसआरआईएचईआर) में फार्मेसी संकाय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने निकोटीन की लत और इससे जुड़े स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने के लिए एक नए उपचार की पहचान की है। अध्ययन धूम्रपान करने वालों के प्लाज्मा के भीतर कोटिनिन को वापस निकोटीन में परिवर्तित करने में एक विशिष्ट खुराक (विटामिन सी) में एस्कॉर्बिक एसिड की प्रभावकारिता पर प्रकाश डालता है।

### यह कैसे कार्य करता है?

- निकोटीन का चयापचय होता है और कोटिनिन नामक एक ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट बनता है जो कैंसर सहित घातक परिणामों से जुड़ा पदार्थ है। कोटिनिन शरीर में कई हफ्तों तक बना रह सकता है।
- जब भी धूम्रपान करने की इच्छा हो तो धूम्रपान करने वाले को एस्कॉर्बिक एसिड की घुलनशील खुराक देनी होती है। इसका उद्देश्य एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी) का उपयोग करके कोटिनिन को वापस निकोटीन में बदलना है। धूम्रपान करने वालों के प्लाज्मा में कोटिनिन प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है जिसकी मात्रा व्यक्ति के तंबाकू सेवन पर निर्भर करती है।
- आम तौर पर 80% निकोटीन शरीर में कोटिनिन के रूप में जमा हो जाता है, जबकि शेष 20% मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। परिवर्तित निकोटीन फिर से 80% कोटिनिन बनाता है और फिर 20% समाप्त हो जाएगा। इस चक्र को जारी रखने से कई चक्रों के बाद शरीर में कोटिनिन 0% हो सकता है। निकोटीन जमा को पूरी तरह से हटाने के लिए आवश्यक चक्रों की संख्या व्यक्तियों द्वारा निकोटीन की पिछली खुराक पर निर्भर करती है।

### कोटिनिन के बारे में:

- कोटिनिन एक उत्पाद है जो रासायनिक निकोटीन के शरीर में प्रवेश करने के बाद बनता है। निकोटीन एक रसायन है जो सिगरेट और चबाने वाले तंबाकू उत्पादों में पाया जाता है। पर्यावरणीय तंबाकू धुएं (ईटीएस) के संपर्क में आने वाले धूम्रपान करने वालों और गैर- धूम्रपान करने वालों दोनों के लिए निकोटीन के जोखिम को निर्धारित करने के लिए लोगों के रक्त में कोटिनिन हेतु मापना सबसे विश्वसनीय तरीका है। कोटिनिन को मापने को निकोटीन को मापने की प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि कोटिनिन शरीर में लंबे समय तक रहता है।

### आगे की राह:

निकोटीन की लत और इसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एनआरटी) निकोटीन पैच या लोजेंज का उपयोग किया जाता है जो शरीर को अतिरिक्त निकोटीन प्रदान करने पर निर्भर करता है। शोधकर्ताओं ने अब निकोटीन के ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट, कोटिनिन की ओर रुख किया है। एक संभावित कम करने वाले एजेंट के रूप में एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग करते हुए धूम्रपान करने वालों के प्लाज्मा में कोटिनिन को वापस निकोटीन में बदल दिया जाता है जिससे निकोटीन की लत और विषहरण दोनों को एक साथ लक्षित होता है।

## 4 आर21/मैट्रिक्स-एम मलेरिया वैक्सीन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ऑक्सफोर्ड

यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित आर21/मैट्रिक्स-एम मलेरिया वैक्सीन को अपनी प्रीक्वालिफाइड टीकों की सूची में शामिल कर लिया। यह वैक्सीन RTS,S/AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है।

### आर21/मैट्रिक्स-एम के बारे में:

- आर21/मैट्रिक्स-एम मलेरिया वैक्सीन आसानी से उपलब्ध कराया जाने वाला टीका है जिसे मामूली लागत के साथ बड़े पैमाने पर निर्मित किया जा सकता है।
- मैट्रिक्स-एम घटक पर नोवावैक्स का आधिपत्य है जिसे स्थानिक देशों में उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से लाइसेंस प्राप्त है।
- इस मलेरिया वैक्सीन को पश्चिम अफ्रीका के तीन देशों 'घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो' में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है।
- वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण बुर्किना फासो, केन्या, माली और तंजानिया के 4,800 बच्चों पर किया गया।

### मलेरिया क्या है?

- मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होने वाला बुखार है जो मादा एनोफेलीज मच्छर के द्वारा फैलता है।
- यह रोग भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें सब-सहारा अफ्रीका तथा एशिया के अधिकतर देश शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में कुल मलेरिया के मामलों में से 77% मामले भारत में पाए जाते हैं।
- प्लाज्मोडियम परजीवी की कुल पांच प्रजातियों में से दो 'पी. फाल्सीपेरम (P- falciparum) एवं पी. विवैक्स (P- vivax)' को सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है।

### मलेरिया के लक्षण:

- मलेरिया के प्रारंभिक लक्षण फ्लू की भांति होते हैं जिसमें बुखार, सिरदर्द, पसीना आना, ठंड लगना, उल्टी आदि शामिल होता है।
- गंभीर मामलों में यह अंग विफलता, कोमा और मृत्यु का कारण भी बन सकता है।

### मलेरिया के मामले एवं उन्मूलन के प्रयास:

- 2020 में 85 मलेरिया प्रभावित देशों में से 29 देशों में मलेरिया के 96 प्रतिशत मामले थे। वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों में भारत का योगदान 1.7 प्रतिशत और मौतों में 1.2 प्रतिशत रहा है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, भारत में सालाना लगभग 15 मिलियन मलेरिया के मामले सामने आते हैं जिनमें लगभग 19,500-20,000 मौतें होती हैं।
- 2019 और 2020 के बीच भारत को छोड़कर सभी उच्च-बोझ से उच्च-प्रभाव (HBHI) वाले देशों में मामलों तथा मौतों में वृद्धि दर्ज की गई है।
- 2022 में 85 मलेरिया के मामले स्थानिक देशों में वैश्विक स्तर पर अनुमानित 241 मिलियन थी जो 2019 में 227 मिलियन से अधिक है। अधिकांश मामले अफ्रीकी देशों से आए जो 95 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार थे।
- भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।

### आगे की राह:

मलेरिया एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो सर्वाधिक आबादी को प्रभावित करता है। जनजातीय व स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त कार्य योजना तथा एचआईपी-मलेरिया पोर्टल के कार्यान्वयन से मलेरिया के प्रसार को रोकने और बीमारी की रोकथाम, निदान एवं उपचार में सुधार करने में मदद मिलेगी।

## 5 भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2028 तक भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना तैयार किया।

### प्रमुख बिंदु:

- भारत अमृत काल के दौरान अपना स्वयं का 'भारत अंतरिक्ष स्टेशन' स्थापित करेगा।
- नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल विकास की आवश्यकता है।
- अंतरिक्ष स्टेशन एक अंतरिक्ष यान है जो विस्तारित अवधि के लिए अपनी कक्षा में मानव दल का समर्थन करने में सक्षम है, इसलिए यह एक प्रकार का अंतरिक्ष आवास है। इसमें प्रमुख प्रणोदन या लैंडिंग सिस्टम का अभाव है। एक कक्षीय स्टेशन या एक कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन एक कृत्रिम उपग्रह होता है।

### नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में:

- नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल या NGLV (जिसे पहले यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल या ULV कहा जाता था) एक तीन चरणों वाला आंशिक रूप से पुन: प्रयोज्य रॉकेट है जो वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह वाहन पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम3 जैसी वर्तमान परिचालन प्रणालियों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है।
- तीन लांचरों के इन प्रकारों को पहले क्रमश: पीएसएलवी, जीएसएलवी और एलवीएम 3 के विभिन्न कोर प्रोपल्शन मॉड्यूल को एक सामान्य अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन के साथ बदलने के लिए डिजाइन किया जा रहा था, इसलिए इसे यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल (यूएलवी) नाम दिया गया था। अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) लांचरों में आंशिक पुन: प्रयोज्यता होगी।

### इसरो के महत्त्वपूर्ण भविष्य के मिशन:

- **इनसैट 3DS:** INSAT 3DS इसरो द्वारा विकसित भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (INSAT) शृंखला का एक हिस्सा है। मिशन को अस्थायी रूप से जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह का उद्देश्य मौसम प्रणाली, आपदा प्रबंधन और महत्त्वपूर्ण मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की निगरानी करना तथा अधिक जानकारी प्राप्त

करना है।

- **गगनयान 1:** गगनयान का पहला मिशन इसरो और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है जो जनवरी या फरवरी 2024 में उड़ान भरने के लिए तैयार है। गगनयान 1 भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की तैयारी के लिए एक परीक्षण उड़ान होगी जो तीन चालक दल के सदस्यों को ले जाने में सक्षम होगा।
- **निसार:** नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है, जहां दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाने वाला यह पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा।

### एक्स-रे पोलारिमीटर उपग्रह:

- ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए एक्स-रे पोलारिमीटर उपग्रह को 2024 में कक्षा में लॉन्च किया जाएगा जो कम से कम 5 वर्षों तक रहेगा। इसका उपयोग पल्सर, ब्लैक होल एक्स रे बायनेरिज, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक और गैर-थर्मल सुपरनोवा अवशेषों का निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा।

### वीनस ऑर्बिटर मिशन:

- वीनस ऑर्बिटर मिशन में इसरो ने 2025 तक देश के इतिहास में पहली बार शुक्र ग्रह की कक्षा में जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बनाई है। ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान पांच साल तक शुक्र की कक्षा में रहेगा।

### आगे की राह:

नए अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से भारत को पृथ्वी और सौर मंडल का अध्ययन करने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। भारत नई प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ा सकता है जो हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाती हैं, साथ ही नई पीढ़ी के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को प्रेरित कर सकती है।

## 6 एक्सपोसैट का सफल प्रक्षेपण

### चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 1 जनवरी, 2024 को अपनी पहली पॉलारिमेट्री मिशन एक्सपोसैट (XPoSat) का प्रक्षेपण किया। यह प्रयास भारत की पॉलारिमेट्री में प्रवेश की ओर कदम बढ़ाता है जो सामान्य छवियों से परे अस्तित्वीय (Celestial) घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया दृष्टिकोण है।

### एक्सपोसैट के बारे में:

- एक्सपोसैट (जिसे एक्स-रे पॉलारीमीटर सैटेलाइट कहा जाता है) भारत का पहला पॉलारिमेट्री मिशन है जो उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों के जटिल गतिविधियों का अध्ययन करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह पृथ्वी के ओर्बिट में प्रक्षेपित किया जाने वाला अंतरिक्षयान है जो दो वैज्ञानिक पेलोड 'पोलिक्स और Xspect' के साथ सुसज्जित है।
- **पोलिक्स (एक्स-रे में पोलारिमीटर उपकरण):** पोलिक्स प्राथमिक पेलोड के रूप में कार्य करता है और 8-30 केवी की मध्यम एक्स-रे ऊर्जा रेंज में पोलारिमेट्री मापदंडों, विशेष रूप से ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण को मापने के लिए जिम्मेदार है। यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी) के सहयोग से रामम रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) द्वारा विकसित, पोलिक्स सटीक अवलोकन की सुविधा के लिए एक कोलिमेटर, एक स्कैटरर और चार एक्स-रे आनुपातिक काउंटर डिटेक्टरों को नियोजित करता है।

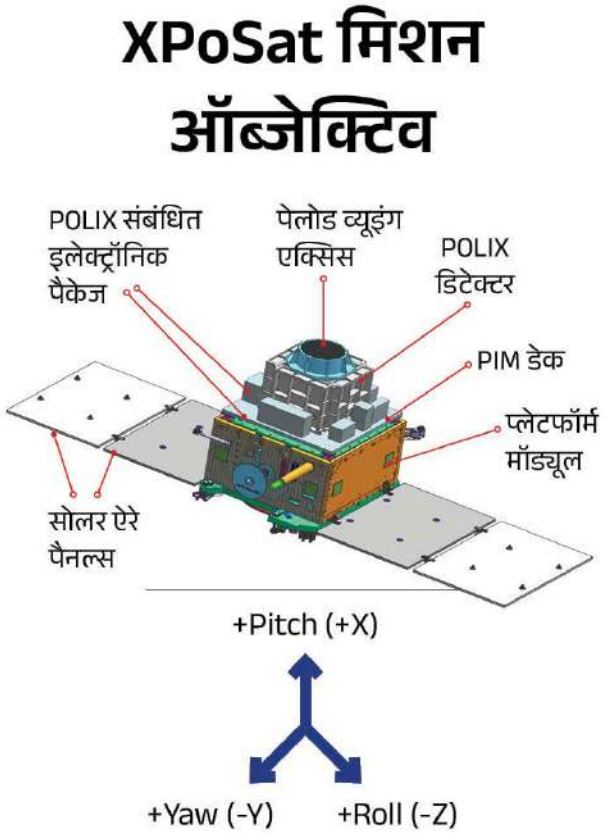


- **एक्सस्पेक्ट (एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग):** एक्सस्पेक्ट द्वितीयक पेलोड है जिसे 0.8-15 केवी की ऊर्जा रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सॉफ्ट एक्स-रे में तेज समय और उच्च स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजॉल्यूशन प्रदान करके पोलिक्स के पोलारिमेट्रिक अवलोकनों का पूरक है। XSPECT में 6 keV पर 30 सेमी$^2$ से अधिक के प्रभावी क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए स्वेप्ट चार्ज डिवाइस (SCDs) की एक श्रृंखला है जिसमें 6 keV पर 200 eV से कम का प्रभावशाली ऊर्जा रिजॉल्यूशन है। दृश्य क्षेत्र को संकीर्ण करने और पृष्ठभूमि शोर को कम करने के लिए पेलोड निष्क्रिय कोलाइमर से सुसज्जित है।

### इसरो का वैज्ञानिक पुनर्जागरण:

- एक्सपोसैट मिशन वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रति इसरो की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में माना जा रहा है, खासकर भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी संस्थाओं के लिए अनुमति देने के बाद से। चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक दक्षिणी ध्रुव लैंडिंग और अन्य हालिया उपलब्धियों की सफलता के आधार पर इसरो ने चंद्र तथा सौर अन्वेषण, नेविगेशन उपग्रह तैनाती और वाणिज्यिक मिशन दोनों में कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपने वैज्ञानिक पोर्टफोलियो का विस्तार करना जारी रखा है।

### आगे की राह:

एक्सपोसैट अंतरिक्ष में ध्रुवीकरण के रहस्यों को उजागर करने के अपने मिशन पर आगे बढ़ता है जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का गतिशील विकास एक ऐसे भविष्य का वादा करता है जहां इसरो की सरलता मानवता को ब्रह्मांड को समझने में मदद करेगा।

## 7 लम्पी स्किन डिजीज

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने लोकसभा में बताया कि मवेशियों में लम्पी स्किन डिजीज के प्रकोप के कारण 2022-23 में देश में दूध उत्पादन की गति धीमी हो गई है। हालांकि संसदीय समिति ने 2022 और 2023 में लम्पी स्किन डिजीज के कारण दो लाख से अधिक मवेशियों तथा भैंसों की मौत पर केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाया है।

### लम्पी स्किन डिजीज:

- लम्पी स्किन डिजीज कैप्रीपॉक्स नामक वायरस के कारण होता है जो वैश्विक-पशुधन के लिए एक उभरता हुआ खतरा है।
- यह आनुवंशिक रूप से गोटपॉक्स और शीपपॉक्स वायरस परिवार से जुड़ा है।
- यह पशुधन को रक्त पर निर्भर रहने वाले कीड़ों जैसे रोगवाहकों के माध्यम से संक्रमित करता है।

### लक्षण:

- प्रमुख लक्षणों में जानवर की त्वचा पर गांठ जैसी दिखने वाली गोलाकार, सख्त गांठों का पड़ना शामिल है।
- संक्रमित जानवर का वजन कम होने लगता है, दूध कम हो जाता है जिससे बुखार और मुंह में घाव भी हो सकते हैं।
- अत्यधिक नाक और लार का स्राव होना भी लक्षण है।
- गर्भवती गायों और भैंसों को इस बीमारी के कारण गर्भपात हो सकता है जिससे उनकी मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

### लम्पी स्किन डिजीज के प्रकोप का इतिहास:

- यह रोग अधिकांश अफ्रीकी देशों में स्थानिक है। 2012 से मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व यूरोप और पश्चिम तथा मध्य एशिया में प्रकोप अधिक तेजी से हुआ है।
- 2019 से एशिया में एलएसडी के कई प्रकोपों की सूचना मिली है।
- सितंबर 2020 में महाराष्ट्र में वायरस का एक स्ट्रेन पाया गया। गुजरात में भी पिछले कुछ वर्षों में छिटपुट मामले सामने आए हैं।
- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (जिसका भारत एक सदस्य है) के अनुसार मृत्यु दर, 1 से 5 प्रतिशत सामान्य मानी जाती है।

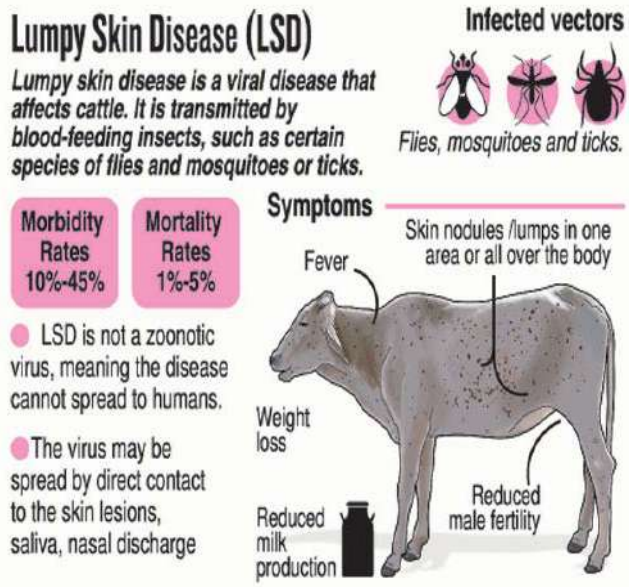


### मनुष्य को खतरा:

- यह रोग जूनोटिक नहीं है अर्थात यह जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है और मनुष्य इससे संक्रमित नहीं हो सकते हैं।
- संक्रमित जानवर द्वारा उत्पादित दूध उबालने या पाश्चुरीकरण के बाद मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में दूध में उपस्थित कोई भी वायरस नष्ट हो जाता है।

### चुनौतियां:

- मृत पशुओं का निपटान एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि शवों का अनुचित निराकरण स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है।
- शवों के उचित निपटान में परिसर का कीटाणुशोधन एवं उच्च तापमान पर शवों का अंतिम संस्कार भी शामिल हो सकता है।

### आगे की राह:

एलएसडी का सफल नियंत्रण और उन्मूलन शीघ्र पता लगाने पर निर्भर करता है। इसके बाद तेजी से व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाना चाहिए। पशु-शेडों को कीटाणु रहित करने के लिए कीटनाशकों और कीटाणुनाशक रसायनों का छिड़काव किया जाना चाहिए। संक्रमित मवेशियों को स्वस्थ पशुओं के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए तथा इलाज के लिए निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। राज्य सरकार को इस प्रकोप से निपटने में तेजी लानी चाहिए ताकि गॉट पॉक्स के टीके का उपयोग करके बाकी स्वस्थ मवेशियों को टीका लगाया जा सके।

# आर्थिक मुद्दे

## 1 कृषि बीमा पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जैसी विभिन्न कृषि योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट वास्तव में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'कृषि फसल बीमा योजनाओं' पर 2017 की C&AG रिपोर्ट (संख्या 7) से संबंधित है।

### रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- रिपोर्ट में कृषि बीमा योजनाओं के भीतर चिंता के कई प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। इसने प्रीमियम सब्सिडी के लिए राज्य सरकारों द्वारा धन जारी करने तथा फसलों, क्षेत्रों और शामिल बीमा कंपनियों के संबंध में अधिसूचना जारी करने में देरी की ओर इशारा किया। उपज डेटा के विलंबित प्रसारण और एनईएफटी-संबंधित मुद्दों जैसे विभिन्न कारणों से निपटान दावों में भी देरी हुई।
- इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में एक असमानता देखी गई अर्थात जनगणना 2011 द्वारा मूल्यांकन किए गए आंकड़ों की तुलना में योजनाओं के तहत कवर किए गए किसानों की संख्या काफी कम थी। विशेष रूप से गैर-ऋणी किसानों के बीच कवरेज लगभग नगण्य था।
- इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए रिपोर्ट राज्य सरकारों द्वारा समय पर धन जारी करने के लिए तंत्र स्थापित करने का सुझाव देती है। यह वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए किसान कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे डेटाबेस को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती है।
- यह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर भी जोर देता है। इसके अलावा रिपोर्ट सटीक फसल उपज डेटा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फसल काटने के प्रयोगों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और दोहराने की सिफारिश करती है।

### लोक लेखा समिति के बारे में:

- लोक लेखा समिति तीन वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति अन्य दो वित्तीय समितियाँ हैं।
- यह समिति पहली बार 1921 में मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के मद्देनजर स्थापित की गई थी जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1919 के रूप में भी जाना जाता है। यह तीन समितियों में सबसे पुरानी समिति है।
- समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
- समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

### आगे की राह:

रिपोर्ट में 2017 के बाद से कई बदलाव बताये गए हैं। उदाहरण के लिए पीएसी की रिपोर्ट में गैर-ऋणी किसानों का कवरेज नगण्य था, जबकि खरीफ 2023 अनुप्रयोगों में उनकी हिस्सेदारी 34 प्रतिशत (अखिल भारतीय) थी। इस दौरान महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गैर-ऋणी किसानों की हिस्सेदारी नामांकन के लिए ऋणी किसानों के आवेदनों से अधिक रही।

## 2 लीड्स 2023 रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेन्ट स्टेट (LEADS) 2023 रिपोर्ट जारी की गई। यह वार्षिक अभ्यास का 5वां संस्करण था जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें राज्यों को तीन रैंकिंग 'अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स' में विभाजित किया जाता है।

| Groups / Categories | Achievers | Fast Movers | Aspirers |
|---|---|---|---|
| Coastal | Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu | Kerala, Maharashtra | Goa, Odisha, West Bengal |
| Landlocked | Haryana, Punjab, Telangana, Uttar Pradesh | Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand | Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jharkhand |
| North-East | Assam, Sikkim, Tripura | Arunachal Pradesh, Nagaland | Manipur, Meghalaya, Mizoram |
| Union Territories | Chandigarh, Delhi | Andaman & Nicobar, Lakshadweep, Puducherry | Daman & Diu/ Dadra & Nagar Haveli, Jammu & Kashmir, Ladakh |

LEADS 2023

### लीड्स 2023 की मुख्य बातें:

#### तटीय समूह:

- **अचीवर्स (लक्ष्य प्राप्त वाले राज्य):** आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तथा तमिलनाडु
- **फास्ट मूवर्स (तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य):** केरल तथा महाराष्ट्र
- **एस्पायर्स (प्रेरक राज्य):** गोवा, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल

#### जमीन से घिरे (लैंडलॉक) समूह:

- **अचीवर्स:** हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश
- **फास्ट मूवर्स:** मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखंड
- **एस्पायर्स:** बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा झारखंड

#### उत्तर-पूर्वी समूह:

- **अचीवर्स:** असम, सिक्किम तथा त्रिपुरा
- **फास्ट मूवर्स:** अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड
- **एस्पायर्स:** मणिपुर, मेघालय तथा मिजोरम

### केंद्र शासित प्रदेश:

- **अचीवर्स:** चंडीगढ़ तथा दिल्ली
- **फास्ट मूवर्स:** अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी
- **एस्पायर्स:** दमन एवं दीव/ दादरा एवं नगर हवेली, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख

### लॉजिस्टिक क्षेत्र के बारे में:

- लॉजिस्टिक्स मूल स्थान से उपभोग बिंदु तक वस्तुओं के कुशल परिवहन और भंडारण की योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है।
- लॉजिस्टिक्स का लक्ष्य ग्राहकों की आवश्यकताओं को समय पर लागत प्रभावी तरीके से पूरा करना है। भारतीय लॉजिस्टिक्स बाजार का मूल्य 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।
- यह क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

### राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति:

- पूरे भारत में वस्तुओं के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2022 में एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति शुरू की।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के कार्यान्वयन से एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में विकास को और बढ़ावा मिलेगा, साथ ही समय की बर्बादी तथा लागत में कमी आएगी जिससे स्थिरता सुनिश्चित होगी।

### लॉजिस्टिक्स में सुधार के अन्य उपाय:

- सरकार ने 2021 में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पेश किया था।
- इस योजना के तहत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना तथा समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है।
- सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के तहत 35 नए मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास को भी मंजूरी दी है।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 40 एयर कार्गो टर्मिनल बनाए गए हैं, साथ ही 30 हवाई अड्डों को कोल्ड-स्टोरेज सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

### लीड्स के बारे में:

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर लीड्स की कल्पना की गई थी।
- एलपीआई पूरी तरह से धारणा-आधारित सर्वेक्षणों पर निर्भर करता है, जबकि लीड्स धारणा के साथ-साथ निष्पक्षता को शामिल करता है जिससे इस अभ्यास की व्यापकता बढ़ जाती है।
- इसके प्रमुख स्तंभों में लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाएँ और संचालन एवं विनियामक वातावरण शामिल है।

### आगे की राह:

यह रिपोर्ट लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भारतीय लॉजिस्टिक्स इको-सिस्टम और वैश्विक स्थिति की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करती है।

## 3 भारत के ऋण स्थिरता के संबंध में आईएमएफ की चेतावनी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में आईएमएफ ने भारत के डेट टू जीडीपी अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जिसमें विभिन्न आर्थिक मुद्दों, आर्थिक विकास और नीतियों पर आधारित चेतावनी भी शामिल है।

### आईएमएफ का दृष्टिकोण:

- इस वर्ष की रिपोर्ट दो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है जो गहन जांच के योग्य हैं:
  - भारत की मुद्रा व्यवस्था
  - सामान्य सरकारी ऋण का स्तर

#### -: प्रीलिम्स इनसाइट :-

- ☑ फ्लोटिंग विनिमय दर एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसी देश की मुद्रा की कीमत अन्य मुद्राओं के सापेक्ष आपूर्ति और मांग के आधार पर विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह एक निश्चित विनिमय दर के विपरीत है जिसमें सरकार पूरी तरह या मुख्य रूप से दर निर्धारित करती है।
- ☑ स्वर्ण मानक और ब्रेटन वुड्स समझौते की विफलता के बाद यह दर लोकप्रिय हुआ है। आईएमएफ विनिमय दर व्यवस्था को एक स्थिर व्यवस्था के रूप में तब वर्गीकृत करता है जब यह निर्धारित करता है कि विनिमय दर 6 महीनों में 2% बैंड से आगे नहीं बढ़ी है जो बाजार की स्थितियों के बजाय बाजार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप हुई है।

- आईएमएफ ने आगाह किया है कि निकट भविष्य में सामान्य सरकारी ऋण भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 100 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है जोकि वर्तमान में लगभग 70% है।
- इसने भारत की विनिमय दर व्यवस्था को पुनर्वर्गीकृत किया और इसे 'फ्लोटिंग' के बजाय 'स्थिर व्यवस्था' करार दिया।
- वैश्विक मूल्य वृद्धि के बीच भारत के मुद्रास्फीति नियंत्रण को स्वीकार करते हुए, सकारात्मक विकास दृष्टिकोण को बनाए रखा है। इसने भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर को 6% से संशोधित करके 6.3% कर दिया।
- इसने दीर्घकालिक जोखिमों की संभावना पर भी जोर दिया क्योंकि

भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश महत्त्वपूर्ण है।

- इसके लिए लचीलेपन को बढ़ाने, जलवायु जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए नए रियायती वित्तपोषण, विस्तारित निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा कार्बन मूल्य निर्धारण या इसी तरह के तंत्र के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

### भारत की प्रतिक्रिया:

- भारत ने अपनी विनिमय व्यवस्था में आईएमएफ के बदलावों का विरोध किया तथा इसे 'अनुचित' और 'व्यक्तिपरक चयन' पर आधारित बताते हुए बाहरी चुनौतियों को झेलने के लिए विनिमय दर के लचीलेपन को महत्त्वपूर्ण बताया।
- बढ़ती सरकारी ऋण चेतावनियों के संबंध में भारत ने अपने घरेलू मुद्रा प्रभुत्व के कारण सीमित संप्रभु ऋण जोखिमों पर जोर दिया।
- इसके अलावा, भारत ने तर्क दिया कि आईएमएफ घरेलू जटिलताओं को समझने में विफल रहा है।
- भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर होने एवं अधिकतर जनसंख्या के युवा होने से यह स्थिति भारत के लिए चिंता की बात नहीं है।

### आगे की राह:

विनिमय दर व्यवस्था ऐसे समय आए हैं जब रुपया अन्य मुद्राओं की तुलना में कम गिरा है क्योंकि विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप से इसकी गिरावट को कम किया गया है। हालाँकि, एक लचीली विनिमय दर, जैसा कि आईएमएफ भी नोट करता है, बाहरी चुनौतियों को झेलने में मदद करेगी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अपने ऋण तथा घाटे के स्तर को महामारी के दौरान देखे गए स्तरों से कम करने में सफलता पाई है जिसको और बेहतर करने की जरूरत है।

## 4 आरबीआई की कार्ड - ऑन - फाइल टोकनाइजेशन पहल

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में आरबीआई ने कार्डधारकों के लिए टोकन बनाने और उन्हें ई-कॉमर्स अनुप्रयोगों के साथ अपने मौजूदा खातों से जोड़ने की सुविधा बढ़ाने के लिए जारीकर्ता बैंक स्तर पर कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है।

### मुख्य बिंदु:

- वर्तमान में कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन केवल मर्चेंट एप्लिकेशन या ई-कॉमर्स वेबसाइट के वेबपेज पर ही बनाए जा सकते हैं।
- टोकनाइजेशन ने लेनदेन सुरक्षा और अनुमोदन दर में सुधार किया है। 56 करोड़ से अधिक टोकन बनाए गए हैं जिन पर 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया जाता है।
- केंद्रीय बैंक ने सितंबर 2021 में कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) की शुरुआत की थी जिसका कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2022 से शुरू किया गया था।

### भारत में कार्ड भुगतान स्थिति:

- भारत परंपरागत रूप से नकदी संचालित अर्थव्यवस्था रहा है, परन्तु वर्तमान समय में भुगतान के लिए नकदी का उपयोग घट रहा है। व्यापारी छूट दरों को कम करने और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल स्थापित करने के लिए व्यापारियों को सब्सिडी प्रदान करने जैसे सरकारी उपाय देश में कार्ड भुगतान बाजार की वृद्धि के पीछे कुछ प्रमुख कारक हैं।

### -: प्रीलिम्स इनसाइट :-

- ☑ **कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन:** टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कार्डधारक का मूल कार्ड नंबर (जो कार्ड पर लिखा होता है और बड़े पैमाने पर लेनदेन तथा कार्ड पहचान के लिए उपयोग किया जाता है) को 'टोकन' नामक सरोगेट शब्द से बदल दिया जाता है।
- ☑ **मर्चेंट डिस्काउंट रेट:** मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) कंपनी द्वारा किसी व्यवसाय से लिया जाने वाला शुल्क है जो उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेन को संसाधित करता है। इससे पहले कि वे डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्वीकार कर सकें, व्यापारियों को यह सेवा शुरू करने से पहले निर्धारित दर पर सहमति देनी होती है।

### सांख्यिकी:

- ग्लोबल डेटा के 'पेमेंट कार्ड एनालिटिक्स' से पता चलता है कि भारत में कार्ड भुगतान मूल्य में 2022 में 26.2% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- जून 2022 में वीजा और वर्ल्डलाइन द्वारा जारी एक श्वेतपत्र के अनुसार, भारत में कुल आमने-सामने कार्ड लेनदेन में संपर्क रहित कार्ड भुगतान की हिस्सेदारी दिसंबर 2018 में 2.5 प्रतिशत से 6 गुना से अधिक बढ़कर दिसंबर 2021 में 16 प्रतिशत हो गई।
- आरबीआई के डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार जो देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को दर्शाता है, मार्च 2023 तक देश भर में डिजिटल भुगतान में साल-दर-साल आधार पर 13.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सितंबर 2022 के 377.46 की तुलना में मार्च 2023 का सूचकांक 395.57 है।

### आगे की राह:

बैंक स्तर पर सीधे कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन शुरू करने का प्रस्ताव कार्डधारकों और समग्र रूप से वित्तीय उद्योग दोनों के लिए एक गेम-चेंजर है। यह सुविधा सुरक्षा को बढ़ाता है और डिजिटल लेनदेन से जुड़ी समस्या को कम करता है। यह दूरदर्शी पहल भारत में एक मजबूत और सुरक्षित भुगतान परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

## 5 एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स पर रोक- आरबीआई

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स को रोकने के लिए सभी विनियमित बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के लिए सख्त मानदंडों का विकल्प चुना है जो अप्रत्यक्ष रूप से निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

### एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या है?

- इसमें उधारकर्ता को ऋण चुकाने में मदद करने के लिए नए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- एवरग्रीनिंग ऋण एक ऐसा ऋण है जिसके लिए ऋण अवधि के दौरान मूल राशि के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात उधारकर्ता को केवल ब्याज भुगतान करना होता है। इससे उधारकर्ता के पास क्रेडिट खरीद के लिए उपलब्ध धनराशि रह जाती है जिसे स्थायी या परिवर्ती ऋण के रूप में भी जाना जाता है।

### एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स से संबंधित चिंताएँ:

- आरबीआई ने कहा कि वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में आरईएस के कुछ लेनदेन ने नियामक चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- आरबीआई ने ऋणदाताओं को बिना किसी उचित आधार के इस प्रथा का पालन करने से मना किया है, लेकिन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) जैसी सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) ने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के माध्यम से इस प्रक्रिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग निकाला है।
- एआईएफ विशेष निवेश श्रेणी है जो निजी तौर पर जमा किया गया फंड है। सामान्य तौर पर आरई संस्थान और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति (एचएनआई) एआईएफ में निवेश करते हैं। यह सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम-2012 का पालन करता है।
- एआईएफ के माध्यम से ऋणों की एवरग्रीनिंग में एआईएफ की इकाइयों में निवेश के माध्यम से अप्रत्यक्ष एक्सपोजर के साथ उधारकर्ताओं के लिए आरई के प्रत्यक्ष ऋण एक्सपोजर का प्रतिस्थापन शामिल है। इस प्रकार आरबीआई ने सलाह दी है कि आरई, एआईएफ की किसी भी योजना में कोई निवेश नहीं करेगा जो आरई की देनदार कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर रहा है।
- यदि कोई आरई पहले से ही ऐसी एआईएफ योजना में निवेशक है तो उन्हें 30 दिनों के भीतर योजना में अपना निवेश समाप्त करना होगा। किसी भी मामले में यदि आरईएस उपरोक्त निर्धारित सीमा के भीतर अपने निवेश को समाप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें ऐसे निवेश पर 100% प्रावधान करना होगा।

### आगे की राह:

ऋणों को सदाबहार बनाए रखना ऋण व्यवस्था को पूरी तरह कार्यात्मक बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें बाजार की स्थितियों और विनियमित संस्थाओं की वित्तीय विश्वसनीयता के अधीन भी होना चाहिए। इससे वित्तीय लेने देन में स्थिरता बनी रहती है।

## 6 जीएसटीएटी और सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क में संशोधन

### चर्चा में क्यों?

संसद ने शीतकालीन सत्र-2023 में दो विधेयक पारित किए हैं जिसमें जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा को सीमित करने की मांग की गई है तथा दूसरा बजट 2023 में घोषित सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बदलाव लाने की मांग की गई है।

### केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023:

- यह एचएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा क्रमशः 70 वर्ष तथा 67 वर्ष करने का प्रावधान करता है। विधेयक केंद्रीय जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम-2021 के अनुरूप भी संरेखित करता है।

### अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए पात्रता:

- अपीलीय न्यायाधिकरण में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी में 10 साल का 'पर्याप्त अनुभव' रखने वाला एक वकील जीएसटीएटी के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।

### वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी):

- यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। राष्ट्रीय पीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे जिसमें एक तकनीकी सदस्य (केंद्र का) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य का) शामिल होंगे। परिषद की मंजूरी के अधीन, प्रत्येक राज्य द्वारा तय किए गए राज्यों में इसकी उतनी ही बेंच या बोर्ड होंगे।
- यह जीएसटी कानूनों के तहत विवादों को सुलझाने के लिए एक विशेष प्राधिकरण है।
- वित्त मंत्रालय ने सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की 31 पीठें अधि सूचित की हैं।

### कर प्रावधान संग्रहण विधेयक-2023:

- यह बजट में घोषित सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू करेगा। विधेयक में नए लगाए गए या बढ़े हुए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को 75 दिनों के लिए अस्थायी रूप से लगाने तथा एकत्र करने के लिए संसद से अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।
- यह विधेयक पूर्ववर्ती करों के अनंतिम संग्रह अधिनियम, 1931 को बदलने का प्रस्ताव करता है।
- विधेयक के प्रावधान, विधेयक के परिचय और अधिनियमन के

बीच की अवधि के दौरान बढ़े हुए सीमा शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का अधिकार देते हैं जहां ऐसी शुल्क दर संसद द्वारा अनुमोदित वैधानिक दर से अधिक बढ़ जाती है या जहां ऐसा शुल्क नया लगाया जाता है।

### आगे की राह:

नया संशोधन जीएसटीएटी के कामकाज को सुनिश्चित करेगा जिससे कर संबंधी मामलों में न्यायपालिका पर दबाव कम होगा। इसके माध्यम से ट्रिब्यूनल, मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

## 7 ग्रीनवॉशिंग विज्ञापनों पर प्रतिबंध

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटेन ने एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और एतिहाद के 'ग्रीनवॉशिंग' विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन पर अपने पर्यावरणीय प्रयासों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है।

### ग्रीनवॉशिंग के बारे में:

- ग्रीनवॉशिंग वह प्रक्रिया है जब कोई संगठन वास्तव में अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की तुलना में खुद को पर्यावरण के अनुकूल विपणन करने पर अधिक समय और पैसा खर्च करता है।
- यह एक कपटपूर्ण विपणन कार्य है जिसका उपयोग कंपनियां अपने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए करती हैं।
- ग्रीनवॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार 1986 में जे वेस्टरवेल्ड द्वारा किया गया था जो एक अमेरिकी पर्यावरणविद् और शोधकर्ता थे।

### ग्रीनवॉशिंग से उत्पन्न मुद्दे:

- ग्रीनवॉशिंग किसी भी संगठन की छवि को बढ़ावा देने में मदद करती है, लेकिन वास्तव में वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कुछ नहीं करते हैं।
- यह विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। जैसे-अस्पष्टता यानी प्रक्रियाओं और सामग्रियों को निर्दिष्ट नहीं किया जाता है तथा फाइबिंग है जिसमें हरित, नेट-शून्य, पर्यावरण अनुकूल आदि झूठे दावे किए जाते हैं।
- विशाल पेट्रो-उत्पादक, एफएमसीजी कंपनियों सहित कई बहुराष्ट्रीय निगमों को ग्रीनवॉशिंग के आरोपों का सामना करना पड़ा है।

### ग्रीनवॉशिंग के लिए दिशानिर्देश:

- पर्यावरण-अनुकूल, सतत और ग्रह-अनुकूल जैसे दावों को उच्च स्तर की पुष्टि द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा विज्ञापनदाताओं को यह निर्दिष्ट किया जाता है कि पर्यावरण संबंधी दावा संपूर्ण उत्पाद, पैकेजिंग या सेवा को संदर्भित करता है या नहीं।
- उत्पाद के कंपोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकल करने योग्य और गैर विषैले एवं मुक्त होने के दावों के लिए विज्ञापनदाताओं को उन पहलुओं को समक्ष करना चाहिए जिनके लिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं।
- इसके अलावा इन दावों को 'विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य' द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए ताकि यह इंगित किया जा सके कि उत्पाद निपटान के बाद उचित रूप से कम समय के भीतर नष्ट हो जाएगा।
- विज्ञापनदाताओं को यह भी निर्दिष्ट करना चाहिए कि उत्पाद ऐसे तत्वों से मुक्त है जो पर्यावरणीय खतरों का कारण बन सकते हैं।

### ग्रीनवॉशिंग से संबंधित पहल:

- अंतर्राष्ट्रीय सतत मानक बोर्ड (आईएसएसबी) की कंपनियों के लिए सतत जलवायु मानकों का 2024 से दुनिया भर में पालन किया जाएगा।
- जलवायु-संबंधी वित्तीय जानकारी की रिपोर्टिंग में सुधार के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की जलवायु-संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण व्यवस्था।
- आईएफएसबी एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है (जिसका भारत सदस्य देश है) जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और उसके बारे में अनुशंसाएँ करता है।
- सेबी की व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) मानदंड तथा ग्रीनवॉशिंग के संबंध में क्या करना चाहिए, इस पर सुझाव देना।
- आरबीआई द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (जीएफआईएन) के ग्रीनवॉशिंग टेकस्पिरिट में शामिल होने का निर्णय।

### आगे की राह:

ग्रीनवॉशिंग जलवायु परिवर्तन से निपटने में हासिल की गई प्रगति की गलत धारणा देता है जो पृथ्वी को और अधिक आपदाओं की ओर ले जाता है, साथ ही जवाबदेहिता से बचने वाले लापरवाह व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। सतत निवेश के तेजी से लोकप्रिय होने के साथ, वित्तीय क्षेत्र को उन उत्पादों की मांग पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने तथा ग्रीनवॉशिंग को रोकने का प्रयास करते हैं।

# विविध मुद्दे

## 1 सड़क सुरक्षा पर WHO की रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023' जारी की है जो भारत में सड़क पर होने वाली मौतों की कुल संख्या में वृद्धि का संकेत देती है।

### रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- रिपोर्ट में माना गया है कि 2010 और 2021 के बीच दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में सालाना 5% की गिरावट के साथ 1.19 मिलियन मौतें हुई हैं। इस रिपोर्ट में लगभग 108 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में गिरावट दर्ज की गई है।
- कुछ देश सड़क यातायात से होने वाली मौतों को 50% से अधिक कम करने में सफल रहे जिसमें बेलारूस, ब्रुनेई दारुस्सलाम, डेनमार्क, जापान, लिथुआनिया, नॉर्वे, रूसी संघ, त्रिनिदाद और टोबैगो, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुएला शामिल हैं।
- वर्ष 2019 तक सड़क यातायात दुर्घटनाएं 5-29 वर्ष की आयु के बच्चों और युवाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण रही हैं। अगर सभी उम्र पर विचार किया जाये, तो सड़क यातायात दुर्घटनाएं मृत्यु का 12वां प्रमुख कारण है। इसमें दो-तिहाई मौतें कामकाजी उम्र के लोगों में होती हैं।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक सड़क यातायात से होने वाली मौतों में से 28% दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में, 25% पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में, 19% अफ्रीकी क्षेत्र में, 12% अमेरिका के क्षेत्र में, 11% पूर्वी क्षेत्र भूमध्यसागरीय क्षेत्र में और यूरोपीय क्षेत्र में 5% में हुई।
- विश्व स्तर पर 30% मौतें चार-पहिया वाहन में सवार लोगों की हुई जिसके बाद पैदल चलने वालों का है जिनकी मृत्यु का हिस्सा 23% है और 21% मौतें दोपहिया तथा तिपहिया वाहन चलाने वाले उपयोगकर्ता की हुई। 6% मौतें साइकिल चालक की हुई हैं, जबकि 3% मौतें ई-स्कूटर सहित माइक्रो-मोबिलिटी उपकरणों के उपयोगकर्ताओं में थीं।

### सड़क सुरक्षा के उपाय:

- रडार गन और कैमरे जैसे स्पीड डिटेक्शन डिवाइस सड़क सुरक्षा निगरानी को बढ़ाते हैं। चंडीगढ़ और नई दिल्ली जैसे शहरों ने यातायात नियंत्रण के लिए इन उपकरणों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
- स्पीड हंप, ऊंचे प्लेटफॉर्म, राउंडअबाउट और ऑप्टिकल मार्किंग जैसे बुनियादी ढांचे में बदलाव सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं।
- सख्त नियम और भारी जुर्माना लागू करके यातायात उल्लंघन को कम किया जा सकता है, खासकर नशे में गाड़ी चलाने पर। इस संदर्भ में ई-चालान के कार्यान्वयन से यातायात जुर्माना संग्रह के भ्रष्टाचार में और कमी आएगी।
- इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण और उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम जैसी वाहन सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य करना महत्त्वपूर्ण है।
- **दुर्घटना के बाद की देखभाल:** आपातकालीन प्रणालियों को सक्रिय करने और प्रारंभिक सहायता प्रदान करके दुर्घटना के बाद की देखभाल में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने से सड़क सुरक्षा ऑडिट और इंजीनियरिंग में क्षमता का निर्माण होता है।

### आगे की राह:

सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो प्रौद्योगिकी, सख्त प्रवर्तन, बेहतर बुनियादी ढांचे, वाहन सुरक्षा मानकों और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करता है। इन्हें एकीकृत करने से सामूहिक रूप से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और दुर्घटनाओं के दौरान नियमों के उल्लंघन में कमी आएगी।

## 2 हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस)-2023 सम्पन्न

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स (सीओसी) का 8वां संस्करण रॉयल थाई नेवी के नेतृत्व में बैंकॉक (थाईलैंड) में आयोजित किया गया।

### बैठक की मुख्य बातें:

- बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड ने की, जबकि भारत ने बैठक की सह अध्यक्षता की।
- भारत द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज को आधिकारिक आईओएनएस ध्वज के रूप में चुना गया।
- भारत ने आगामी संस्करण के लिए समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (एचएडीआर) पर आईओएनएस कार्य समूहों के लिए सह-अध्यक्ष का पद ग्रहण किया।
- कोरिया गणराज्य की नौसेना को नवीनतम पर्यवेक्षक के रूप में जोड़ा गया।
- भारत 2025 के अंत में भारत में होने वाली 9वीं सीओसी के दौरान 2025-27 की अवधि के लिए आईओएनएस की अध्यक्षता संभालने के लिए चुना गया।
- यह परिवर्तन आईओएनएस समुदाय के साझा लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का संकेत देता है जो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित और टिकाऊ समुद्री भविष्य के लिए सहयोगात्मक प्रयास महत्त्व पर जोर देता है।

### सम्मेलन का उद्देश्य:

- 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा परिकल्पित आईओएनएस, हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह समावेशी मंच क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर खुली चर्चा

को प्रोत्साहित करता है जिसका लक्ष्य भविष्य के लिए एक आम समझ स्थापित करना है।

### आईओएनएस के बारे में:

- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों के बीच द्विवार्षिक बैठकों की एक शृंखला है। यह समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- आईओएनएस का उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में नई दिल्ली में हुआ था जिसमें भारतीय नौसेना ने पहले दो वर्षों (2008-2010) के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
- आईओएनएस में 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक राज्य हैं।

### आईओएनएस का उद्देश्य:

- हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय राज्यों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाना।
- भारतीय नौसेना की नेतृत्व क्षमता स्थापित करने के साथ नेट सुरक्षा प्रदाता बनने का लक्ष्य।
- हिंद महासागर क्षेत्र में नियम-आधारित और स्थिर समुद्री सीमा की भारत की महत्त्वाकांक्षा को पूरा करना।

### आगे की राह:

आईओएनएस मलक्का जलडमरूमध्य से होर्मुज तक अपना प्रभाव मजबूत करने में भारत की सहायता कर सकता है। भारत का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रतिकार के रूप में आईओएनएस का उपयोग करके कम करना है। इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता की स्थापना के लिए हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंध स्थापित करना समय की मांग है।

## 3 आंध्र प्रदेश में कोलाट्टम नृत्य का प्रदर्शन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बच्चों के त्यौहार बालोत्सवम के दौरान कोलाट्टम नृत्य का प्रदर्शन किया गया।

### नृत्य के बारे में:

- कोलाट्टम आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। यह एक धार्मिक प्रयोजन का हिस्सा है जहां महिला नर्तकियां आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंदिर की देवी की आराधना करती हैं।
- यह आंध्र प्रदेश का छड़ी नृत्य और वायरल नृत्य है। इस नृत्य शैली की उत्पत्ति सातवीं शताब्दी में हुई। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस नृत्य शैली के विभिन्न नाम हैं। आंध्र प्रदेश में इस नृत्य को कोलकोलन्नालु, कोलाट्टम और कोलन्नालु कहा जाता है।
- शुरुआती दिनों में नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता था, परन्तु धीरे-धीरे इस नृत्य में परिवर्तन आते गये और अब यह नृत्य महिला एवं पुरूष दोनों द्वारा किया जाता है। आम तौर पर यह कला गाँव के उत्सवों के दौरान की जाती है। नृत्य लयबद्ध गतिविधियों, गीत और संगीत का एक संयोजन है।

### कोलाट्टम नृत्य के विषय:

- बड़ी संख्या में कोलाट्टम नर्तक गंगा गौरी संवादम का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं। यह विषय भगवान शिव की दो पत्नियों 'देवी गंगा और देवी पार्वती' के बीच लड़ाई पर आधारित है।

### कोलाट्टम नृत्य की शैली:

- कोलाट्टम नृत्य में विभिन्न नृत्य गतिविधियाँ शामिल होती हैं। नृत्य प्रदर्शन के दौरान नर्तक के लिए शरीर का झुकना, कदम उठाना और शरीर की अन्य गतिविधियाँ आवश्यक हैं। गाना शुरू होते ही कलाकार स्वर और संगीत की धुन पर नृत्य करते हैं। कोलाट्टम के प्रत्येक रूप में एथुगाडु नामक रचना शामिल है।

### आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध लोक नृत्य:

- **कुचिपुड़ी नृत्य:** कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। इस नृत्य शैली में नृत्य के साथ-साथ बेहतरीन भाव-भंगिमाएं, गीत और भाषण शामिल होते हैं। इस नृत्य को अच्छे से करने के लिए अभिनय, गायन, भाषा और सैद्धांतिक ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है।
- **लम्बाडी:** इसे खानाबदोशों का नृत्य कहा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में लम्बाडी जनजाति बुआई के मौसम और अच्छी फसल का जश्न मनाने के लिए यह नृत्य करती है।
- **बुट्टा बोम्मलु:** यह एक लोक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के तनुकु क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है।

### आगे की राह:

इस प्रकार के नृत्य का आयोजन करना, उसमें भाग लेना एवं उसको प्रसारित करने से सामाजिक भाईचारा बढ़ता है जिससे समाज में स्थायित्व, विकास व शांति की स्थापना में मदद मिलती है।

## 4 ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड रिपोर्ट 2023

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया गया। यह ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- वर्ष 2019 और 2021 के बीच हत्या के कारण सालाना औसतन लगभग 440,000 मौतें हुईं।
- वर्ष 2021 असाधारण रूप से घातक था जिसमें 458,000 हत्याएं हुईं। कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव और संगठित अपराध, गिरोह-संबंधी तथा सामाजिक-राजनीतिक हिंसा में वृद्धि ने इस वृद्धि में योगदान दिया।
- वर्ष 2021 और 2022 के बीच संघर्ष में होने वाली मौतों में 95% से अधिक की वृद्धि के बावजूद, उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में वैश्विक हत्या का की संख्या संघर्ष में होने वाली

मौतों से दोगुना था।

- वैश्विक हत्याओं में संगठित अपराध का हिस्सा 22% है जो अमेरिका में 50% तक पहुंच गया है। संगठित अपराध समूहों और गिरोहों के बीच प्रतिस्पर्धा जानबूझकर हत्याओं को काफी हद तक बढ़ा सकती है।
- जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय बदलाव, असमानता, शहरीकरण और तकनीकी परिवर्तन जैसे कारक विभिन्न क्षेत्रों में हत्या की दर को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करते हैं।
- हत्या के शिकार 81% और संदिग्धों में से 90% पुरुष थे, जबकि महिलाओं की हत्या परिवार के सदस्यों या पहचान के लोगों द्वारा किए जाने की संभावना अधिक थी।
- 2021 में हत्या के शिकार 15% बच्चे थे जिनकी संख्या 71,600 थीं।
- 2030 में वैश्विक मानवहत्या दर घटकर 4.7 होने का अनुमान है, हालाँकि यह सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य से कम है।

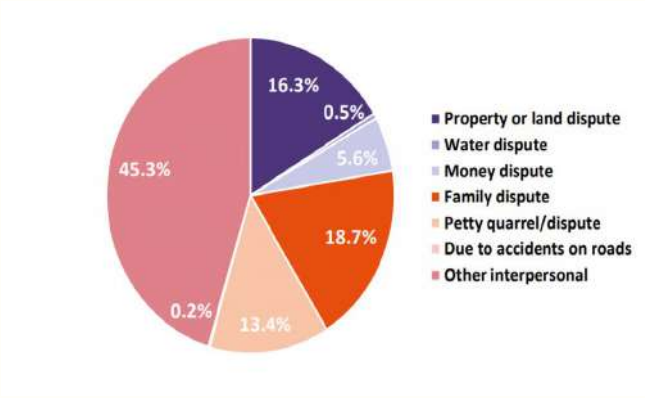


### भारत केन्द्रित रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- वर्ष 2019 और 2021 के बीच भारत में दर्ज किए गए हत्या के लगभग 16.8% मामले संपत्ति, भूमि या पानी तक पहुंच के विवादों से जुड़े थे।
- वर्ष 2019 और 2021 के बीच भारत में दर्ज की गई हत्याओं में से लगभग 0.5% (300 मामले) को विशेष रूप से पानी से संबंधित संघर्षों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था जो इस मुद्दे को मानव हत्याओं के एक महत्त्वपूर्ण चालक के रूप में उभरने पर प्रकाश डालता है।

### होमिसाइड रिपोर्ट 2023 पर वैश्विक अध्ययन के बारे में:

- रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और यहां तक कि कोविड-19 महामारी जैसे प्रमुख रुझानों के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों के क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय पैटर्न, जनसांख्यिकी, उम्र और लैंगिक विशेषताओं पर जोर दिया गया है।
- **उद्देश्य:** हिंसा के पीछे के तथ्यों को उजागर करना, उल्लेखनीय प्रवृत्तियों की पहचान करना और नीतियों तथा समाधानों की जानकारी देना।
- इसकी मुख्य रूप से 3 श्रेणियां 'आपराधिक गतिविधियाँ, पारस्परिक हत्याएँ और सामाजिक-राजनीतिक रूप से प्रेरित हत्याएँ' होती हैं।

### ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के बारे में:

- यह अवैध नशीली दवाओं और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने में एक प्रमुख वैश्विक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, जबकि आतंकवाद विरोधी प्राथमिक संयुक्त राष्ट्र पहल के कार्यान्वयन की देखरेख भी यही करता है।
- स्थापना: 1997 में
- मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया

### आगे की राह:

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दुनिया के कई क्षेत्रों में जल सुरक्षा के प्राथमिक कारणों के रूप में जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विस्तार और जलवायु परिवर्तन का हवाला दिया गया है। इसके कारण अन्य सामाजिक और राजनीतिक कारकों के साथ मिलकर हाल के वर्षों में जल विवादों से जुड़ी हिंसा में वृद्धि हुई है।

## 5 काशी तमिल संगमम 2.0

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों पर जोर देते हुए काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य काशी और तमिल के बीच गहरे संबंधों को बढ़ावा देना है।

### पौराणिक संबंध:

- **राजा पराक्रम पांड्या की खोज:** 15वीं शताब्दी में मदुरै क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा पराक्रम पांड्या एक भव्य शिव मंदिर के लिए लिंगम खरीदने काशी की यात्रा पर आये।
- **दैवीय हस्तक्षेप:** वापसी यात्रा के दौरान लिंगम ले जाने वाली गाय ने हिलने से इंकार कर दिया जिससे राजा को उस स्थान पर लिंगम स्थापित करने के लिए प्रेरणा मिली जिसे आज शिवकाशी के नाम से जाना जाता है।
- **काशी विश्वनाथ मंदिर:** जो लोग काशी की यात्रा नहीं कर सकते थे, उनके लिए पूजा की सुविधा के लिए पांड्यों ने तमिलनाडु के तेनकासी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया।

### पृष्ठभूमि:

- **अधिवीर राम पांडियन:** 19वीं सदी में अधिवीर राम पांडियन नाम के राजा ने काशी की तीर्थयात्रा से प्रेरित होकर तेनकासी में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया।
- **संत कुमारा गुरुपारा का योगदान:** संत कुमारा गुरुपारा ने वाराणसी में केदारघाट और विश्वेश्वरलिंगम के अभिषेक के लिए काशी पर रिसर्च किया और काशी पर व्याकरण कविताओं का एक संग्रह 'काशी कलांबगम' की रचना की।

### काशी तमिल संगमम 2.0:

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** तमिलनाडु और पुडुचेरी के लगभग

1,400 गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा दोनों क्षेत्रों की कला, संगीत, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन हुआ।

- **शैक्षिक उद्देश्य:** शिक्षा मंत्रालय ने उत्तर और दक्षिण के ज्ञान तथा सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाने, साझा विरासत की गहरी समझ को बढ़ावा देने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया।

### शिक्षा में ऐतिहासिक महत्त्व:

- **काशी की यात्रा:** ऐतिहासिक रूप से दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा विद्वानों की काशी की यात्रा के बिना अधूरी मानी जाती थी।
- **ज्ञान के केंद्र:** काशी और कांची के बीच संबंध समान साहित्यिक विषयों तथा तमिलनाडु के हर गांव में काशी नाम की व्यापकता से स्पष्ट है। 'काशीनाथ' इस क्षेत्र का एक लोकप्रिय नाम है।

### मंदिरों में विरासत:

- **काशी-नामांकित मंदिर:** तेनकासी में काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा, तमिलनाडु में कई शिव मंदिरों का नाम काशी है। अकेले चेन्नई के आसपास लगभग 18 ऐसे मंदिर हैं।

### आगे की राह:

काशी तमिल संगमम 2.0 न केवल काशी और तमिलकम के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव का जश्न मनाता है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है जो भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के बीच साझा विरासत की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। यह आयोजन उन स्थायी संबंधों का प्रतीक है जो सदियों से चले आ रहे हैं और राष्ट्र की सांस्कृतिक छवि को समृद्ध करते रहे हैं।

## 6 आईएनएस इम्फाल को कमीशन किया गया

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।

### आईएनएस इम्फाल के बारे में:

- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएसएल) जनवरी 2011 में शुरू की गई परियोजना 15बी के हिस्से के रूप में विशाखापत्तनम क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का निर्माण किया।
- पहला गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम को नवंबर 2021 में शामिल किया गया था।
- दूसरा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज आईएनएस मोर्मुगाओ को दिसंबर 2022 में शामिल किया गया था।
- इस श्रेणी का चौथा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत (डी69) नाम रखा गया है।

### डिजाइन और विकास:

- भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा संकल्पित डिजाइन उन्नत क्षमताओं को शामिल करने पर केंद्रित है।
- प्रोजेक्ट 15बी का लक्ष्य समान टन भार, उपयोग और हथियार वाले विध्वंसक बनाना है।

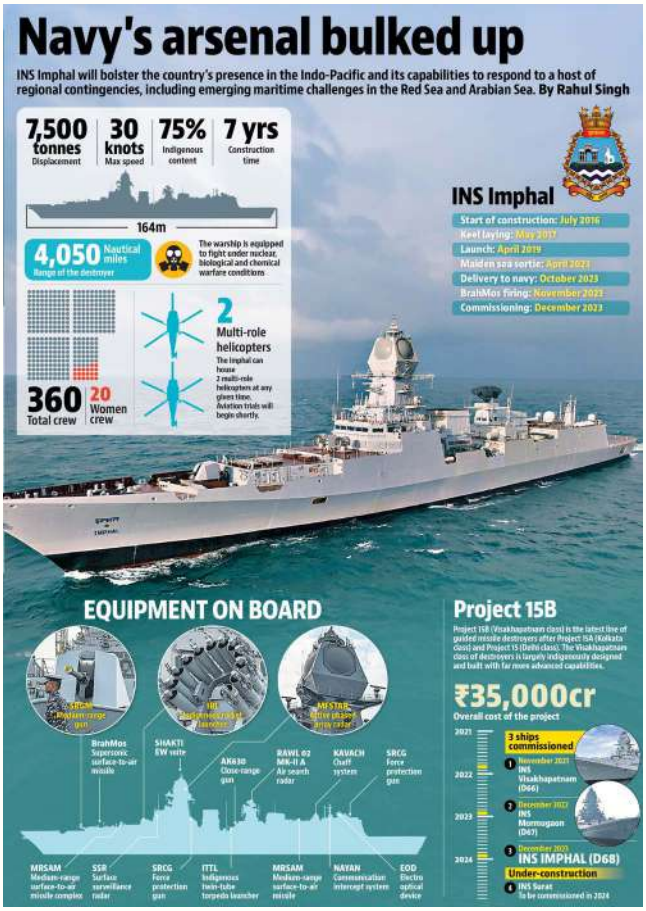


### तकनीकी विशेषताएँ:

- विशाखापत्तनम क्लास विध्वंसक की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17.4 मीटर और विस्थापन 7,400 टन है।
- प्रणोदन प्रणाली में चार गैस टर्बाइनों के साथ एक संयुक्त गैस और गैस (COGAG) विन्यास की सुविधा है।
- जहाज 30 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सीमा 4000 समुद्री मील है।
- 50 अधिकारियों और 250 नाविकों सहित लगभग 350 के दल द्वारा संचालित ये विध्वंसक, अपने पूर्ववर्ती वर्गों की तुलना में बेहतर एर्गोनॉमिक्स तथा रहने योग्य क्षमता प्रदान करते हैं।

### उत्तरजीविता और नियंत्रण प्रणाली:

- विस्तृत युद्ध क्षति नियंत्रण प्रणाली बेहतर उत्तरजीविता में योगदान देती है।
- संपूर्ण वायुमंडलीय नियंत्रण प्रणाली (टीएसीएस) रासायनिक, जैविक और परमाणु खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है।

### युद्ध प्रबंधन और शस्त्रागार:

- सामरिक मूल्यांकन के लिए अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली से

लैस होना।

- शस्त्रागार में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली बराक-8 मिसाइल शामिल हैं।
- इसकी विशेषताओं में 127 मिमी मुख्य बंदूक, एके-630 की 30 मिमी बंदूकें, टारपीडो लांचर और पनडुब्बी रोधी रॉकेट लांचर शामिल हैं।

### -: प्रीलिम्स इनसाइट :-

- चार प्रमुख औपचारिक घटनाएँ एक जहाज के जीवन को चिह्नित करती हैं: कील बिछाना, लॉन्च करना, कमीशन करना और डीकमीशन करना।
- **प्रोजेक्ट 15बी:** यह प्रोजेक्ट 15 (1997-2001, जिसमें आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई शामिल है) तथा प्रोजेक्ट 15ए (2014-16 जिसे कोलकाता क्लास कहा जाता है जिसमें आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई शामिल है) का उन्नत रूप है जिसमें चार जहाज शामिल हैं।
- **पूर्व की ओर देखें:** आईएनएस इम्फाल का चालू होना उत्तर-पूर्वी शहर के नाम पर सबसे बड़े और सबसे उन्नत विध्वंसक के रूप में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह 1891 के एंग्लो-मणिपुर युद्ध से लेकर 1944 में मोइरांग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऐतिहासिक आईएनए ध्वजारोहण तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर की महत्त्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करती है। ब्रिटिश और शाही जापानी सेनाओं के बीच इम्फाल की लड़ाई (जिसमें दोनों पक्षों के भारतीय शामिल थे) ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान पर निर्णायक प्रभाव डाला जिससे नई वैश्विक व्यवस्था को आकार मिला।

### आगे की राह:

गाइडेड मिसाइल विध्वंसक बेड़े और वाहक युद्ध समूहों की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में विशाखापत्तनम क्लास आधुनिक सेंसर और संचार सुविधाओं के साथ परिचालन दक्षता को बढ़ाती है। इसकी उच्च स्वदेशी घटक विश्वसनीयता और नियंत्रण के मामले में विध्वंसक को रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है।

## 7 कुन्नमंगलम भगवती मंदिर

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में छह सौ साल पुराने कुन्नमंगलम भगवती मंदिर के 'कर्णिकारा मंडपम' को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना गया है।

### मंदिर के बारे में:

- उत्तरी कोझिकोड के नाडुवन्नूर में स्थित कुन्नमंगलम भगवती मंदिर को मंदिर के सामने 'कर्णिकारा मंडपम' को पुनर्स्थापित करने में एक स्थायी विरासत प्रथाओं का पालन करने हेतु सतत विकास के लिए विशेष मान्यता मिली।
- कुन्नमंगलम भगवती मंदिर का अर्ध-खुला हॉल को कर्णिकारा मंडपम के नाम से जाना जाता है। यह मान्यता प्राप्त करने वाला केरल का तीसरा मंदिर है।
- 400 साल पहले निर्मित, कर्णिकारा मंडपम की विशेषता तत्वशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार इसके 16 स्तंभ हैं। मंडपम के पुनर्निर्माण में ढाई महीने का समय लगा है। अभिलेखीय और अनुसंधान परियोजना (एआरपीओ) के तहत युवा वास्तुकारों तथा स्वयंसेवकों के एक समूह ने मंदिर में नवीकरण कार्य किया है।
- यूनेस्को के अनुसार, पुरस्कार विजेताओं का चयन विभिन्न संरक्षण मानदंडों के बीच उनकी सफलता के प्रदर्शन के अनुसार किया जाता है। जैसे-स्थान की भावना की उनकी अभिव्यक्ति, उनकी तकनीकी उपलब्धि, उनका उचित उपयोग या अनुकूलन, स्थानीय समुदाय के साथ उनका जुड़ाव और उनके योगदान से आसपास के पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ाना।

### यूनेस्को पुरस्कार का महत्त्व:

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसके निम्नलिखित लाभ हैं:

- पुरस्कार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और दूसरों को भी इसी तरह की पहल करने के लिए प्रेरित करते हैं।
- सफल संरक्षण परियोजनाओं को मान्यता देकर, पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों को विरासत संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- यह पुरस्कार विरासत संरक्षण में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है जो टिकाऊ तथा प्रभावी संरक्षण रणनीतियों में योगदान देता है।

### पुरस्कार के बारे में:

- सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार प्रतिष्ठित सम्मान है जो क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं। वे जागरूकता को बढ़ावा देने, प्रयासों को पहचानने और विरासत संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चार भारतीय परियोजनाओं को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी।

### आगे की राह:

पंजाब में रामबाग गेट, हरियाणा का चर्च ऑफ एपिफेनी और दिल्ली के बीकानेर हाउस से संबंधित विरासत संरक्षण परियोजनाओं ने यूनेस्को पुरस्कार हासिल किए हैं। ये पुरूस्कार भारत द्वारा अपनी विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों को मान्यता प्रदान करते हैं जिससे विकास को विरासत से जोड़कर उसे सतत रूप प्रदान करने में मदद मिलती है।

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## जलवायु परिवर्तन

### 1. हरित क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी)

- सीओपी-28 के अवसर पर ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया गया था।
- यह पर्यावरण के लिए जीवनशैली अथवा लाइफ आंदोलन के अंतर्गत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।
- ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया है।
- इसके प्रारंभिक चरण में वन विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अंतर्गत निम्नीकृत भूमि, बंजर भूमि, जलग्रहण क्षेत्र आदि पर स्वैच्छिक पौधरोपण की अवधारणा की गई है।
- ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट का सृजन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के तहत प्रदान किये गए कार्बन क्रेडिट से स्वतंत्र रूप से संचालित है।

### 2. एनडीसी लक्ष्यों के मुकाबले भारत की उपलब्धियां

- वर्ष 2015 में प्रस्तुत भारत के प्रथम राष्ट्रीय स्तर के निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुसार, भारत का निम्नलिखित लक्ष्य था:
  - 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना
  - 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
- ये दोनों लक्ष्य समय से काफी पहले हासिल कर लिए गए हैं।
  - 31 अक्टूबर, 2023 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल संचयी विद्युत स्थापित क्षमता 186.46 मेगावाट है, जो कुल संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का 43.81 प्रतिशत है।
  - 2005 से 2019 के बीच देश में जीडीपी के उत्सर्जन स्तर को 33 प्रतिशत कम कर लिया गया है।
- अगस्त 2022 में, भारत ने अपने एनडीसी को अद्यतन किया, जिसके अनुसार उसके सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सघन उत्सर्जन में कटौती करने के मद्देनजर लक्ष्य को 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसके अलावा गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से पैदा होने वाली बिजली की निर्धारित क्षमता को 2030 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

## वन संरक्षण

### 1. देश की रामसर स्थलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि

- 2014 के बाद से, देश भर में 49 नई आर्द्रभूमियों को रामसर (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिससे इनकी कुल संख्या 75 हो गई है।
- वर्तमान में, एशिया में रामसर स्थलों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में है।
- पर्यावरण दिवस 2023 पर, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए **अमृत धरोहर योजना** शुरू की गई है।

### 2. वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023

एनडीसी की देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए, कार्बन तटस्थता, अस्पष्टताओं को खत्म करना और विभिन्न भूमियों में अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टता लाना, गैर-वन भूमि में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 को लागू करके मौजूदा अधिनियम में संशोधन किया गया है।

### 3. संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी

- देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या, जो वर्ष 2014 में 745 थी, बढ़कर 998 हो गई है।
- यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.28 प्रतिशत है।

### 4. वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि

- भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 के अनुसार, भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत होता है।

### 5. ब्लू फ्लैग समुद्र तट

- भारत सरकार ने समुद्र तट विकास कार्य शुरू किया और 2020 तक 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया।
- 2022 तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ।

## परिवेश

- परिवेश एक वेब आधारित, भूमिका आधारित वर्कफ्लो अनुप्रयोग है, जिसे केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करने के लिए समर्थकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी के लिए विकसित किया गया है।
- यह प्रस्तावों की संपूर्ण ट्रैकिंग को स्वचालित करता है, जिसमें नए प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्तुत करना, प्रस्तावों के विवरण को संपादित/अद्यतन करना और वर्कफ्लो के प्रत्येक चरण में प्रस्तावों की स्थिति प्रदर्शित करना शामिल है।

## वायु गुणवत्ता एवं प्रदूषण

**स्वच्छ वायु सर्वेक्षण** के तहत समग्र दृष्टिकोण के जरिए वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य और योजना के साथ 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

## सर्कुलर इकोनॉमी

**मिशन चक्रीय अर्थव्यवस्था:**

- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सीई) के विकास के लिए और 10 अपशिष्ट श्रेणियों के लिए 11 समितियां बनाई गई हैं।
- जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के मिशन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित संशोधन किए गए थे:
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम
  - प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)
  - ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम
  - बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम
  - अपशिष्ट टायर नियम 2022

## वन्यजीव

**चीता का अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण:**

- नामीबिया से 8 चीतों और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को क्रमशः सितंबर 22 और फरवरी 2023 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है।
- देश से 1940 के अंत/1950 के दशक की शुरुआत में चीता विलुप्त हो गया था।

**प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष:**

- अगस्त 2023 में जारी नवीनतम बाघ की गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की 75% से अधिक बाघ आबादी का घर है।
- बाघ अनुमान (2022) के अंतर्गत उत्कृष्ट श्रेणी वाले 12 बाघ अभयारण्यों में बाघों की संख्या 2014 की 2226 से बढ़कर 2023 में 3682 हो गई है।
- बाघ सहित वैश्विक बिग कैट के संरक्षण के लिए 9 अप्रैल 2023 को भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) का शुभारंभ किया गया है।

**वनस्पतियों, जीवों और हर्बेरियम दस्तावेजों का डिजिटलीकरण:**

- बीएसआई और जेडएसआई ने भारतीय जीव-जंतुओं के प्रकार और गैर-प्रकार के नमूनों के 45000 चित्रों के साथ 16500 नमूनों का डिजिटलीकरण किया है।

# ब्रेन बूस्टर– वर्षांत समीक्षा-2023

## भारी उद्योग मंत्रालय

### 1. FAME-II योजना

- सरकार स्वच्छ और हरित सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहन उत्सर्जन के मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) योजना के चरण-II को लागू कर रही है।
- यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करने पर केंद्रित है, और इसका उद्देश्य ई-बसों सहित ई-वाहनों की मांग को प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थन देना है।

### 2. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

- कुल 148 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) कमीशन किए गए हैं।
- एमएचआई ने देश भर में 7432 तेज गति वाले सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पीएसयू तेल विपणन कंपनियों - इंडियन ऑयल (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) को फेम-II के तहत 800 करोड़ रुपये की मंजूरी की घोषणा की।

### 3. ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल घटकों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

- ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल घटक क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 'उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना' को मंजूरी दी।
- पीएलआई योजना, 'उन्नत स्वचालित प्रौद्योगिकी' (एएटी) उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और स्वचालित विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए, वित्तीय प्रोत्साहन का सुझाव देती है।

**उद्देश्य:**

- इसके मुख्य उद्देश्यों में लागत संबंधी बाधाओं पर काबू पाना, इकनॉमीज ऑफ स्केल बनाना तथा उन्नत स्वचालित प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है।

### 4. भारत में एडवांस केमिस्ट्री सेल, बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजना

भारत में एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के निर्माण के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए, सरकार ने भारत में एसीसी, बैटरी स्टोरेज के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना' को मंजूरी दी।

### 5. भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धाबढ़ाने की योजना- चरण- II

- यह योजना सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता प्रदान करने के लिए अधिसूचित की गई है। इस योजना के छह घटक निम्न हैं:
  - प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टलों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान।
  - उत्कृष्टता के चार नए उन्नत केंद्रों की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का संवर्द्धन।
  - पूंजीगत माल क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देना-कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए योग्यता पैकेज का निर्माण।
  - चार सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों (सीईएफसी) की स्थापना और मौजूदा सीईएफसी का विस्तार।
  - मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार।
  - प्रौद्योगिकी विकास के लिए दस उद्योग त्वरक की स्थापना।

# ब्रेन बूस्टर– वर्षांत समीक्षा-2023

## नागरिक उड्डयन मंत्रालय

### 1. आरसीएस-उड़ान

- आरसीएस-उड़ान को 2016 में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले असेवित/अल्पसेवा वाले मार्गों पर हवाई परिचालन को सक्षम करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और जनता के लिए उड़ान को किफायती बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- आरसीएस-उड़ान एक स्व-वित्तपोषण योजना है जिसमें उड़ान योजना के अंतर्गत उड़ानों के संचालन को क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए मुख्य (ट्रंक) मार्गों पर प्रत्येक प्रस्थान के लिए नाममात्र शुल्क लगाया जाता है।

### 2. डिजी यात्रा

- डिजी यात्रा चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी (एफआरटी) के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित, निर्बाध प्रसंस्करण प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक परियोजना है।
- परियोजना में मूल रूप से परिकल्पना की गई है कि कोई भी यात्री पहचान स्थापित करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित और संपर्क रहित प्रसंस्करण के माध्यम से हवाई अड्डे पर विभिन्न जांच बिंदुओं से गुजर सकता है।
- यात्री घर बैठे ही प्लेटफार्म पर नामांकन करा सकते हैं।
- डिजी यात्रा निम्नलिखित 13 हवाई अड्डों पर शुरू की गई है:
  - दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, कोचीन, गुवाहाटी, जयपुर और लखनऊ।
- इसके लॉन्च के बाद से, 91 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई अड्डों के माध्यम से यात्रा करने के लिए डिजी यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया है।
- अंतत: चरणबद्ध तरीके से सभी हवाईअड्डों को डिजी यात्रा से कवर किया जाएगा।

### 3. ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे

- भारत सरकार ने एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति, 2008 तैयार की है जो देश में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रिया और शर्तें प्रदान करती है।
- भारत सरकार ने अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए श्सैद्धांतिकश मंजूरी दे दी है
  - गोवा में मोपा
  - महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग
  - कर्नाटक में कालाबुरागी, विजयपुरा, हासन और शिवमोग्गा
  - मध्य प्रदेश में डबरा (ग्वालियर)
  - उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर)
  - गुजरात में धोलेरा और राजकोट
  - पुडुचेरी में कराईकल
  - आंध्र प्रदेश में दगदरथी, भोगापुरम और ओरावकल (कुर्नूल)
  - पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर
  - सिक्किम में पाक्योंग
  - केरल में कन्नूर
  - अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर
- इनमें से 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे चालू हो चुके हैं।
- 2023 के दौरान, तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, मोपा, शिवमोग्गा और राजकोट चालू हो गए हैं।

### 4. भारत का घरेलू यात्री यातायात रिकॉर्ड ऊंचाई पर

- इस साल 19 नवंबर को, भारत में एयरलाइंस ने 4,56,910 घरेलू यात्रियों को यात्रा करायी।
- महामारी की चपेट में आने के बाद से यह एक दिन में सबसे अधिक हवाई यातायात था जो कि पूर्व-कोविड औसत से 7.4% की उल्लेखनीय वृद्धि है।

### 5. हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा पर कार्य कर रहे

- ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग हवाई अड्डों पर कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है और इस प्रकार इसे हरित ऊर्जा से बदलने से हवाई अड्डों के कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद मिलती है।
- वर्तमान में, देश भर में 66 हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं।

# ब्रेन बूस्टर– वर्षांत समीक्षा-2023

## वस्त्र मंत्रालय

### 1. पीएम मित्र

- सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क योजना शुरू की है।
- पीएम मित्र पार्क योजना माननीय प्रधानमंत्री के 5एफ **विजन** से प्रेरित है:
  - **फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेश**
- पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेंगे।
- विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगा और क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।
- केंद्र और राज्य पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए एसपीवी बनाएंगे। इन पार्कों को पीपीपी मोड में विकसित किया जाएगा।

### 2. पीएलआई योजना

- सरकार ने देश में एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है ताकि कपड़ा क्षेत्र को लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके।
- योजना के तहत कंपनियों को न्यूनतम निवेश और न्यूनतम टर्नओवर और उसके बाद वृद्धिशील टर्नओवर हासिल करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

### 3. कस्तूरी कॉटन भारत

- यह कार्यक्रम भारतीय कपास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, व्यापार निकायों और उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला अपनी तरह का पहला ब्रांडिंग, ट्रेसबिलिटी और प्रमाणन एक्सरसाइज है।
- आपूर्ति शृंखला के हितधारक घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय कपास के मूल्य को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास में शामिल होंगे।

### 4. राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (एनटीटीएम)

- एनटीटीएम के प्रमुख स्तंभ
  - अनुसंधान नवाचार और विकास
  - संवर्धन और बाजार विकास
  - शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल
  - निर्यात प्रोत्साहन
- मिशन का ध्यान रणनीतिक क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न प्रमुख मिशनों, कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को विकसित करने पर है।
- मंत्रालय ने निम्नलिखित के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किया है:
  - जियो-टेक टेक्सटाइल्स की 19 वस्तुएं
  - प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स की 12 वस्तुएं
  - एग्रो टेक्सटाइल्स की 20 वस्तुएं
  - मेडिटेक टेक्सटाइल्स की 6 वस्तुएं
- एनटीटीएम की स्थापना के बाद से 100 से अधिक बीआईएस मानक विकसित किए गए हैं।

### 5. समर्थ

कपड़ा क्षेत्र में कार्यबल के कौशल को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक व्यापक कौशल नीति ढांचे के तहत समर्थ योजना तैयार की है।

### 6. कपास क्षेत्र

- वस्त्र मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी की गयी।

**थीम:**

- कपास मूल्य शृंखला: वैश्विक समृद्धि के लिए स्थानीय नवाचार।

# पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

## 1. पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (PM-DevINE)

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल को केन्द्रीय बजट 2022-23 में 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया था।
- 12 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया था।

**उद्देश्य:**

- पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करना।
- एनईआर की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना।
- युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना।
- विभिन्न क्षेत्रों में विकास संबंधी अंतरालों को भरना।

## 2. पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (NESIDS)

- पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना को 2017-18 के दौरान मंजूरी दी गई थी और 31.03.2022 तक लागू की गई थी।
- 01.4.2020 से एन.ई.एस.आई.डी.एस. के विस्तार की प्रक्रिया के दौरान,तत्कालीन एनईएसआईडीएसको निम्नलिखित दो घटकों में पुनर्गठित किया गया है:
  - एनईएसआईडीएस (सड़कें)
  - एनईएसआईडीएस (सड़क बुनियादी ढांचे के अतिरिक्त)

## 3. एनईसी की योजनाएं

- भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित "पूर्वोत्तर परिषद (NEC) की योजनाएं" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना 10वें वित्त आयोग की अवधि से कार्यान्वयन के अधीन थी।
- इसे क्षेत्र के समग्र विकास में अंतराल को भरने के लिए 31.03.2022 तक जारी रखी गई थी।
- एनईसी की योजनाएं (2022-26) एनईआर के त्वरित और समग्र विकास के लिए कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर हस्तक्षेपों के साथ अपरिवर्तित जारी रहीं।
- यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों को शामिल करेगी।

## 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता के तहत व्यय

सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, सभी गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों (वर्तमान में 54) को केंद्रीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अपने सकल बजटीय समर्थन (GBS) का कम से कम 10 प्रतिशत खर्च करना अनिवार्य है।

## 5. एमडोनर (MDoNER) डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड

- मंत्रालय ने 12.10.2023 को डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड लॉन्च किया है जिसमें 55 विभागों और मंत्रालयों की 112 योजनाओं का डेटा है।
- यह डैशबोर्ड एमडोनर को निम्न में मदद करेगा:
  - डेटा संचालित निर्णय लेने।
  - संचालन में आसानी।
  - केंद्रीकृत निगरानी।
  - नीति स्तरीय निर्णय उपकरण।
  - सूचना एकीकरण।

## 6. अगरतला-अखौरा रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन

- अखौरा अगरतला नई रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों द्वारा 01/11/2023 को किया गया।
- परियोजना का एक उद्देश्य यह है कि कोलकाता से ढाका के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस को अगरतला तक बढ़ाया जा सके, जिससे यात्रा का समय 38 घंटे से घटकर 16 घंटे हो जाए।

## 7. 5जीउपयोग के मामले

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर, MDoNER ने गुवाहाटी में हब के साथ, एएमट्रॉन के सहयोग से एनईआर राज्यों में 5जी अनुप्रयोगों को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह परियोजना केंद्रित है:
  - स्वास्थ्य सेवा
  - कृषि
  - एज कंप्यूटिंग
  - 5जी लैब
- सभी एप्लिकेशन एआई, आईओटी, क्लाउड, इंटरनेट को नियोजित करने वाले उद्योग 4.0 पर आधारित हैं और नागरिकों को हाथ से पकड़े जाने वाले स्मार्ट फोन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं।
- 5जी स्वास्थ्य उपयोग के मामलों में शामिल हैं:
  - मोबाइल/क्लाउड आधारित ईसीजी समाधान।
  - स्मार्ट फोन का उपयोग करके एआई आधारित मोतियाबिंद विश्लेषण।
  - बेहतर नैदानिक निर्णय लेने के लिए क्लाउड पर एआई आधारित चिकित्सा छवि विश्लेषण।
  - खांसी की आवाज के ऑडियोमेट्रिक विश्लेषण के माध्यम से श्वसन स्वास्थ्य के लिए एआई तकनीक।
  - घावों पर बैक्टीरिया का पता लगाने और वर्गीकृत करने के लिए एआईका संयोजन।

## 8. बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम

- एमडोनर और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi) ने पूर्वोत्तर वेंचर फंड (NEVF) की स्थापना के लिए सहयोग कियाहै, जिसमें 100 करोड़ जमा हैं।
- अप्रैल 2017 में अपनी स्थापना के बाद से, एनईवीएफ ने 67 स्टार्टअप्स को 98.17 करोड़ की निवेश सहायता प्रदान की है।

## 9. पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए कार्य बल

- 20 अक्टूबर, 2023 को MDoNER की देखरेख में संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य बल का गठन किया गया है।
- कार्यबल पूर्वोत्तर में पर्यटन के व्यापक और निरंतर विकास के लिए एक कार्य योजना के साथ रणनीति तैयार करेगा।
- यह डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित राष्ट्रीय और सर्वोत्तम वैश्विककार्य प्रणालियों का अध्ययन करेगा और एनईआर में उन्हें अपनाने की सिफारिश करेगा।

## 10. एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट पोर्टल

- एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) के माध्यम से विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेब-आधारित पहल है जो पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए बहुत आवश्यक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- पोर्टल की सामग्री को निम्न में विभाजित किया गया है:
  - शिक्षा
  - रोजगार
  - उद्यमिता

## 11. आजीविका सृजन के लिए डिजाइन लैब्स

- आजीविका सृजन के लिए डिजिटल डिजाइन लैब्स नामक परियोजना को एनईसी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 4.99 करोड़ की कुल लागत पर मंजूरी दी गई थी।
- **उद्देश्य:** ज्ञान अर्थव्यवस्था/डिजिटल अर्थव्यवस्था में लाभकारी रोजगार पाने के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल हासिल करने के लिए चिन्हित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करना।

# पावर पैक्ड न्यूज

## एएस-24 किलजॉय

हाल ही में यूक्रेन के खिलाफ चल रहे हवाई हमले में रूस ने अपनी एएस-24 किलजॉय हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था।

**एएस-24 किलजॉय (AS-24 KILLJOY) के बारे में:**

- यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले में किया था।
- यह एक परमाणु-सक्षम मिसाइल है जो 10 मैक तक की गति से यात्रा कर सकती है जिसकी सीमा 1,500-2,000 किमी है।
- यह कथित तौर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल 14 दिसंबर, 2023 को मध्य यूक्रेन में एक सैन्य हवाई क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए किया गया था।
- हाइपरसोनिक मिसाइलें को वायुमंडल में उड़ान के दौरान पता लगाना और रोकना मुश्किल हो जाता है।
- हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से कम से कम पांच गुना अधिक गति से उड़ती हैं।

## 'मेडटेक मित्र'

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 'मेडटेक मित्र' लॉन्च किया।

**मेडटेक मित्र (Medtech Mitra) के बारे में:**

- मेडटेक मित्र एक ऐसा मंच है जो भारत में चिकित्सा प्रौद्योगिकी (मेडटेक) नवप्रवर्तकों का समर्थन और पोषण करता है।
- यह पहल अनुसंधान को आकार देने और नियामक अनुमोदन प्राप्त करने में मार्गदर्शन, संसाधन तथा सहायता प्रदान करती है।
- यह नीति आयोग, आईसीएमआर और सीडीएससीओ के बीच एक सहयोगी गठबंधन है।
- 'विकसित भारत' के साथ जुड़कर इसका लक्ष्य स्वदेशी नवाचार के माध्यम से 2047 तक भारत की स्वास्थ्य सेवा को बदलना है।
- उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, मेडिकल ड्रग पार्कों में निवेश और अनुसंधान नीतियों जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, लेकिन किफायती मेडटेक उपकरणों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना है।

## नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS)

हाल ही में रूसी सेना ने स्टारोकोन्स्टेंटिनोव (Starokonstantinov) हवाई क्षेत्र में नॉर्वेजियन नासाएमएस और फ्रेंच क्रोटेल-एनजी एडी सिस्टम पर हमला किया है।

**NASAMS के बारे में:**

- नेशनल/नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS) एक जमीन-आधारित मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसे विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसे रेथियॉन (संयुक्त राज्य अमेरिका) और कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एयरोस्पेस (नॉर्वे) के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया है।
- यह अमेरिका, नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, ओमान, लिथुआनिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, हंगरी, यूक्रेन और एक अज्ञात देश सहित 13 देशों द्वारा संचालित है।
- यह दुनिया की पहली नेटवर्क प्रणाली है जो अन्य रक्षा प्रणालियों के साथ सहजता से एकीकृत होती है।
- यह लक्ष्य की पहचान के लिए 75 किलोमीटर की रेंज के साथ एक्स-बैंड, 360-डिग्री चरणबद्ध रडार से लैस है।

## पाट मित्रो

हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने जूट किसानों को एक तकनीकी मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'पाट-मित्रो' ऐप लॉन्च किया।

**पाट मित्रो (Paat Mitro) के बारे में:**

- पाट-मित्रो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जेसीआई) द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है।
- ऐप को कृषि विज्ञान, न्यूनतम समर्थन मूल्य और नवीनतम कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान करके जूट किसानों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह ऐप छह भाषाओं में उपलब्ध है और सभी सुविधाएं नि:शुल्क हैं।
- यह किसानों को एमएसपी ऑपरेशन के तहत जेसीआई को बेचे गए कच्चे जूट के लिए उनके भुगतान की स्थिति को ट्रैक करने की भी

अनुमति देता है।
- ऐप जूट ग्रेडिंग विवरण के लिए किसान-केंद्रित योजनाएं, मौसम पूर्वानुमान, जेसीआई खरीद केंद्रों के स्थान और किसानों की पूछताछ के लिए एक चैटबॉट जैसी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालता है।

## पुनौरा धाम मंदिर

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में देवी सीता की जन्मस्थली के लिए 72 करोड़ रुपये की विकास योजना शुरू की।

**पुनौरा धाम मंदिर के बारे में:**
- पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक हिंदू तीर्थ मंदिर है।
- यह मंदिर माता सीता का जन्मस्थान माना जाता है।
- मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल शामिल है।
- लगभग एक दशक तक चले हालिया शोध में पाया गया कि इसे लगभग 200 साल पहले एक ऋषि ने बनाया था जिन्होंने एक सपने के आधार पर इसका दावा किया था।
- पनौरा (पुनौरा) को सीता का जन्मस्थान होने का दावा सर विलियम विल्सन हंटर द्वारा ए. स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल के वॉल्यूम 13 में 1877 में किया गया था।

## मुल्लापेरियार बांध

हाल ही में मुल्लापेरियार बांध में जल स्तर 138.05 फीट तक पहुंच गया जिसके कारण इसका स्पिलवे शटर खोलने का निर्णय लिया गया है।

**मुल्लापेरियार बांध के बारे में:**
- मुल्लापेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित एक ग्रेविटी बांध है।
- इसका निर्माण 1895 में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किया गया था जो केरल का पहला बांध था।
- हालाँकि बांध का संचालन और रखरखाव तमिलनाडु द्वारा अपने दक्षिणी जिलों के पांच (थेनी, मदुरै, शिवगंगा, डिंडीगुल तथा रामनाड) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।
- यह बांध पूरी तरह से केरल में है लेकिन इसे 29 अक्टूबर, 1886 को 999 वर्षों के लिए तमिलनाडु को पट्टे पर दिया गया था।
- ब्रिटिश शासन के दौरान किए गए 999 साल के लीज समझौते के अनुसार परिचालन अधिकार तमिलनाडु को सौंप दिया गया था।

## जेएन.1 वेरिएंट

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोरोना के नए जेएन.1 वैरिएंट का पता चलने के मद्देनजर राज्यों को गाइडलाइन जारी की।

**JN.1 वेरिएंट के बारे में:**
- JN-1 BA.2.86 (पिरोला) वैरिएंट से लिया गया है जिसे पहली बार सितंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहचाना गया था।
- पिरोला की तुलना में इसमें स्पाइक प्रोटीन पर एक अतिरिक्त उत्परिवर्तन होता है जो वायरल कोशिका प्रवेश के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- डब्ल्यूएचओ के आंकलन के अनुसार, पिरोला और जेएन.1 दोनों पहले से संक्रमित या टीका लगाए गए व्यक्तियों को संक्रमित कर सकते है।
- जेएन.1 से जुड़े लक्षण वायरस के पिछले प्रकारों के समान हैं जिनमें बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द और हल्के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण जैसे पेट दर्द तथा दस्त शामिल हैं।

## योगमाया मंदिर

हाल ही में महरौली में योगमाया मंदिर (जिसे महाभारत काल का माना जाता है) मुगल-प्रायोजित संरचना से आधुनिक कंक्रीट की इमारत में बदल दिया गया है।

**योगमाया मंदिर के बारे में:**
- योगमाया मंदिर (जिसे जोगमाया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है) को माना जाता है कि इसकी प्राचीन जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हैं। यह महरौली में स्थित एक स्मारक है।

- इसका निर्माण 1806 और 1837 के बीच मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दरबार के एक नोबल सिधू मल ने करवाया था।
- यह मंदिर सांस्कृतिक महत्त्व रखता है, फूल वालों की सैर जैसी परंपराओं के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देता है।
- भागवत गीता जैसे साहित्यिक स्रोत और ऐतिहासिक ग्रंथ मंदिर के संबंध को महाभारत युग से जोड़ते हैं इसके निर्माण से युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं।
- 19वीं शताब्दी में थॉमस मेटकाफ जैसे इतिहासकारों के लेखों में अकबर द्वितीय के शासनकाल के दौरान योगमाया मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है जो इसके ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण को जोड़ता है।

## सूरत डायमंड बोर्स

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया।

**सूरत डायमंड बोर्स के बारे में:**

- सूरत डायमंड बोर्स (एसडीबी) सूरत में स्थित भारत की एक बड़े पैमाने की परियोजना है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हब है जिसका क्षेत्रफल 67 लाख वर्ग फुट से अधिक है।
- यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे तथा आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र भी है।
- इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के लिए 4,500 कार्यालय हैं।
- इसमें आयात और निर्यात के लिए एक सीमा शुल्क, निकासी घर, एक आभूषण मॉल तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधाएं भी शामिल हैं।
- इसका निर्माण मुंबई से सूरत तक हीरा व्यापार व्यवसाय को विस्तारित और समेकित करने के लिए किया गया था।
- परिसर की समग्र संरचना मई 2022 में पूरी हो गई थी जिसका समग्र निर्माण 26 जुलाई, 2023 को पूरा हुआ था।
- 22 अगस्त, 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर इसे पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत घोषित किया।

## ई-सिगरेट

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ई-सिगरेट के उपयोग को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।

**ई-सिगरेट के बारे में:**

- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई-सिगरेट, एक बैटरी चालित उपकरण है जो साँस लेने के लिए वाष्पीकृत घोल उत्सर्जित करता है।
- इसके तरल में निकोटीन, प्रोपलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, स्वाद और अन्य रसायन होते हैं।
- ई-सिगरेट एसीटैल्डिहाइड, एक्रोलिन और फॉर्मेल्डिहाइड सहित कई खतरनाक रसायनों का उत्पादन करती है।

## मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

- चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जायेगा। यह पुरस्कार उन्हें जनवरी 2024 में दिया जाएगा। दोनों लोग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न) भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ताओं का चयन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और नकद राशि दी जाती है।

## आईसीएआई के नए सीए इंडिया लोगो का अनावरण

हाल ही में सीए इंस्टीट्यूट (जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया की सबसे बड़ी पेशेवर संस्था है) ने एक नए लोगो का अनावरण किया है।

- यह लोगो संस्थान के भारत-प्रथम दृष्टिकोण और राष्ट्र-निर्माण में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में जुड़ाव का प्रतीक है।
- लोगो में सफेद पृष्ठभूमि पर तिरंगे के टिक मार्क (उल्टा) के साथ नीले रंग में 'CA' अक्षर शामिल हैं।

## भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2022–23 रिपोर्ट

- रिपोर्ट आरबीआई द्वारा प्रकाशित की गई है।
- रिपोर्ट में पिछले वित्तीय वर्ष की शुरुआती छमाही के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।
- रिपोर्ट में साइबर खतरों से उत्पन्न धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघनों के बढ़ते खतरों से बैंकिंग तथा भुगतान प्रणालियों को सुरक्षित रखने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 2,642 करोड़ की राशि से संबंधित 14,483 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 5,396 मामले (17,685 करोड़) दर्ज किए गए थे।
- धोखाधड़ी की कुल संख्या में से कार्ड और इंटरनेट खंड में 12,069 मामले बढ़ गए जिनकी राशि H1FY24 के दौरान 630 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में कुल 87 करोड़ के 2,321 मामले थे।

## भारत–इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौता

- भारत सरकार और इतालवी गणराज्य की सरकार के बीच प्रवासन तथा गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने और पुष्टि करने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई। इससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा, छात्रों और कुशल श्रमिकों की गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा तथा दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।

## ओसिरिस–एपेक्स

नासा ने हाल ही में 'गॉड ऑफ कैओस' क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन फिर से शुरू किया क्योंकि यह पृथ्वी की कक्षा के करीब आ सकता है। नासा के अंतरिक्ष यान OSIRIS-REx (जिसका नाम बदलकर OSIRIS-APEX कर दिया गया है) को क्षुद्रग्रह एपोफिस के बेहद करीब से उड़ान भरने का अध्ययन करने के लिए भेजा गया।

- क्षुद्रग्रह एपोफिस जिसे 'अराजकता का देवता' भी कहा जाता है, 13 अप्रैल, 2029 को पृथ्वी के करीब आने की संभावना है। यह केवल 20,000 मील दूर स्थित होगा जो कुछ मानव निर्मित उपग्रहों की तुलना में करीब दिखाई देगा।

## फेरुसिना

- वैज्ञानिकों ने हाल ही में विलुप्त भूमि घोंघे की फेरुसिना नामक एक नई प्रजाति की खोज की है।
- यह नमूना रोमानिया के हासेग बेसिन में पाया गया था और ऐसा माना जाता है कि यह लगभग 72 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस युग के मास्ट्रिचियन युग के दौरान रहता था।
- नव-वर्णित प्रजाति, फेरसिना पेटोफियाना, भूमि घोंघे की एक छोटी प्रजाति से संबंधित थी जो पैलियोजीन काल के दौरान अस्तित्व में थी और वर्तमान में इसे सुपरफैमिली साइक्लोफोरॉइडिया परिवार में वर्गीकृत किया गया है।

## जॉम्बी डियर डिजीज

हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दिया है कि इंसान 'जोंबी डियर डिजीज' से संक्रमित हो सकते हैं।

- 'जोंबी डियर रोग' (जिसे क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज (सीडब्ल्यूडी) के रूप में भी जाना जाता है) एक संक्रामक और घातक बीमारी है जो गर्भाशय ग्रीवा को प्रभावित करती है। यह मुख्यत: जानवरों का एक समूह है जिसमें हिरण, एल्क, कारिबू व रेनडियर में होता है।
- यह एक विकृत प्रोटीन (प्रियोन) के कारण होता है जो मस्तिष्क और अन्य ऊतकों में जमा हो जाता है जिससे शारीरिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन, क्षीणता और अंतत: मृत्यु हो जाती है। यह सीधे पशु-से-पशु संपर्क से या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में मौजूद संक्रामक कणों जैसे मल, मिट्टी या वनस्पति के संपर्क से फैलता है। जानवर भी संक्रमित हो सकते हैं यदि उनका चारा या चारागाह उसे ले जाने वाले प्रियन से दूषित हो।
- इसे पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाओं और डिजाइन के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) से प्रतिष्ठित प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हुई।

# समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर अपने 20 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। सब्सक्राइबर्स और वीडियो व्यूज दोनों के मामले में वह पहले स्थान पर हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो करीब 64 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं, वहीं 224 मिलियन व्यूज के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की दूसरे स्थान पर हैं।
2. भारत ने कच्चे तेल खरीद के मामले में अपना पहला भुगतान रुपये में संयुक्त अरब अमीरात को किया। इस सम्बन्ध में जुलाई में भारत और यूएई ने रुपये के निपटान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
3. बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) टर्मिनल 2 को 'दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों' में से एक के रूप में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा मान्यता दी गई है। इसे यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा 'इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023' से सम्मानित किया गया है। यह यूनेस्को से ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा बन गया है।
4. यूनाइटेड किंगडम सरकार ने 2027 से लोहा, स्टील, एल्यूमीनियम, सिरेमिक और सीमेंट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने का फैसला किया है।
5. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 'क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (सीजीसीईएल)' को प्रदान किया। क्रॉम्पटन को यह उपलब्धि उसके स्टोरेज वॉटर हीटर के लिए 'वर्ष 2023 के सबसे अधिक ऊर्जा कुशल उपकरण' की श्रेणी में मिली।
6. सुकृता पॉल कुमार ने अपनी पुस्तक 'सॉल्ट एंड पेपर: सेलेक्टेड पोएम्स' के लिए छठवां रवींद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता। रवींद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशक पीटर बुंडालो द्वारा शुरू किया गया था। यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों के लिए एक मंच है।
7. अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने ओपेक छोड़ने की घोषणा की। उसने उत्पादन लक्ष्यों पर असहमति के बाद यह निर्णय लिया है। अंगोला का यह निर्णय सऊदी अरब की अध्यक्षता वाले तेल कार्टेल के लिए एक झटका है।
8. भारतीय नागरिक और डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण-पूर्व एशिया) डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है।
9. हाल ही में दुबई में आईपीएल 2024 की नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपये में अनुबंधित किया है। इस तरह मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए।
10. अब्देल फतह अल-सिसी ने 89.6% वोट हासिल करके मिस्र के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल छह वर्ष का होगा।
11. विजय हजारे ट्रॉफी (जिसे रणजी वन-डे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है) के फाइनल में हरियाणा ने राजस्थान पर 30 रनों से जीत हासिल की।
12. 2023 एसीसी अंडर-19 एशिया कप में बांग्लादेश ने फाइनल में यूएई को हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता। यह टूर्नामेंट 8 से 17 दिसंबर 2023 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था। टूर्नामेंट में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, पाकिस्तान और श्रीलंका ने हिस्सा लिया।
13. विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत 125 बिलियन डॉलर प्रेषण के साथ 2023 में दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा। मेक्सिको (67 अरब डॉलर), चीन (50 अरब डॉलर), फिलीपींस (40 अरब डॉलर) और मिस्र (24 अरब डॉलर) दुनिया के शीर्ष पांच प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में हैं।
14. कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबा की 86 वर्ष की आयु में निधन के बाद शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा कुवैत के नए अमीर बने।
15. जनरल एम एम नरवणे ने अपनी आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया। यह किताब 2020 में लद्दाख गतिरोध के दौरान हुए महत्त्वपूर्ण घटनाओं को बताती है।
16. सेबी ने प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा की। उनकी नियुक्ति 17 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख के रूप में अपनी सेवा दे चुके है।
17. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक में कार्यकारी निदेशक (ईडी) के पद पर संदीप बत्रा की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी।

# चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

## बाब अल-मन्देब

हाल ही में संकीर्ण जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों पर हूती हमलों ने सबसे व्यस्त वैश्विक शिपिंग लेन में से एक को बाधित कर दिया जिससे अमेरिका संघर्ष में और अधिक फंस गया है।

**बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य के बारे में:**

- बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य एक रणनीतिक चोक पॉइंट है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है।
- यह अरब प्रायद्वीप पर यमन, अफ्रीका के हॉर्न में जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है।
- जलडमरूमध्य का अरबी में अनुवाद 'आँसू का द्वार' है।
- बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य एक महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग है जो लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ता है।

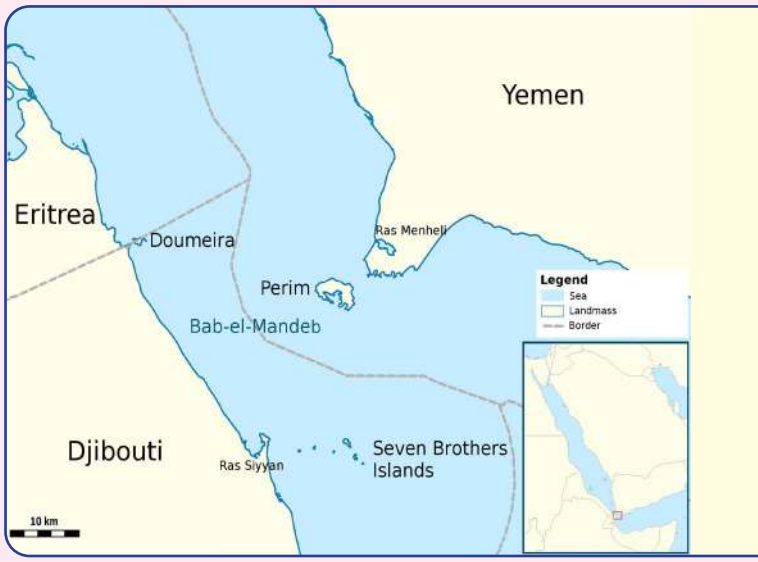


## सिएरा लियोन

- सिएरा लियोन में 26 नवंबर को तख्तापलट का प्रयास हुआ जो राष्ट्रपति बायो के विवादित पुनः चुनाव के बाद राजनीतिक उथल-पुथल, महगांई और व्यापक गरीबी से चिह्नित आर्थिक कठिनाइयों के कारण हुआ था।
- सिएरा लियोन (राजधानी: फ्रीटाउन)
- **स्थान:** सिएरा लियोन एक उष्णकटिबंधीय देश है जो पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित है।
- **सीमाएँ:** सिएरा लियोन अपनी सीमा गिनी (उत्तर और उत्तर-पूर्व), लाइबेरिया (दक्षिण-पूर्व) तथा अटलांटिक महासागर (दक्षिण-पश्चिम) के साथ साझा करता है।

**भौतिक विशेषताएं:**

- माउंट बिंटुमनि सिएरा लियोन और लोमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।
- लोमा पर्वत सिएरा लियोन की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली हुई है।
- मुख्य नदियों में रोकेल और मोआ शामिल हैं जो आवश्यक जल संसाधन प्रदान करती हैं तथा कृषि गतिविधियों का समर्थन करती हैं।
- सिएरा लियोन अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है जिनमें हीरे, रूटाइल, बॉक्साइट और सोना शामिल हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।

# समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

**1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. INSAT 3DS इसरो द्वारा विकसित भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (INSAT) श्रृंखला का एक हिस्सा है।
2. मिशन को अस्थायी रूप से जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाएगा।
3. उपग्रह का उद्देश्य मौसम प्रणाली, आपदा प्रबंधन और महत्त्वपूर्ण मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की निगरानी करना और अधिक जानकारी प्राप्त करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

**2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में सीए इंस्टीट्यूट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया की सबसे बड़ी पेशेवर संस्था है, ने एक नए लोगो का अनावरण किया है।
2. लोगो में सफेद पृष्ठभूमि पर तिरंगे के टिक मार्क (उल्टा) के साथ नीले रंग में 'CA' अक्षर शामिल हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

**3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इंसान 'जोंबी डियर डिजीज' से संक्रमित हो सकते हैं।
2. जोंबी डियर डिजीज एक संक्रामक और घातक बीमारी है जो गर्भाशय ग्रीवा को प्रभावित करती है
3. यह एक विकृत प्रोटीन (प्रियोन) के कारण होता है जो मस्तिष्क और अन्य ऊतकों में जमा हो जाता है जिससे शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन, क्षीणता और अंततः मृत्यु हो जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

**4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. वैज्ञानिकों ने हाल ही में विलुप्त भूमि घोंघे की फेरुसिना नामक एक नई प्रजाति की खोज की है।
2. विलुप्त भूमि घोंघे की प्रजाति लगभग 72 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस युग के मास्ट्रिचियन युग के दौरान पायी जाती थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

**5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में लोकसभा ने प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 पारित कर दिया, जो पुराने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधि नियम, 1867 का स्थान लेता है।
2. यह विधेयक ऑनलाइन माध्यम से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण देने का प्रावधान करता है।
3. विदेशी पत्रिकाओं के प्रतिकृति संस्करण भारत में केंद्र सरकार की मंजूरी और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ पंजीकरण के साथ मुद्रित किए जा सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

**6. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई-सिगरेट, एक बैटरी चालित उपकरण है जो साँस लेने के लिए वाष्पीकृत घोल उत्सर्जित करता है।
2. इसके तरल में निकोटीन, प्रोपलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन और अन्य रसायन होते हैं।
3. ई-सिगरेट एसीटैल्डिहाइड, एक्रोलिन और फॉर्मेल्डिहाइड सहित कई खतरनाक रसायनों का उत्पादन करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

**7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में फ्रांस के शोधकर्ताओं ने फ्रांसीसी द्वीप कोर्सिका पर 'बहुत दुर्लभ' और लुप्तप्राय माने जाने वाले एक नए जीव चमगादड़ की खोज की है।
2. कोर्सिका में खोजा गया चमगादड़ जीनस माइप्टिस, एक पूर्व अज्ञात प्रजाति का है, जिसकी छह महाद्वीपों में 120 से अधिक प्रजातियां हैं।
3. यह चमगादड़ भूरे रंग का होता है और इसके लंबे कान और चेहरे पर बाल होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

**8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. हाल ही में ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया गया।
2. रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2021 के बीच भारत में दर्ज किए गए हत्या के लगभग 16.8% मामले संपत्ति, भूमि या पानी

तक पहुंच के विवादों से जुड़े थे।
3. 2019 और 2021 के बीच भारत में दर्ज की गई हत्याओं में से लगभग 0.5% (300 मामले) को विशेष रूप से पानी से संबंधित संघर्षों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

**9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
1. हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बच्चों के त्यौहार बालोत्सवम के दौरान कोलाट्टम नृत्य का प्रदर्शन किया गया।
2. कोलट्टम आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। इस नृत्य शैली की उत्पत्ति सातवीं शताब्दी में हुई।
3. आंध्र प्रदेश में इस नृत्य को कोलकोलन्नालु, कोलट्टम और कोलन्नालु कहा जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

**10. लॉजिस्टिक्स ईज 2023 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
1. हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoC-I) द्वारा LEADS [विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज] 2023 रिपोर्ट जारी की गई।
2. LEADS का 5वां संस्करण - LEADS 2023 रिपोर्ट, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
3. इसमे राज्यों को तीन रैंकिंग- अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पिर्स में विभाजित किया गया है
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. इनमे से कोई भी नहीं

**11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
1. हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद द्वारा पारित किया गया था।
2. विधेयक केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करता है।
3. विधेयक पुडुचेरी विधान सभा में सभी निर्वाचित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

**12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
1. हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स (सीओसी) का 8वां संस्करण रॉयल थाई नेवी द्वारा 19 से 22 दिसंबर 23 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया।
2. बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड ने की और भारत ने बैठक की सह अध्यक्षता की।
3. थाईलैंड द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज को आधिकारिक IONS ध्वज के रूप में चुना गया।
4. भारत ने आगामी चक्र के लिए समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) पर आईओएनएस कार्य समूहों के लिए सह-अध्यक्ष का पद ग्रहण किया।
5. कोरिया गणराज्य की नौसेना को नवीनतम पर्यवेक्षक के रूप में जोड़ा गया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल तीन
B. केवल चार
C. सभी
D. कोई नहीं

**13. संयुक्त कार्यबल 153 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
1. इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली देशों में से सऊदी अरब और मिस्र, समूह का हिस्सा हैं।
2. इसकी स्थापना 17 अप्रैल, 2023 को हुई थी और यह संयुक्त समुद्री बलों द्वारा संचालित पांच टास्क फोर्स में से एक है।
3. यह लाल सागर, बाब अल-मंडेब और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

**14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**
1. हाल ही में अमेरिकन मौसम विज्ञान सोसायटी के जर्नल ऑफ हाइड्रोमेटोरोलॉजी में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र की तुलना में व्यापक बाढ़ की संभावना अधिक है।
2. टीम ने छह दशकों (1959-2020) में सात प्रमुख नदी घाटियों में व्यापक बाढ़ की जांच की। इन नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और कावेरी शामिल हैं।
3. विश्लेषण में महानदी और नर्मदा नदी घाटियों को सबसे अधिक बाढ़-प्रवण के रूप में उजागर किया गया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

**15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं कौन सा कथन उचित एवं सही है?**

1. हाल ही में झारखंड विधानसभा ने 'झारखंड के स्थानीय निवासी विधेयक' को मंजूरी दे दी जिसे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा लौटा दिया गया था।
2. इस विधेयक के तहत राज्य के स्थानीय निवासियों के सीमांकन के लिए 1932 के भूमि रिकॉर्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
3. जिन निवासियों की पैतृक भूमि 1932 के भूमि सर्वेक्षण में दर्ज की गई थी उन्हें झारखंडी माना जाएगा।
4. झारखंडी लोग ही केवल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के हकदार होंगे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. सभी

**16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं कि कौन सा कथन उचित एवं सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 138 एवं 182 किससे संबंधित हैं?**

A. ILO कन्वेंशन के अनुसार 2030 तक सभी प्रकार के बाल श्रम को खत्म करने के लिए SDG 5.7 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना।
B. बाल श्रम।
C. खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का विनियमन।
D. कार्यस्थल पर लैंगिक समानता।

**17. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. मालदीव सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है जिसने भारत को मालदीव के जलक्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।
2. जल सर्वेक्षण सर्वेक्षण जहाजों द्वारा किए जाते है, जो जल निकाय की विभिन्न विशेषताओं को समझने के लिए सोनार जैसी विधियों का उपयोग करते हैं।
3. ये सर्वेक्षण दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पानी की गहराई, समुद्र तल और समुद्र तट का आकार, संभावित अवरोधों का स्थान और जल निकायों की भौतिक विशेषताओं का पता लगाने में मदद करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

**18. निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट उपकरण ऋणों की एवरग्रीनिंग प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है?**

A. क्रेडिट कार्ड सुविधा
B. ओवरडार्फ्ट क्रेडिट लाइन
C. निश्चित- भुगतान ऋण
D. कोई भी नहीं

**19. जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?**

A. यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत एक वैधानिक निकाय है।
B. यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों के निवारण और देश भर में जीएसटी के कार्यान्वयन में एकरूपता हो।
C. यह जीएसटी कानूनों में दूसरी अपील का मंच है और केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला आम मंच है।
D. वहां सदस्यों की सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है।

**20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. IEA की रिपोर्ट ने भारत और चीन में कोयले की मांग में वृद्धि का अनुमान लगाया है।
2. भारत की कोयले की मांग का लक्ष्य 2024-25 तक 1.31 बिलियन टन और 2030 तक 1.5 बिलियन टन है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

**21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. ओपेक+ में केवल तेल उत्पादक देश शामिल हैं।
2. ओपेक+ मुख्य रूप से उत्पादन समायोजन के माध्यम से तेल की कीमतें तय करने पर केंद्रित है।
3. रूस ओपेक+ का एक प्रमुख सदस्य है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. कोई नहीं

## उत्तर

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. **C** | 4. **C** | 7. **C** | 10. **C** | 13. **B** | 16. **B** | 19. **D** |
| 2. **C** | 5. **C** | 8. **C** | 11. **C** | 14. **C** | 17. **C** | 20. **C** |
| 3. **C** | 6. **D** | 9. **C** | 12. **B** | 15. **D** | 18. **C** | 21. **B** |

# राजव्यवस्था और शासन भाग-02

## विषय सूची


### संसद एवं राज्य विधानमंडल

- ☑ आप को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा
- ☑ राज्यपाल के लिए विधेयक को मंजूरी देने की सीमा
- ☑ अध्यादेश
- ☑ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद
- ☑ भारत की नई संसद
- ☑ तमिलनाडु ने सीबीआई की सामान्य सहमति वापस लिया
- ☑ अविश्वास प्रस्ताव
- ☑ नियम 267
- ☑ धन विधेयक और वित्तीय विधेयक

### कानून निर्माताओं की अयोग्यता

- ☑ नियम और विनियमन
- ☑ 22वें विधि आयोग की राजद्रोह के कानून पर 279वीं रिपोर्ट
- ☑ ओटीटी विनियमन
- ☑ प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867
- ☑ अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
- ☑ सिनेमैटोग्राफी संशोधन बिल
- ☑ मॉडल जेल अधिनियम
- ☑ जस्टिस रोहिणी पैनल

### नारी शक्ति वंदन अधिनियम

- ☑ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
- ☑ पूरे साल संवैधानिक पीठ
- ☑ कोलेजियम प्रणाली
- ☑ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
- ☑ शिवसेना मामले पर संवैधानिक पीठ का फैसला
- ☑ सर्वोच्च न्यायालय की अनु- 142 के तहत तलाक देने की शक्ति
- ☑ फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

### पंचायत

- ☑ पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई)
- ☑ स्थानीय निकाय पर कोटा
- ☑ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के 30 वर्ष

### नियुक्ति

- ☑ प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को सेवा विस्तार

### राजनीतिक दल

- ☑ चुनावी बांड
- ☑ आरपीए की धारा 123
- ☑ मुफ्त उपहार देने पर राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना
- ☑ चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कम करना
- ☑ लिली थॉमस केस व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
- ☑ एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता
- ☑ दलबदल नियम को लेकर हाई कोर्ट में याचिका

### संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय

- ☑ राष्ट्रीय महिला आयोग
- ☑ चुनाव आयोग नियुक्ति विधेयक

### महत्त्वपूर्ण अधिनियम

- ☑ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
- ☑ सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958
- ☑ राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008
- ☑ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- ☑ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1950
- ☑ पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रें तक विस्तार) अधिनियम (पीईएसए), 1996
- ☑ ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008
- ☑ वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006
- ☑ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए):
- ☑ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
- ☑ एफसीआरए अधिनियम, 2010
- ☑ पॉक्सो एक्ट
- ☑ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- ☑ एमटीपी अधिनियम, 1971
- ☑ पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984

# संसद और राज्य विधानमंडल

## आप को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, जबकि शरद पवार की एनसीपी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी का दर्जा वापस ले लिया गया। चुनाव आयोग ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टियों के चुनाव परिणामों तथा 2014 के बाद से 21 विधान सभाओं के चुनाव परिणामों की जांच करने के बाद यह निर्णय लिया।

### चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968:

**राष्ट्रीय दल के दर्जे की मान्यता हेतु आवश्यक शर्तः**

- यह चार या अधिक राज्यों में 'मान्यता प्राप्त' हो या
- यदि इसके उम्मीदवारों ने कम से कम 4 राज्यों (नवीनतम लोकसभा या विधानसभा चुनावों) में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% हासिल किया हो और पिछले लोकसभा चुनावों में पार्टी के पास कम से कम 4 सांसद हो या
- यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीती हो।

**किसी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता देने हेतु शर्तः**

- यदि यह पार्टी संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध वोटों का 6% प्राप्त किया हो और साथ ही 2 सीटें भी जीती हो या
- यदि लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध वोटों का 6% हासिल किया हो और साथ ही उसने उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट भी जीती हो या
- यदि यह संबंधित राज्य की विधान सभा के लिए आम चुनाव में 3% सीटें या विधानसभा में 3 सीटें (जो भी अधिक हो) जीती हो या
- यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी अंश के लिए लोकसभा में 1 सीट जीती हो या
- यदि वह राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में या राज्य विधानसभा से राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का 8% प्राप्त किया हो।

### इसके लाभः

- जब किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है, तो उस पार्टी को कई फायदे मिलते हैं। जैसे-राज्यों में समान पार्टी चिन्ह, सार्वजनिक प्रसारकों पर चुनाव के दौरान मुफ्त प्रसारण, नई दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह आदि।
- एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी सभी लोकसभा सीटों और विधानसभा की सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकती है। इससे चुनाव प्रचार के लिए अधिक स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने का भी मौका मिलता है।

## राज्यपाल के लिए विधेयक को मंजूरी देने की सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते और अगर राज्यपाल ऐसा करते हैं तो यह संविधान के खिलाफ है।

### मुद्दे के बारे में:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल से पारित होने पर या तो उसे रोक सकता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है।
- कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल या तो विधेयक पर सहमति देते हैं या विधेयक को रोकते हैं, लेकिन अगर राज्यपाल ने इसे रोक दिया है, तो इसे जल्द से जल्द राज्य विधानमंडल को सूचित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, तो विधेयक को मंजूरी देना चाहिए क्योंकि यह राज्यपाल का संवैधानिक कर्त्तव्य है।

## अध्यादेश

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को सिविल सेवाओं पर अधिकार दिया गया है। अध्यादेश में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की भी स्थापना की गई जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल होंगे जिसका निर्णय बहुमत से लिया जाएगा।

### अध्यादेश के बारे में:

- अध्यादेश का अर्थ किसी देश या किसी विशेष क्षेत्र के लिए अस्थायी कानून बनाना है। संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति की तथा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य के राज्यपालों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अध्यादेश की अवधि अधिकतम छह माह और छह सप्ताह हो सकती है। यह उसी कानून की तरह काम करता है जो संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किया जाता है। इसे केवल उस समय जारी किया जा सकता है जब संसद या राज्य

विधानसभाओं का सत्र कार्यशील मोड में न हो।

### अध्यादेशों पर न्यायिक केस:

**आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ ( 1970 ):**

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अध्यादेश की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है अर्थात उसे चुनौती दी जा सकती है।
- न्यायालय ने यह भी माना कि एक अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान संवैधानिक सीमाओं के अधीन है और किसी भी मौलिक अधिकार या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

**ए.के. रॉय बनाम भारत संघ ( 1982 ):**

- न्यायालय ने माना कि अध्यादेश का उपयोग संसदीय कानून के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसका सहारा केवल अत्यधिक तात्कालिकता या अप्रत्याशित आपात स्थिति के मामलों में ही किया जाना चाहिए।

**डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य ( 1987 ):**

- इस मामले में 1967 और 1981 के बीच विभिन्न विषयों पर बिहार के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की एक श्रृंखला को चुनौती दी गई थी जिनमें से कुछ को राज्य विधानमंडल के सामने रखे बिना कई बार प्रख्यापित किया गया था।

## कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य की फसलों के लिए कर्नाटक से प्रतिदिन 24,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) कावेरी पानी छोड़ने की गुहार लगाई।

- तमिलनाडु ने न्यायालय से कर्नाटक को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के फरवरी 2007 के अंतिम फैसले के अनुसार सितंबर 2023 के लिए निर्धारित 36.76 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में संशोधित किया था।

### कर्नाटक जल विवाद:

**विवाद के बारे में:**

- चूंकि यह नदी कर्नाटक से निकलती है तथा केरल से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के साथ तमिलनाडु से होकर बहती है और पांडिचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए इस विवाद में 3 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- विवाद की शुरूआत 150 साल पुराना है जो 1892 और 1924 में तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी तथा मैसूर के बीच मध्यस्थता के दो समझौतों से जुड़ा है।
- इसमें यह सिद्धांत शामिल था कि ऊपरी तटवर्ती राज्य को किसी भी निर्माण गतिविधि के लिए निचले तटवर्ती राज्य की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद 1974 में शुरू हुआ जब कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी मोड़ना शुरू कर दिया।
- कई वर्षों के बाद इस मुद्दे को हल करने के लिए 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) की स्थापना की गई। सीडब्ल्यूडीटी को 2007 में अंतिम आदेश देने में 17 साल लग गए जिसमें चार तटवर्ती राज्यों के बीच कावेरी जल के बंटवारे की रूपरेखा दी गई थी।
- इसमें सामान्य वर्ष में 740 टीएमसी की कुल उपलब्धता पर विचार करते हुए कावेरी बेसिन में चार राज्यों के बीच जल आवंटन निर्दिष्ट किया गया था। संकट के वर्षों में पानी का बंटवारा आनुपातिक आधार पर किया जाना निर्धारित हुआ था।
- चार राज्यों के बीच पानी का आवंटन इस प्रकार है:
  - तमिलनाडु- 404.25 टीएमसी
  - कर्नाटक-284.75 टीएमसी
  - केरल-30 टीएमसी
  - पुडुचेरी-7 टीएमसी
- 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और सीडब्ल्यूडीटी द्वारा निर्धारित जल-बंटवारे व्यवस्था को काफी हद तक बरकरार रखा।
- इसने केंद्र सरकार को कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया।
- केंद्र सरकार ने जून 2018 में 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' और 'कावेरी जल विनियमन समिति' का गठन करते हुए 'कावेरी जल प्रबंधन योजना' को अधिसूचित किया।

## भारत की नई संसद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया जिसमें इसकी उत्कृष्ट कलाकृति का प्रदर्शन किया गया। इसके कई मुख्य आकर्षणों में 'सेन्गोल' नामक एक औपचारिक राजदंड भी शामिल है।

### संसद के बारे में:

- भारतीय संविधान के पांचवें भाग में अनुच्छेद 79 से 122 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, विशेषाधिकारों और शक्ति से संबंधित है।
- भारत की संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है जो राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (लोगों का सदन) से बनी है। भारत के राष्ट्रपति, विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति रखते हैं, लेकिन वे इन शक्तियों का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री तथा उनकी केंद्रीय परिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं।

- सदन की बैठक के लिए कोरम संविधान के अनुच्छेद 100(3) के तहत उल्लिखित सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा है।
- राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश- 31, महाराष्ट्र- 19, तमिलनाडु- 18 और पश्चिम बंगाल- 16 से हैं।
- **राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ**- संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए सशक्त बनाना (अनुच्छेद 249), अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण (अनुच्छेद 312) और मंजूरी देना। आपातकाल की उद्घोषणा (अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360 के तहत जारी) के समय यदि लोकसभा भंग हो जाती है या संसद द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि के भीतर लोकसभा का विघटन होता है, तो राज्यसभा आवश्यक निर्देश पारित कर सकती है।
- अध्यक्ष जिस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ था, उसके विघटन के बाद उसकी पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि वह अनुच्छेद 94, 101 और 102 में निर्दिष्ट किसी भी कारण से सदस्य नहीं रह जाता है।
- जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष के कार्यालय के कर्त्तव्यों का पालन लोकसभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्त किए गए व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में जाना जाता है।
- अध्यक्ष सदस्यों में से दस से अधिक अध्यक्षों का एक पैनल नामित करेगा जिनमें से कोई भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर सकता है।
- लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत निर्धारित की जा सकती हैं। [अनुच्छेद 84]
- धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- स्थगन सदन की बैठक या कार्यवाही को सदन के पुनः संयोजन के लिए निर्दिष्ट एक समय से दूसरे समय के लिए स्थगित करना।
- 'सत्रावसान' का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 85(2)(ए) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश द्वारा सदन के सत्र को समाप्त करना है।
- सदन के विघटन का अर्थ है कि लोकसभा के कार्यकाल का अंत या तो संविधान के अनुच्छेद 85 (2)(बी) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश से या नियत तिथि से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर होनी चाहिए।
- 'लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन' के नियम - 32 में प्रावधान है कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, सदन की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा जिसे प्रश्न काल कहा जाएगा।
- प्रश्नों की स्वीकार्यता लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों, अध्यक्ष के निर्देशों तथा पिछले उदाहरणों द्वारा शासित होती है।
- **तारांकित प्रश्नः** जो सदस्य अपने प्रश्न का मौखिक उत्तर चाहता है, उसे तारांकित प्रश्न का अंतर बताना आवश्यक है। तारांकित प्रश्नों को प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 15 दिनों का नोटिस आवश्यक है।
- **अतारांकित प्रश्नः** इन प्रश्नों पर तारांकन चिह्न नहीं होता है और ये लिखित उत्तर प्राप्त करने के लिए होते हैं। अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 15 स्पष्ट दिनों का नोटिस आवश्यक है।
- **अल्प सूचना प्रश्नः** अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर दस दिनों से कम के नोटिस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
- **ध्यान आकर्षित करनाः** इसके तहत एक सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से तत्काल सार्वजनिक महत्त्व के किसी भी मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है और मंत्री उस पर एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है। केवल वे मामले जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार की चिंता का विषय हैं, ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उठाए जा सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रक्रिया एक भारतीय नवाचार है जो पूरक प्रश्नों के साथ प्रश्न पूछना और संक्षिप्त टिप्पणी करती है। ध्यानाकर्षण का मामला सदन के मतदान के अधीन नहीं है।
- संसदीय भाषा में 'प्रस्ताव' का अर्थ सदन का निर्णय प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी सदस्य द्वारा सदन में किया गया कोई औपचारिक प्रस्ताव है।
- प्रस्तावों को तीन व्यापक श्रेणियों अर्थात 'मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और सहायक प्रस्ताव' में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- एक ठोस प्रस्ताव एक स्व-निहित, स्वतंत्र प्रस्ताव है जो किसी विषय के संदर्भ में किया जाता है जिसे प्रस्तावक आगे लाना चाहता है। सभी संकल्प, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आदि मूल प्रस्तावों के उदाहरण हैं।
- एक स्थानापन्न प्रस्ताव, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, किसी नीति या स्थिति या कथन या किसी अन्य मामले पर विचार करने के लिए मूल प्रस्ताव के प्रतिस्थापन में पेश किया जाता है। स्थानापन्न प्रस्तावों में संशोधन की अनुमति नहीं है।
- सहायक प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों पर निर्भर करते हैं या उनसे संबंधित होते हैं या सदन में कुछ कार्यवाही का अनुसरण करते हैं।
- स्थगन प्रस्ताव अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्त्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा के उद्देश्य से सदन के कामकाज को स्थगित करने की प्रक्रिया है जिसे अध्यक्ष की सहमति से पेश किया जा सकता

है। इसे अपनाना एक प्रकार से सरकार की निंदा माना जाता है।

- लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का नियम 198 मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई आधार निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है जिस पर यह आधारित है।
- यदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार करता है और उस पर चर्चा के लिए कोई तारीख तय नहीं की जाती है, तो इसे 'नो-डे-एट-नेम्ड मोशन' कहा जाता है।
- **अल्पावधि चर्चा**- इस नियम के तहत सदस्य बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव या उस पर मतदान के छोटी अवधि के लिए चर्चा कर सकते हैं।
- व्यवस्था का प्रश्न सदन या सम्मेलन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों की व्याख्या या प्रवर्तन से संबंधित है जो सदन के कार्य को विनियमित करते हैं तथा एक प्रश्न उठाते हैं जो अध्यक्ष के संज्ञान में है। .
- 'संसदीय विशेषाधिकार' का तात्पर्य संसद के प्रत्येक सदन की समितियों को सामूहिक रूप से तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कुछ अधिकारों और उन्मुक्तियों से है जिनके बिना वे अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। (अनुच्छेद 105)
- प्रत्येक सदन उसके सदस्यों और उसकी समितियों को उपलब्ध शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को परिभाषित करने के लिए संसद (और राज्य विधानमंडल) द्वारा अब तक कोई कानून नहीं बनाया गया है।
- ऐसे तीन अवसर आए जब संसद के दोनों सदनों ने अपने बीच विधेयकों पर गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त बैठक आयोजित की। अंतिम बार 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक, 2002 पर संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी।
- स्थायी समितियाँ ऐसी समितियाँ होती हैं जिनके सदस्य या तो सदन द्वारा चुने जाते हैं या हर साल या समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा नामांकित होते हैं।
- संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए उन्हें सौंपे गए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कामकाज की जांच करने हेतु 1993 में विभाग संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना की गई थी। चौबीस डीआरएससी का गठन किया गया है जिसमें अधिकतम इकतीस सदस्य शामिल हैं जिनमें से इक्कीस सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं, जबकि दस सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित होते हैं।

## तमिलनाडु ने सीबीआई की सामान्य सहमति वापस लिया

ईडी द्वारा तमिलनाडु सरकार के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद तमिलनाडु सरकार ने सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ले लिया।

### सीबीआई की सामान्य सहमति के बारे में:

- सीबीआई 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम द्वारा शासित है जिसके तहत जांच एजेंसी को किसी विशेष राज्य में अपराध की जांच करने से पहले राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- दूसरे शब्दों में राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई उस राज्य की सीमाओं के भीतर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है।
- इस संबंध में सीबीआई की स्थिति राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से अलग है जो एनआईए अधिनियम, 2008 द्वारा शासित है और पूरे देश में इसका अधिकार क्षेत्र है।
- किसी राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति दो रूपों में आ सकती है या तो मामला-विशिष्ट या सामान्य।
- सामान्य सहमति, जैसा कि नाम से पता चलता है, सीबीआई को राज्यों के भीतर निर्बाध रूप से काम करने की अनुमति देती है।
- जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देता है, तो एजेंसी को हर बार जांच के सिलसिले में या हर मामले के लिए उस राज्य में प्रवेश करने पर नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- सामान्य सहमति वापस लेने का मतलब यह भी है कि सीबीआई उस राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी विशेष राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़ा कोई भी नया मामला दर्ज नहीं कर सकेगी।
- सामान्य सहमति वापस लेने से पहले दर्ज राज्य में मामलों की जांच सीबीआई जारी रख सकती है।

## अविश्वास प्रस्ताव

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर की स्थिति पर सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

### अविश्वास प्रस्ताव के बारे में:

- यह प्रक्रिया लोकसभा के नियम 198 के तहत निर्दिष्ट है। भारत के संविधान में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 75 यह निर्दिष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में और विपक्ष द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में न्यूनतम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करें।
- नियम 198(3) के अनुसार, यदि अनुमति दी जाती है तो अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक दिन का कुछ भाग आवंटित कर

सकता है। ऐसा सदन में कामकाज की स्थिति को देखते हुए किया जाता है।

- **नियम 198( 4 ) के अनुसार:** अध्यक्ष आवंटित दिन में नियत समय पर प्रस्ताव पर सदन के निर्णय को निर्धारित करने के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रश्न रखेगा।
- **नियम 198( 5 ) के अनुसार:** अध्यक्ष भाषणों के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है।
- यदि सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है।

## नियम 267

राज्यसभा में विपक्ष द्वारा मणिपुर मुद्दे को उठाने के लिए अन्य सभी कामकाज को दिन भर के लिए निलंबित करने की मांग के बाद शोर-शराबा देखने को मिला, जबकि सरकार 'छोटी अवधि की चर्चा' के लिए सहमत हो गई थी। विपक्ष की मांग नियम 267 के तहत आई थी जो किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए मुद्दे पर बहस करने के लिए दिन के कामकाज को निलंबित करने की अनुमति देता है।

## धन विधेयक और वित्तीय विधेयक

डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किए जाने की अफवाहों के बीच भारत सरकार ने एक बयान जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इसे गैर-धन, गैर-वित्त, नियमित विधेयक के रूप में पेश किया जाए।

### धन विधेयक के बारे में:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत प्रावधान।
- सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
- केवल लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित कर सकते हैं कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
- केवल लोकसभा ही विधेयक में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है, जबकि राज्य सभा केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है।

### वित्तीय विधेयक के बारे में ( 1 ):

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत प्रावधान।
- सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- विधेयक पारित होने को सामान्य विधेयक मानना।

### वित्तीय विधेयक के बारे में ( 2 ):

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत प्रावधान।
- दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है।
- विधेयक पारित होने को सामान्य विधेयक मानना।

## कानून निर्माताओं की अयोग्यता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता रद्द कर दी।

### संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 संसद में सदस्यों की अयोग्यता के बारे में परिभाषित करता है।
- किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए निम्न तरह से अयोग्य ठहराया जा सकता है:
  - वह व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है।
  - यदि व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है।
  - यदि व्यक्ति पर दिवालियेपन का आरोप लगाया गया है।
  - यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।
  - यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
- यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य है तो उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

### लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत सदस्यता की अयोग्यता:

- 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 कुछ अपराधों की सजा के लिए अयोग्यता से संबंधित है:
  - जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) में दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव जैसे विशिष्ट अपराध शामिल हैं।
  - जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(2) उन अपराधों को सूचीबद्ध करती है जो जमाखोरी, खाद्य या दवाओं में मिलावट और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत अपराध हैं।
  - 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) उस दोषी व्यक्ति को अयोग्य ठहराती है जिसे कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो। इस प्रावधान के तहत राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था।
  - लाभ के पद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, दलबदल विरोधी कानून पर स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है।

# नियम और विनियमन

## 22वें विधि आयोग की राजद्रोह के कानून पर 279वीं रिपोर्ट

राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की सिफारिश करने वाली भारत के विधि आयोग की 279वीं रिपोर्ट ने 153 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

### आईपीसी की धारा 124ए के बारे में:

- 1870 में शामिल की गई भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए राजद्रोह के कानून का वर्णन करती है।
- यह ऐसे भाषण या लेखन को दंडित करने का प्रयास करता है जो कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना करता है या लाने की कोशिश करता है या असंतोष भड़काता है या भड़काने की कोशिश करता है।

## ओटीटी विनियमन

हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) ने फैसला सुनाया है कि हॉटस्टार जैसे ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 द्वारा अधिसूचित हैं।

### मध्यस्थता विधेयक 2023:

- हाल ही में संसद द्वारा पारित मध्यस्थता विधेयक को 14 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। मध्यस्थता अधिनियम 2023 (अधिनियम) पूरे भारत में लागू होगा। हालाँकि यह अधि नियम एक तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है।

### अधिनियम के बारे में:

- यह अधिनियम मध्यस्थता, विशेषकर संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए है। यह अधिनियम लागत प्रभावी और समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन तथा सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान को भी संबोधित करता है। इसके अलावा अधिनियम मध्यस्थता निपटान समझौतों को लागू करने और भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।
- अधिनियम की धारा 3(एच) मध्यस्थता को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करती है जिसके तहत पार्टियां मध्यस्थ के रूप में संदर्भित तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करती हैं जिसके पास पार्टियों पर समझौता थोपने का अधिकार नहीं है। विवाद को उक्त अनुभाग में मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह की अभिव्यक्ति शामिल है।

### मध्यस्थता के बारे में:

- मध्यस्थता सरल शब्दों में दो प्रतिस्पर्धी पार्टियों के बीच किसी तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उन्हें सुलझाना या मुकदमेबाजी में पड़े बिना अपने विवाद को निपटाने के लिए राजी करना है।
- मध्यस्थता कोई नई प्रक्रिया नहीं है जिसका उल्लेख नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89(1) में भी किया गया है जिसे 1999 के नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। विवाद समाधान के लिए सुलह, न्यायिक समाधान या मध्यस्थता करने का प्रावधान है।

## प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867

हाल ही में राज्यसभा ने प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक मौजूदा प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 की जगह लेता है।

### विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- नया कानून उन दो प्रावधानों को खत्म करने का प्रयास करता है जिनके लिए प्रकाशकों और मुद्रकों को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक था।
- यह पीआरबी अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को खत्म कर देता है जिसके तहत सूचना की अनुचित घोषणा को छह महीने तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध बनाया गया था।
- नया विधेयक एक अपीलीय प्राधिकारी का भी प्रावधान करता है।
- वर्तमान समय में अखबार शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति को जिला कलेक्टर के पास एक आवेदन जमा करना होता है जो शीर्षक उपलब्धता की जांच के लिए इसे भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई) को भेजता है।
- नया विधेयक शीर्षक उपलब्धता की जांच की इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रयास करता है जिससे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए आवश्यक समय काफी कम हो जाएगा।

## अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023

हाल ही में अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सफलतापूर्वक पारित हुआ। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है जिसका प्राथमिक उद्देश्य

कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 को निरस्त करके और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करके कानूनी प्रणाली में 'दलालों' के मुद्दे का समाधान करना है।

- नया विधेयक 1961 के अधिनियम में धारा 45ए जोड़ता है जो उच्च न्यायालयों और जिला न्यायाधीशों को दलालों की सूची बनाने तथा प्रकाशित करने का अधिकार देता है।
- आरोपों का विरोध करने का अवसर प्रदान किए बिना व्यक्तियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे।
- कथित दलालों को जांच के लिए अधीनस्थ अदालतों में रिपोर्ट किया जा सकता है जिसके बाद निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
- एक दलाल के रूप में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप प्रत्येक अदालत में एक प्रकाशित सूची में शामिल किया जाता है जिसमें संभावित कारावास भी होता है।

### दलाल क्या है?

- दलाल या टाउट को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था जो किसी कानूनी व्यवसायी से किसी पारिश्रमिक के बदले किसी कानूनी व्यवसाय में कानूनी व्यवसायी का रोजगार प्राप्त करता है या जो किसी कानूनी व्यवसायी या किसी कानूनी व्यवसाय में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक के लिए, ऐसे व्यवसाय में कानूनी व्यवसायी का रोजगार प्राप्त करने का प्रस्ताव देता है। सरल शब्दों में दलाल ग्राहक और कानूनी अभ्यासकर्ताओं के बीच एक मध्यस्थ होता है।

## मॉडल जेल अधिनियम

हाल ही में केंद्र ने स्वतंत्रता-पूर्व युग के 'जेल अधिनियम, 1894' को बदलने के लिए एक व्यापक 'मॉडल जेल अधिनियम, 2023' को अंतिम रूप दिया है जो मुख्य रूप से अपराधियों को हिरासत में रखने तथा जेल में अनुशासन और व्यवस्था लागू करने पर केंद्रित है।

- वर्तमान 'जेल अधिनियम, 1894' लगभग 130 वर्ष पुराना है जो मुख्य रूप से अपराधियों को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन तथा व्यवस्था लागू करने पर केंद्रित है जिसमें सुधार और पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है।

### अधिनियम के बारे में:

- मॉडल कारागार अधिनियम, 2023 का उद्देश्य जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करके, अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने हेतु कैदियों को पैरोल, फर्लो और छूट के प्रावधान, महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करके मौजूदा कारागार अधिनियम में कमियों को दूर करना है। यह कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- नए मॉडल कारागार अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताओं में सुरक्षा मूल्यांकन और कैदियों को अलग करने, व्यक्तिगत सजा, शिकायत निवारण, जेल विकास बोर्ड की स्थापना तथा कैदियों के शारीरिक और मानसिक कल्याण पर ध्यान देने का प्रावधान शामिल है।
- अधिनियम में जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। जैसे-अदालतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व जेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेप आदि। इसमें जेलों में मोबाइल फोन जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग करने पर कैदियों और जेल कर्मचारियों की सजा का प्रावधान भी शामिल है।

## जस्टिस रोहिणी पैनल

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जाति समूहों के उप-वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने लगभग छह साल के बाद अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दी। सिफारिशों का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार किसी भी कार्यान्वयन से पहले रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करेगी।

### रोहिणी आयोग के बारे में:

- आयोग की स्थापना 2 अक्टूबर, 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 (पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति) के तहत की गई थी।

### संदर्भ की शर्तें:

- केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध ओबीसी के बीच लाभों के असमान वितरण की जांच करना।
- ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मापदंडों का प्रस्ताव करना।
- संबंधित जातियों या समुदायों को उनकी संबंधित उप-श्रेणियों में पहचानकर वर्गीकृत करना।
- ओबीसी की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों का अध्ययन करना और पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों तथा वर्तनी या प्रतिलेखन में त्रुटियों के लिए सुधार की सिफारिश करना।

## नारी शक्ति वंदन अधिनियम

संसद ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 (128वां संविधान संशोधन विधेयक) या नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया।

- यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी (अनुसूचित जाति) तथा एसटी (अनुसूचित जनजाति) के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

### विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330ए शामिल करने का प्रावधान किया गया।
- विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जायेंगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में,

विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है।

### राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण:

- विधेयक अनुच्छेद 332ए पेश करता है जो हर राज्य विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए।
- विधानसभाओं के लिए सीधे चुनाव के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से एक तिहाई भी महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

# सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट

## पूरे साल संवैधानिक पीठ

भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रहे न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे साल कम से कम एक संविधान पीठ काम करेगी।

### सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के बारे में:

- संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ है जिसमें पांच या अधिक न्यायाधीश होते हैं।

### संवैधानिक पीठ की परिस्थितियाँ:

- **अनुच्छेद 145( 3 ):** अनुच्छेद 145(3) प्रावधान करता है कि "इस संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले का निर्णय करने के लिए या अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी।
- **अनुच्छेद 143:** जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगते हैं।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 355:** संविधान के अनुच्छेद 226 (इसका रिट क्षेत्राधिकार) के तहत एक उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 355 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है जो केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के अलावा बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करने का कर्त्तव्य देता है। प्रत्येक राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलती है।
- **अनुच्छेद 226 के बारे में:** अनुच्छेद 226 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास उन सभी क्षेत्रों में शक्तियाँ होंगी जिनके संबंध में उसने किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को रिट या आदेश जारी करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है।
- **अनुच्छेद 355 के बारे में:** यह संघ का कर्त्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे।

## कॉलेजियम प्रणाली

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

### कॉलेजियम प्रणाली के बारे में:

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा।

### प्रणाली का विकास:

**प्रथम न्यायाधीश मामला ( 1981 ):**

- यह माना गया कि 'परामर्श' में 'सहमति' शामिल नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित थी और यह भी कि राष्ट्रपति परामर्शदाताओं के विचारों को खारिज कर सकते हैं।
- इसने घोषणा किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की प्रधानता को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है।

**दूसरा जज केस ( 1993 ):**

- सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत यह मानते हुए किया कि परामर्श का वास्तव में मतलब 'सहमति' था।

**तृतीय न्यायाधीश मामला ( 1998 ):**

- राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 143) ने कॉलेजियम को पांच सदस्यीय निकाय तक विस्तारित किया जिसमें सीजेआई और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे।

### कॉलेजियम प्रणाली के बारे में:

- कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं जिसमें

सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

- एक उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
- उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है।

## इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कर्नाटक को पहला स्थान मिला।

### रिपोर्ट के बारे में:

- वर्ष 2019 में टाटा ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई यह रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट है जो राज्यों की न्याय देने की क्षमता को रैंक करती है।
- यह न्याय प्रणाली के 4 प्रमुख स्तंभों की क्षमता का आंकलन करता है:
  - » पुलिस
  - » जेलें
  - » न्यायपालिका
  - » सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कानूनी सहायता

### मुख्य निष्कर्ष:

- 18 मध्यम आकार और बड़े राज्यों (जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक) की समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर (कर्नाटक), जबकि सबसे अंतिम स्थान (यूपी) को दिया गया।
- 7 छोटे राज्यों (जनसंख्या 1 करोड़ से कम) की समग्र रैंकिंग: शीर्ष (सिक्किम), सबसे अंतिम स्थान (गोवा)
- दिसंबर 2022 तक 1,108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले उच्च न्यायालय में, केवल 778 न्यायाधीश कार्यरत हैं।
- अधीनस्थ न्यायालयों को 24,631 न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले 19,288 न्यायाधीश कार्यरत हैं।
- पिछले पांच वर्षों में अधिकांश राज्यों में प्रति न्यायाधीश लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है।
- उच्च न्यायालय के स्तर पर यूपी में औसत लंबितता सबसे अधिक है, जहां मामले औसतन 11.34 वर्षों तक लंबित रहते हैं।
- सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा [1 वर्ष], सिक्किम [1.9 वर्ष] और मेघालय [2.1 वर्ष] में है।
- उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की तुलना में सालाना अधिक मामलों का निपटारा कर रहे हैं।
- केरल और ओडिशा के उच्च न्यायालयों में मामले निपटाने की दर क्रमश: 156% और 131% रही, जबकि राजस्थान [65%] तथा बॉम्बे [72%] के उच्च न्यायालयों में मामले निपटारे की दर सबसे कम रही है।
- त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जहां जिला अदालतों में सीसीआर 100% से ऊपर रहा।

## शिवसेना मामले पर संवैधानिक पीठ का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में शिवसेना में विभाजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है।

- शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियाँ कीं।
- हालाँकि अदालत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से परहेज किया।

## सर्वोच्च न्यायालय की अनु. 142 के तहत तलाक देने की शक्ति

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि एक अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सीधे तलाक पर निर्णय दे सकती है, ऐसे मामलों में जहां विवाह पूरी तरह से टूट गया है। पहले पक्षों को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना, जहां उन्हें आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए 6-18 महीने तक का इंतजार करना होता है।

### संविधान का अनुच्छेद 142:

- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को दो पक्षों के बीच 'पूर्ण न्याय' करने की एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है जहां कभी-कभी कानून कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकता है। उन स्थितियों में न्यायालय किसी विवाद को इस तरह समाप्त करने के लिए अपना विस्तार कर सकता है जो मामले के तथ्यों के अनुकूल हो।

## फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) को 2026 तक तीन और वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रारंभ में अक्टूबर 2019 में एक वर्ष के लिए शुरू की गई इस योजना को मार्च 2023 तक अतिरिक्त दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था।

### फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के बारे में:

- एफटीएससी भारत में स्थापित विशेष अदालतें हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य यौन अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाना है, विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत बलात्कार और उल्लंघन से जुड़े मामलों में।
- एफटीएससी की स्थापना को सरकार द्वारा यौन अपराधों की चिंताजनक आवृत्ति और नियमित अदालतों में मुकदमों की लंबी अवधि की मान्यता के कारण प्रेरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती थी।

# पंचायत

## पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई)

केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री ने लोकसभा में उल्लेख किया कि पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) देश भर में पंचायतों की विकास प्रगति का आंकलन और निगरानी करने के लिए एक व्यापक उपकरण है।

### पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) के बारे में:

- पीडीआई केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक व्यापक मूल्यांकन उपकरण है।
- सूचकांक का उद्देश्य 2030 तक सतत विकास के लिए व्यापक संयुक्त राष्ट्र एजेंडा के साथ संरेखित स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में जमीनी स्तर के संस्थानों, विशेष रूप से पंचायतों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करना है।

### मूल्यांकन ढांचा:

- पीडीआई विभिन्न विषयों में प्रगति का मूल्यांकन करता है जिसमें संभवत: शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय स्थिरता आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- यह विकास की प्रगति को मापने के लिए 577 स्थानीय संकेतकों और 144 स्थानीय लक्ष्यों का उपयोग करता है।
- इन स्थानीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए 642 यूनिक डेटा प्वाइंट का उपयोग किया जाता है।

## स्थानीय निकाय पर कोटा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे से शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने को हरी झंडी दी। शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी।

### संवैधानिक प्रावधान:

- 1992 का 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रत्येक पंचायत/नगरपालिका में (अर्थात् तीनों स्तरों पर) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत /नगरपालिका क्षेत्र में उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

### अध्यक्ष के कार्यालयों का आरक्षण:

- इसके अलावा राज्य विधायिका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किसी अन्य स्तर पर पंचायत/नगर पालिका में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण का प्रावधान करेगी।

### महिलाओं के लिए आरक्षण:

- अधिनियम में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक-तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) आरक्षण का प्रावधान है।
- इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर पंचायतों/नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

### पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण:

- यह अधिनियम किसी राज्य की विधायिका को पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी भी स्तर पर किसी भी पंचायत/नगर पालिका या पंचायत/नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के कार्यालयों में सीटों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है।

## लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के 30 वर्ष

73वें और 74वें संविधान संशोधन के 30 साल पूर्ण हुए।

### संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान में पंचायतों से संबंधित स्थानीय सरकार एक राज्यसूची का विषय है जिसमें पंचायतों को शक्ति और अधिकार का हस्तांतरण राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
- संविधान कहता है कि पंचायतें और नगर पालिकाएं हर पांच साल में चुनी जाएंगी जो राज्यों को कानून के माध्यम से उन्हें कार्य करने तथा जिम्मेदारियां सौंपने का आदेश देता है।
- 73वें और 74वें संशोधन ने भारत में संवैधानिक रूप से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की स्थापना करके निर्वाचित स्थानीय सरकारों के रूप में पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना को अनिवार्य कर दिया।
- इन संशोधनों ने संविधान में दो नए भाग जोड़े अर्थात् भाग IX जिसका शीर्षक था 'पंचायतें' (73वें संशोधन द्वारा) और भाग IXA जिसका शीर्षक था 'नगर पालिकाएँ' (74वें संशोधन द्वारा) को संविधान में जोड़ा गया।
- 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं।
- 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 40:** ग्राम पंचायत का संगठन।

# नियुक्ति

## प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को सेवा विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक को निर्धारित कट-ऑफ तारीखों के अतिरिक्त दो कार्यकालों को सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने अमान्य घोषित कर दिया है। सुचारू परिवर्तन शुरू करने के लिए निदेशक को न्यायालय ने 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी।

### प्रवर्तन निदेशालय (ईडी):

- प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।
- 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था।
- ईडी निदेशक की नियुक्ति सीवीसी अधिनियम, 2003 की धारा 25 के तहत की जाती है।
- केंद्र सरकार एक चयन समिति की सिफारिश पर ईडी के निदेशक की नियुक्ति करती है जिसमें सीवीसी अध्यक्ष, सतर्कता आयुक्त, गृह मंत्रालय के सचिव, कार्मिक मंत्रालय और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय शामिल होते हैं।
- 1964 में स्थापित सीवीसी एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (सीवीसी) के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया।

## दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीपीएसई) अधिनियम, 1946

- उक्त बल के अधीक्षण और प्रशासन तथा सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों में विस्तार के लिए एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ अपराधों की जांच के लिए दिल्ली में एक विशेष पुलिस बल के गठन का प्रावधान किया गया।

# राजनीतिक दल

## चुनावी बांड

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने 2018 चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है।

### चुनावी बांड के बारे में:

- चुनावी बांड प्रणाली को 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था जिसे 2018 में लागू किया गया था।
- वे दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं हेतु एक साधन के रूप में काम करते हैं।

### विशेषताएँ:

- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग में बांड जारी करता है।
- धारक को मांग पर देय और ब्याज मुक्त।
- भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थाओं द्वारा खरीदने की अनुमति।
- व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से भी खरीदा जा सकता है।
- जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध।

### अधिकृत जारीकर्ता:

- एसबीआई अधिकृत जारीकर्ता है।
- चुनावी बांड नामित एसबीआई शाखाओं के माध्यम से जारी किए जाते हैं।

### राजनीतिक दलों की पात्रता:

- केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोक सभा या विधान सभा के लिए डाले गए वोटों में से कम से कम 1% वोट हासिल किए हों, वे ही चुनावी बांड पाने के पात्र हैं।

### खरीद और नकदीकरण:

- चुनावी बांड डिजिटल या चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं।
- नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से होता है।

**पारदर्शिता और जवाबदेही:**

- पार्टियों को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के साथ अपने बैंक खाते का खुलासा करना होगा।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए दान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाता है।
- राजनीतिक दल प्राप्त धन के उपयोग के बारे में बताने के लिए बाध्य हैं।

## आरपीए की धारा 123

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव पूर्व मुफ्त उपहार देने का वादा (जिसे फ्रीबीज कहा जाता है) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक भ्रष्ट आचरण और रिश्वत है।

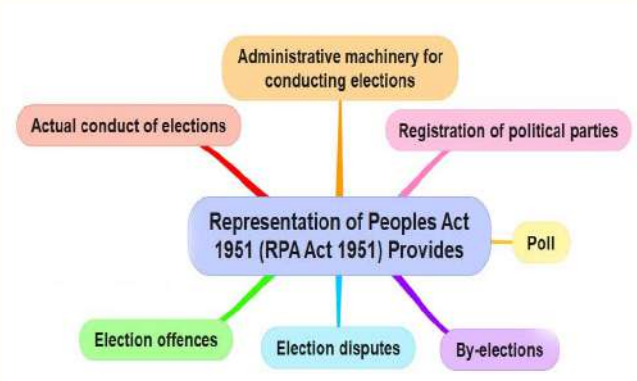


**आरपीए की धारा 123 के बारे में:**

- **अधिनियम की धारा 123:** यह 'भ्रष्ट प्रथाओं' को परिभाषित करता है जिसमें रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, झूठी जानकारी और 'धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं' को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास शामिल है।
- **धारा 123( 2 ):** यह 'अनुचित प्रभाव' से संबंधित है जिसे यह 'उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से, किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास' के रूप में परिभाषित करता है। इसमें चोट पहुंचाने की धमकी, सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से निष्कासन भी शामिल हो सकता है।
- **धारा 123( 4 ):** यह 'भ्रष्ट आचरण' के दायरे को झूठे बयानों के जानबूझकर प्रकाशन तक विस्तारित करता है जो उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर एक निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है:
  - » भ्रष्ट आचरण के आधार पर
  - » चुनाव खर्च घोषित करने में विफल रहने के लिए
  - » सरकारी अनुबंधों या कार्यों में रुचि के लिए

## मुफ्त उपहार देने पर राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उस राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न जब्त करने या उसका पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त उपहार देने का वादा करता है।

**राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बारे में:**

- राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
- चुनाव आयोग के साथ उक्त धारा के तहत पंजीकरण चाहने वाली पार्टी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अपने गठन की तारीख के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। भारतीय चुनाव आयोग को अनु. 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकरण की मान्यता देता है।

## चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कम करना

एक संसदीय पैनल ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश करते हुए कहा कि इससे नीतिगत बहस में दृष्टिकोण व्यापक होगा जिससे राजनीतिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता में सुधार होगा।

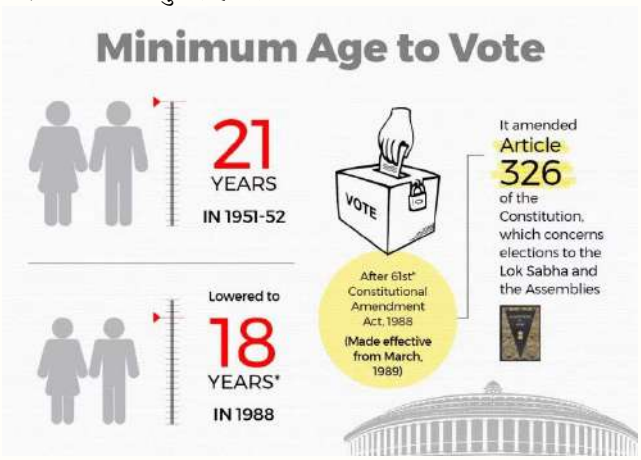

### विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के मानदंड:

- व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। विधान सभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार) से कम नहीं होनी चाहिए।

## लिली थॉमस केस व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 2019 मानहानि मामले में दो साल कैद की सजा सुनाए जाने पर अयोग्य ठहराया गया था।

### अयोग्यता के बारे में:

- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण अयोग्यता तत्काल थी। इस फैसले के माध्यम से न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को अमान्य कर दिया जिसमें अपील करने के लिए तीन महीने की अवधि की अनुमति दी गई थी। इस अवधि के दौरान अयोग्यता प्रभावी नहीं होनी थी। जब अपील को सर्वाच्च न्यायालय में स्वीकार की गई हो, तो अयोग्यता के निर्णय पर अपील के अंतिम परिणाम तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।
- इस प्रकार उद्धृत कानूनी प्रावधान के तहत विधायिका के मौजूदा सदस्यों की तत्काल अयोग्यता नहीं थी, लेकिन न्यायालय द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के इस प्रावधान को रद्द करने के बाद, कुछ विशेषज्ञों की राय के अनुसार, एक मौजूदा विधायक उसी क्षण अयोग्य हो जाता है जब न्यायालय जन प्रतिनिधित्व अधि नियम की धारा 8(3) के तहत दोषसिद्धि और सजा का आदेश देता है।

## एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ओएनओई) की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया।

### संवैधानिक प्रावधान:

- विधि आयोग की रिपोर्ट 2018 के अनुसार संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में उचित संशोधन की आवश्यकता है।
- उदाहरण: संविधान के पांच अनुच्छेदों अर्थात् अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन की आवश्यकता है।
- लोकसभा और विधानसभा के कामकाज के नियमों में संशोधन के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव को रचनात्मक अविश्वास मत से बदला जाना चाहिए।
- त्रिशंकु विधानसभा या संसद की स्थिति में गतिरोध को रोकने के लिए दल-बदल विरोधी कानून को उचित रूप से लचीला बनाया जाना चाहिए।
- आम चुनावों की अधिसूचना जारी करने के लिए छह महीने की वैधानिक सीमा में लचीलापन लाना।

## दलबदल नियम को लेकर हाई कोर्ट में याचिका

बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि अपनी पार्टी से अलग होने वाले विधायकों को तब तक सदन की कार्यवाही में भाग लेने या संवैधानिक पदों पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उनकी अयोग्यता का फैसला नहीं हो जाता।

### दलबदल के संवैधानिक प्रावधान:

- दल-बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर सांसदों/विधायकों को दंडित करता है।
- संसद ने इसे 1985 में दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा। दसवीं अनुसूची (जिसे लोकप्रिय रूप से दल-बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है) को 52वें संशोधन अधि नियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था जो आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है।
- 1985 के अधिनियम के अनुसार, किसी राजनीतिक दल के एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'विलय' माना जाता था, लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे बदल दिया और अब कानून की नजर में वैधता पाने के लिए किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को 'विलय' के पक्ष में होना होगा।
- हालाँकि राजनीतिक दल का विलय कानून के संरक्षण में अयोग्य नहीं है।

# संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय

## राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी जिसके पास निम्न शक्तियां है:

- महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
- उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।
- शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना।
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाना।
- रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए काम करना।
- आयोग ने लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा पूरा किया और महिलाओं की स्थिति तथा उनके सशक्तीकरण का आंकलन करने के लिए जेंडर प्रोफाइल तैयार किया।
- इसने बाल विवाह का मुद्दा उठाया, प्रायोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, पारिवारिक महिला लोक अदालतें और दहेज निषेध अधि नियम 1961, पीएनडीटी अधिनियम 1994, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 जैसे कानूनों की समीक्षा करना।
- इसने कार्यशालाओं/परामर्शों का आयोजन किया, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया, लैंगिक जागरूकता के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए और इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया।

## चुनाव आयोग नियुक्ति विधेयक

हाल ही में संसद ने सीईसी और अन्य ईसी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को मंजूरी दी है जो सीईसी और ईसी का चयन करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पैनल से हटाने का प्रयास करता है।

- विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्तों (ईसी) के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवाओं की शर्तों को प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 को निरस्त करता है।

### विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- मुख्य चुनाव आयोग एवं अन्य चुनाव आयोग का चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति में शामिल होंगे:
  - » अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
  - » सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता
  - » प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- चुनाव आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होगा।
- मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयोग को अपने आधि कारिक कार्यों से आपराधिक तथा दीवानी कार्यवाही से छूट मिलेगी।
- विधेयक में सीईसी और ईसी के पदों पर विचार के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए एक खोज समिति की स्थापना का प्रस्ताव है।
- सर्च कमेटी की अध्यक्षता कानून मंत्री करेंगे जिसमें दो सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होगा।

### चुनाव आयोग के बारे में:

- भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारत के संविधान द्वारा देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी।
- चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, उतनी संख्या में होंगे, जितनी राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं तथा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रावधानों के अधीन होगी। संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा।

# महत्त्वपूर्ण अधिनियम

## आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चक्रवात मिचौंग को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने का आग्रह किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, 'आपदा' का अर्थ ऐसी आपदा या दुर्घटना से है जिसकी तीव्रता अधिक हो और जो प्राकृतिक हो या मानव द्वारा उत्पन्न हो।

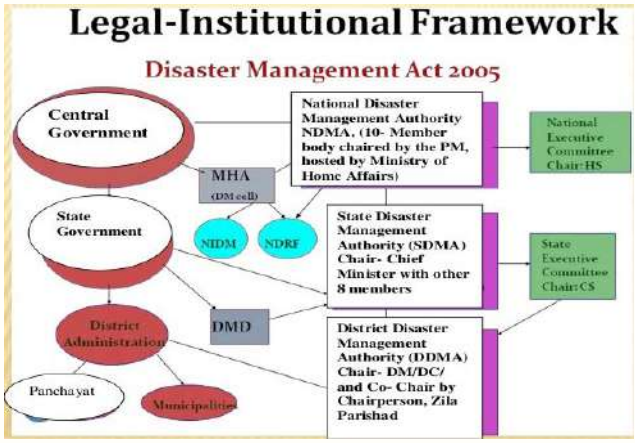


### अधिनियम के बारे में:

- अधिनियम में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना का प्रावधान है।
- एनडीएमए में एक उपाध्यक्ष सहित नौ से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एनडीएमए के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
- एनडीएमए 'आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश तैयार करने' तथा 'आपदा के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया' सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। अधि नियम की धारा 6 के तहत, यह 'राज्य योजनाओं को तैयार करने में राज्य अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश' निर्धारित करने के लिए भी जिम्मेदार है।

### अधिनियम के तहत स्थापित अन्य निकाय:

- **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति:** एनडीएमए की सहायता करना।
- **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** धारा 14 के तहत एसडीएमए में राज्य के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और अन्य आठ सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। यह किसी राज्य की सीमा के भीतर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** जिला आपदा प्रबंधन प्राधि करण (डीडीएमए) का नेतृत्व जिले के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त करेंगे। क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि पदेन सह-अध्यक्ष के रूप में डीडीएमए का सदस्य होता है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ):** अधिनियम की धारा 44-45 एक महानिदेशक के अधीन एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करती है जिसे केंद्र सरकार द्वारा 'किसी खतरे की स्थिति या आपदा के लिए विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के उद्देश्य से' नियुक्त किया जाएगा।

## सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या एएफएसपीए को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

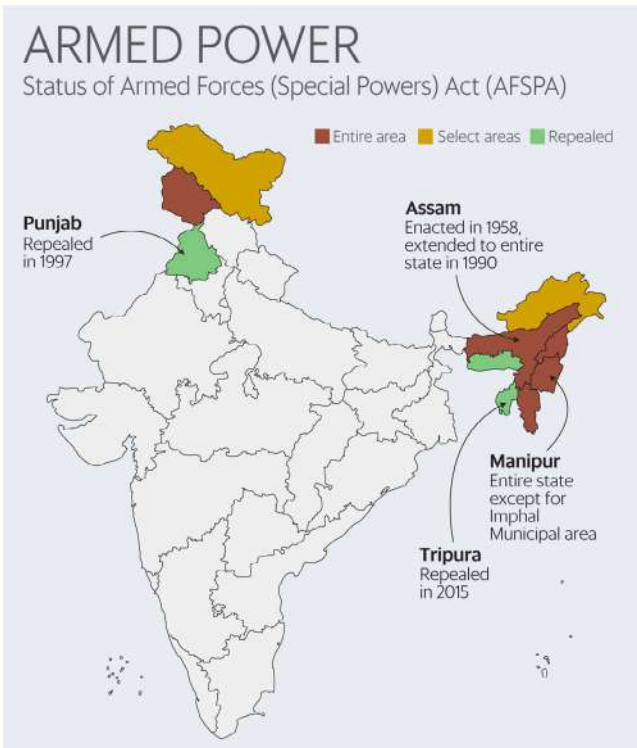


### अधिनियम के बारे में:

- यह अधिनियम अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून के उल्लंघन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने तथा बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति

की गिरफ्तारी करने, तलाशी लेने और अभियोजन व कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ निरंकुश अधिकार देता है।
- अधिनियम में 1972 में संशोधन किया गया और किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई।
- वर्तमान समय में यह अधिनियम असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लागू है।

## राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान आगजनी और हिंसा की छह घटनाओं की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। 2008 के एनआईए अधिनियम के तहत केंद्र एनआईए को एक अनुसूचित अपराध की जांच करने का निर्देश दे सकता है जिसके लिए उसे संबंधित राज्य सरकार से रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

### अधिनियम के बारे में:

- यह अधिनियम भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों, संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समझौते या उसके प्रासंगिक मामलों को लागू करने के लिए अधिनियमित अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच एवं मुकदमा चलाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का गठन करता है।
- 2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने की अनुमति दी। केंद्र सरकार को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है जिसके तहत सत्र न्यायालय कार्य कर रहा है।
- यह उन अपराधों की सूची के दायरे का विस्तार करता है जिनकी एजेंसी जांच कर सकती है जिसमें मानव तस्करी, नकली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं।
- यह एनआईए के अधिकार क्षेत्र को भारत के बाहर विस्तारित करता है। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संबंधित विदेशी राष्ट्र के घरेलू कानूनों के अधीन है।

## लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारत की संसद का एक अधि नियम है जो संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों के चुनाव के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता तथा अयोग्यता प्रदान करता है। ऐसे चुनावों में या उनके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध तथा ऐसे चुनावों से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों का निर्णय शामिल होता है।
- 1966 के लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम ने चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जिनके आदेश सर्वोच्च न्यायालय की अपील में शामिल थे। हालाँकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है।

### लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1950:

- अधिनियम निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है।
- यह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं तथा विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है।
- मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और सीटें भरने के तरीके को निर्धारित करता है।
- मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करता है।
- भारत के राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से परामर्श के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आदेशों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।

## पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पीईएसए), 1996

ओडिशा के विभिन्न जिलों के आदिवासियों ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (पीईएसए) अधिनियम 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग को लेकर विरोध किया।

### पेसा के बारे में:

- पेसा वह कानून है जो पंचायतों के प्रावधानों को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। इस अधिनियम को पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 कहा जाता है। पेसा के अंतर्गत कुल दस राज्य आते हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं।
- पेसा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में PRI के अध्यक्षों के सभी पद आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं और केवल आदिवासी समुदाय से संबंधित व्यक्ति ही इन पदों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। पेसा के तहत ग्राम सभा को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई हैं:
  - » भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श
  - » भूमि हस्तांतरण को रोकना
  - » निषेध लागू करने की शक्ति
  - » सभी विकासात्मक परियोजनाओं की पूर्व स्वीकृति और आदिवासी उप-योजना पर नियंत्रण
  - » विकासात्मक व्यय के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति
  - » गरीबी उन्मूलन और व्यक्तिगत लाभ की अन्य योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन

» सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण
» आदिवासी क्षेत्रों के रीति-रिवाजों, पारंपरिक कानूनों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर विवादों का सामूहिक निपटान
» जल संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण
» आदिवासी समुदाय का सामान्य भूमि, लघु वन उपज, लघु खनिज आदि पर स्वामित्व।

## ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008

कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे पर न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूहों की सीमा में 100 ग्राम न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी।

### अधिनियम के बारे में:

- अधिनियम आपराधिक और नागरिक दावों तथा विवादों को निपटाने के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है।
- जीएन का नेतृत्व 'न्याय अधिकारी' द्वारा किया जाएगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
- यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं है।

## वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006

यह अधिनियम वन-निवास आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वन-निवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे।

### उद्देश्य:

- वनवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना।
- वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों की भूमि का स्वामित्व, आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- सतत उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव के लिए वन अधिकार धारकों पर जिम्मेदारियों तथा अधिकार को शामिल करके वनों के संरक्षण शासन को मजबूत करना।

## धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)

### पीएलएमए के बारे में:

पीएमएलए 2002 में अधिनियमित किया गया था जो मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को सफेद में बदलने की प्रक्रिया) के खतरे को रोकने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन सहित) की प्रतिक्रिया के रूप में 2005 में लागू हुआ। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी अन्य मुद्दे से निपटने के लिए यह मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती और अधिग्रहण का प्रावधान करता है।

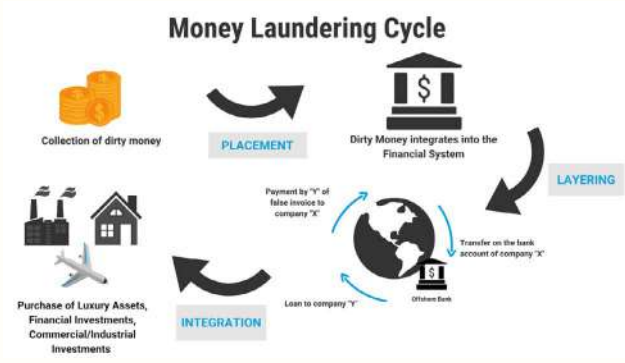




### पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2019:

- इसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को समन, गिरफ्तारी तथा छापेमारी के लिए व्यापक शक्ति प्रदान की और अभियोजन के बजाय आरोपी पर बेगुनाही साबित करने का बोझ डालते हुए जमानत प्रावधानों को कठिन बना दिया।

## स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

### अधिनियम के बारे में:

- एनडीपीएस अधिनियम 1985 नशीली दवाओं और उनकी तस्करी से संबंधित है।
- एनडीपीएस अधिनियम कैनबिस (गांजा) को एक मादक पदार्थ के रूप में परिभाषित करता है जो चरस, गांजा और कोई अन्य मिश्रण है। केवल भांग (जो पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है) का एनडीपीएस अधिनियम में उल्लेख नहीं है।
- अधिनियम चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर मादक दवाओं तथा मनोदैहिक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है।
- अधिनियम में कहा गया है कि सरकार केवल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए फाइबर या बीज प्राप्त करने या बागवानी उद्देश्यों के लिए किसी भी भांग के पौधे की खेती की अनुमति दे सकती है।

## एफसीआरए अधिनियम, 2010

### अधिनियम के बारे में:

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) विदेशी दान को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे

योगदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
- एफसीआरए के लिए विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- विदेशी धन की प्राप्ति के लिए भारतीय स्टेट बैंक (दिल्ली) में बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।
- इन निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है, जैसा कि अधि नियम में निर्धारित है।
- विदेशी धन प्राप्त करने वालों को भी वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है और उन्हें किसी अन्य एनजीओ को धन हस्तांतरित नहीं करना चाहिए।
- यह गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

## पॉक्सो एक्ट

### अधिनियम के बारे में:
- यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी अपराधों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, साथ ही ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था।
- दुर्व्यवहार करने वालों को रोकने और एक सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट अपराधों के दंड बढ़ाने हेतु अधि नियम में 2019 में संशोधन किया गया था।

### अधिनियम की विशेषताएं:
- लिंग तटस्थ कानून।
- दुर्व्यवहार की रिपोर्ट न करना एक अपराध है।
- एफआईआर के लिए कोई समय सीमा नहीं।
- पीड़ित की पहचान की गोपनीयता।

## आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

ईसी अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार की राय है कि यदि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखना या बढ़ाना या उसे उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना आवश्यक है, तो वह उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है। केंद्र के पास जनहित में आवश्यक वस्तुओं की इस सूची में किसी भी वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्ति है।

### आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020:
- इसका उद्देश्य निजी निवेशकों की उनके व्यवसाय संचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप की आशंकाओं को दूर करना है।
- विधेयक केंद्र सरकार को केवल असाधारण परिस्थितियों (जैसे युद्ध और अकाल) में कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति देता है। कृषि उपज पर स्टॉक सीमा केवल तभी लगाई जा सकती है जब कीमत में भारी वृद्धि हो।

## एमटीपी अधिनियम, 1971

### अधिनियम के बारे में:
- महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात के संबंध में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 ('एमटीपी एक्ट') पारित किया गया था।
- नया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम 2021 व्यापक देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा, एनोजिनिटल, मानवीय और सामाजिक आधार पर सुरक्षित तथा कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करता है।

### प्रमुख प्रावधान:
- अधिनियम के तहत गर्भनिरोधक विधि या उपकरण की विफलता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। यह अविवाहित महिलाओं को इस कारण से गर्भावस्था समाप्त करने की भी अनुमति देता है।
- गर्भधारण अवधि के 20 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) की राय और 20-24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दो आरएमपी की राय आवश्यक है। भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताएं होने पर 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने हेतु राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है।
- विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भधारण की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है जिनमें बलात्कार से पीड़ित, अनाचार की शिकार और अन्य कमजोर महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग, अन्य) शामिल हैं।
- जिस महिला की गर्भावस्था समाप्त हो गई है उसका नाम और अन्य विवरण, उस समय के लिए किसी भी कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर, प्रकट नहीं किया जाएगा।

## पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984

- पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 को सुलह को बढ़ावा देने तथा विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सहमति से एक या एक से अधिक व्यक्तियों को पारिवारिक न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

# 20 Years of Trust

**Success is Our Tradition**

**4500+ Selections in IAS & PCS**

# ADMISSIONS OPEN FOR

## Offline / Online Courses

## GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS
## MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

Expert lectures from experienced subject specialists

Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions

Special lectures from top experts in the field

Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam

Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends

Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

**FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE**

## Available Optional Subjects

- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

### UPSC PRELIMS & MAINS
**TEST SERIES**
(OFFLINE & ONLINE)

### UP-PCS PRELIMS & MAINS
**TEST SERIES**
(OFFLINE & ONLINE)

### BPSC PRELIMS & MAINS
**GS & OPTIONAL TEST SERIES**
(OFFLINE & ONLINE)

**FORTNIGHTLY AVAILABLE PERFECT 7 MAGAZINE FOR COMPREHENSIVE COVERAGE OF CURRENT AFFAIRS**

**FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42**

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: **9289580074/75** • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: **9205212500/9205962002** • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: **9205336037/38** • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: **0532-2260189/8853467068** • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: **9506256789/7570009002** • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: **7234000501/ 7234000502** • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: **7518373333/7518573333** • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: **7887003962/7897003962** • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: **0551-2200385/7080847474**

# ध्येय IAS
*most trusted since 2003*

लक्ष्यभेद



## ALL INDIA CIVIL SERVICES EXAMINATION (PRELIMS) TEST SERIES, 2024

**Total Test-22 : Sectional Test-7 & GS Full Length-10 & CSAT Test-5)**

## Offline Fee :

**Non Dhyeya Students**
Special Offer:
~~8000/-~~
**6,000/-**

**Dhyeya Students**
Special Offer:
~~6000/-~~
**4,500/-**

## Online Fee:-

Special Offer:
~~6000/-~~
**3,999/-**

**Starting From : 7th January, 2024**

**To avail this Republic Day special offer join between 26th December 2023 to 26th January 2024**

📞 9506256789, 7570009014